

**NATIONAL HOUSING BANK**

New Delhi

the 27<sup>th</sup> September, 2001**THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS 2001**

Notification No. NHB.HFC.DIR.1/CMD/2001

Whereas, having considered it necessary in the public interest, the National Housing Bank had issued Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989, to every housing finance company in exercise of the powers conferred on it under the National Housing Bank Act 1987 (53 of 1987).

2. And whereas the National Housing Bank had also issued guidelines to housing finance companies on prudential norms on income recognition, accounting standards, asset classification, provisioning for bad and doubtful assets, capital adequacy and concentration of credit/investments.

3. And whereas the National Housing Bank Act, 1987 has been amended further by the National Housing Bank (Amendment) Act, 2000 (15 of 2000) further to enable the National Housing Bank to safeguard the interest of depositors and promote healthy and universal growth of Housing Finance Companies in the country.

4. And whereas, having regard to the objectives aforesaid, it is considered desirable to issue consolidated directions in respect of matters relating to acceptance of deposits by housing finance companies, prudential norms for income recognition, accounting standards, asset classification, provision for bad and doubtful assets, capital adequacy and concentration of credit/investments to be observed by the housing finance companies and matters to be included in the Auditors Report by the auditors of such housing finance companies and matters ancillary and incidental thereto.

5. Now therefore, the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary to give the Directions mentioned below, hereby in exercise of the powers conferred, by sections 30, 30A, 31 and 33 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, and in supercession of the aforementioned directions and guidelines, gives the Directions hereinafter specified.

**CHAPTER I - PRELIMINARY****Short title, commencement and applicability of the Directions**

1. (1) These Directions shall be known as the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001. They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette and any reference in these Directions to the date of commencement thereof shall be deemed to be a reference to that date.

(2) Directions contained in Chapter IV shall be applicable to every auditor of a housing finance company.

## Definitions

2. (1) In these Directions, unless the context otherwise requires,

(a) "banking company" means a banking company as defined in Section 5(c) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(b) "break up value" means the equity capital and reserves as reduced by intangible assets and revaluation reserves, divided by the number of equity shares of the investee company;

(c) "carrying cost" means book value of the assets and interest accrued thereon but not received;

(d) "company" means a company as defined in Section 45I(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) but does not include a company which is being wound up under any law for the time being in force;

(e) "current investment" means an investment which is by its nature readily realisable and is intended to be held for not more than one year from the date on which such investment is made;

(f) "deposit" shall have the same meaning as assigned to it in Section 45 I (bb) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(g) "depositor" means any person who has made a deposit with the housing finance company or a heir, legal representative, administrator or assignee of the depositor;

(h) "doubtful asset" means a term loan, or a leased asset, or a hire purchase asset, or any other asset, which remains a sub-standard asset for a period exceeding two years;

(i) "earning value" means the value of an equity share computed by the average of profits after tax as reduced by the preference dividend and adjusted for extra ordinary and non recurring items, for the immediately preceding three years and further divided by the number of equity shares of the investee company and capitalised at the following rate:-

(i) in case of predominantly manufacturing company, eight percent;

(ii) in case of predominantly trading company, ten percent; and

(iii) in case of any other company, including a housing finance company, twelve percent;

Note:

If an investee company is a loss making company, the earning value will be taken as zero;

(j) "fair value" means the mean of the earning value and the break up value;

(k) "free reserves" shall include the balance in the share premium account, capital and debenture redemption reserves and any other reserve shown or published in the balance sheet of the company and created through an allocation of profits, not being (1) a reserve created for repayment of any future liability or for depreciation

in assets or for bad debt or (2) a reserve created by revaluation of the assets of the company;

(l) "housing finance company" means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) which primarily transacts or has as one of its principal objects, the transacting of the business of providing finance for housing, whether directly or indirectly;

(m) "hybrid debt" means capital instrument which possesses certain characteristics of equity as well as of debt;

(n) "lending public financial institution" means -

(i) a public financial institution specified in or under section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956); or

(ii) a State Financial Corporation or a State Industrial Investment Corporation; or

(iii) a scheduled commercial bank; or

(iv) the General Insurance Corporation of India established in pursuance of the provisions of section 9 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972); or

(v) any other Institution which the National Housing Bank may, by notification, specify in this behalf;

(o) "long term investment" means an investment other than a current investment;

(p) "loss asset" means -

(i) an asset which has been identified as loss asset by the housing finance company or its internal or external auditor or by the National Housing Bank, to the extent it is not written off by the housing finance company; and

(ii) an asset which is adversely affected by a potential threat of non-recoverability due to either erosion in the value of security or non availability of security or due to any fraudulent act or omission on the part of the borrower;

(q) "net asset value" means the latest declared net asset value by the concerned mutual fund in respect of that particular scheme;

(r) "net book value" means -

(i) in the case of hire purchase asset, the aggregate of over due and future instalments receivable as reduced by the balance of the unmatured finance charges and further reduced by the provisions made as per paragraph 24(2)(i) of these Directions;

(ii) in the case of leased assets, aggregate of capital portion of over due lease rentals accounted as receivable and depreciated book value of the lease asset as adjusted by the balance of lease adjustment account;

(s) "net owned fund" means net owned fund as defined under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 including paid up preference shares which are compulsorily convertible into equity capital;

- (t) "non-performing asset" (referred to in these directions as "NPA") means:-
- (i) a loan asset, in respect of which, interest has remained past due for six months;
  - (ii) a term loan inclusive of unpaid interest, when the instalment is over due for more than six months or on which interest amount remained past due for six months;
  - (iii) a bill of exchange which remains over due for six months;
  - (iv) the interest in respect of a debt or the income on a receivable under the head 'other current assets' in the nature of short term loans/advances, which facility remained over due for a period of six months;
  - (v) any dues on account of sale of assets or services rendered or reimbursement of expenses incurred, which remained over due for a period of six months;
  - (vi) the lease rental and hire purchase instalment, which has become over due for a period of more than twelve months;
  - (vii) an inter corporate deposit, in respect of which interest or principal has remained over due for a period of six months;
- (u) "owned fund" means paid up capital including preference shares compulsorily convertible into equity shares, free reserves, balance in share premium account and capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of asset, excluding reserves created by revaluation of asset, as reduced by accumulated loss balance, book value of intangible assets and deferred revenue expenditure, if any;
- (v) "past due" means an amount of income or interest which remains unpaid for a period of thirty days beyond the due date;
- (w) "public deposit" means a deposit but does not include the following, namely:-
- (i) any amount received from the Central Government or a State Government or any amount received from any other source and whose repayment is guaranteed by the Central Government or a State Government or any amount received from a local authority or any public housing agency, or a foreign Government or any other foreign citizen, authority or person;
  - (ii) any amount received from the National Housing Bank, established under the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), or the Industrial Development Bank of India established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964) or the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or the General Insurance Corporation of India and its subsidiaries established in pursuance of the provisions of section 9 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972) or the Small Industries Development Bank of India established under the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) or the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) or National Bank for Agriculture and Rural Development established under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1982 or an Electricity Board constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 or the Tamil Nadu Industrial Investment

Corporation Ltd., or the National Industrial Development Corporation of India Ltd., or the Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd., or the Industrial Finance Corporation of India Ltd., or the Industrial Investment Bank of India Ltd., or State Trading Corporation of India Ltd., or the Rural Electrification Corporation Ltd., or the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., or the Agricultural Finance Corporation Ltd., or the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd., or the Gujarat Industrial Investment Corporation Ltd., or Asian Development Bank or International Finance Corporation or the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) or Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) or any other institution that may be specified by the National Housing Bank in this behalf;

(iii) any amount received by a housing finance company from another company;

(iv) any amount received by way of subscription to any share, stock, bonds or debentures pending the allotment of the said shares, stock, bonds or debentures and any amount received by way of calls in advance on shares, in accordance with the Articles of Association of the housing finance company so long as such amount is not repayable to the members under the Articles of Association of the housing finance company;

(v) any amount received from a person who at the time of receipt of the amount was a Director of the housing finance company or any amount received from its shareholders by a private housing finance company or by a private housing finance company which has become a public housing finance company under section 43A of the Companies Act, 1956 and continues to include in its Articles of Association provisions relating to the matters specified in clause (iii) of sub-section (1) of section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956):

*Provided that the Director or shareholder, as the case may be, from whom the money is received furnishes to the housing finance company at the time of giving the money, a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting from others;*

*Provided further that in the case of joint shareholders of a private limited company, money received from or in the name of the joint shareholders except the first named shareholder shall not be eligible to be treated as the receipt of money from the shareholder of the company;*

(vi) any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by the mortgage of any immovable property of the housing finance company; or by any other asset or with an option to convert them into shares in the housing finance company provided that in the case of such bonds or debentures secured by mortgage of any immovable property or secured by other assets, the amount of such bonds or debentures shall not exceed the market value of such immovable property/other assets;

(vii) any amount brought in by the promoters by way of unsecured loan in pursuance of stipulations of lending institutions subject to the fulfillment of the following conditions, namely :-

- (a) the loan is brought in pursuance of the stipulation imposed by the lending public financial institution in fulfillment of the obligation of the promoters to contribute such finance,
- (b) the loan is provided by the promoters themselves and/or by their relatives, and not from their friends and business associates, and
- (c) the exemption under this sub-clause shall be available only till the loan of the lending public financial institution is repaid and not thereafter;

(viii) any amount received from a mutual fund which is governed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996;

(ix) any amount received as hybrid debt or subordinated debt the minimum maturity period of which is not less than sixty months;

(x) any amount received from a relative of a director of a housing finance company;

Note : The deposit shall be accepted only on an application made by the depositor containing therein a declaration that as on the date of deposit, he is related to the specific director in the capacity of a relative as defined under Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(x) "public housing agency" shall include any authority, constituted in India by or under any law, engaged either for the purpose of dealing with and satisfying the need for housing accommodation or for the purpose of planning, development or improvement of cities, towns and villages or for both;

(y) "securities" means securities as defined in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(z) "standard asset" means the asset in respect of which, no default in repayment of principal or payment of interest is perceived and which does not disclose any problem nor carry more than normal risk attached to the business;

(za) "sub-standard asset" means -

(i) an asset, which has been classified as non-performing asset for a period not exceeding two years;

(ii) an asset, where the terms of the agreement regarding interest and/or principal have been re-negotiated or rescheduled after release of any instalment of loan or an inter-corporate deposit which has been rolled over, until the expiry of one year of satisfactory performance under the re-negotiated or rescheduled terms :

Provided that where a delay in completion of a project is caused on account of factors beyond the control of the project implementing agency, terms of the loan agreement regarding interest and/or principal may be rescheduled once before the completion of the project and such loans may be treated as standard asset, subject to the condition that such reschedulement shall be permitted only once by the Board of Directors of the concerned housing finance company and that interest on such loan is paid regularly and there is no default;

Provided further that where natural calamities impair the repaying capacity of a borrower, terms of the loan agreement regarding interest and/or principal may be rescheduled and such loans shall not be classified as sub-standard; the classification of such loans would thereafter be governed by the revised terms and conditions;

(zb) "subordinated debt" means a fully paid up capital instrument, which is unsecured and is subordinated to the claims of other creditors and is free from restrictive clauses and is not redeemable at the instance of the holder or without the consent of the supervisory authority of the housing finance company. The book value of such instrument shall be subjected to discounting as provided hereunder:

<i>Remaining maturity of the instruments</i>	<i>Rate of discount (%)</i>
(i) up to one year	100
(ii) More than one year but upto two years	80
(iii) More than two years but upto three years	60
(iv) More than three years but upto four years	40
(v) More than four years but upto five years	20

to the extent such discounted value does not exceed fifty percent of the Tier-I capital;

(zc) "substantial interest" means holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares of a company, the amount paid up on which exceeds ten percent of the paid up capital of the company; or the capital subscribed by all the partners of a partnership firm;

(zd) "tier-I capital" means owned fund as reduced by investment in shares of other housing finance companies and in shares, debentures, bonds, outstanding loans and advances including hire purchase and lease finance made to and deposits with subsidiaries and companies in the same group exceeding, in aggregate, ten percent of the owned fund;

(ze) "tier-II capital" includes the following:-

- (i) preference shares (other than those compulsorily convertible in to equity);
- (ii) revaluation reserves at discounted rate of fifty five percent;
- (iii) general provisions and loss reserves to the extent these are not attributable to actual diminution in value or identifiable potential loss in any specific asset and are available to meet unexpected losses to the extent of one and one fourth percent of risk weighted assets;
- (iv) hybrid debt;
- (v) subordinated debt

to the extent the aggregate does not exceed Tier-I capital;

(2) Words or expressions used but not defined herein and defined in the National Housing Bank Act, 1987 shall have the same meaning as assigned to them therein. Any other words or expressions not defined herein or in the National Housing Bank Act, 1987 shall have the same meaning as assigned to them in the Reserve Bank of

India Act, 1934 (2 of 1934), Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(3) (a) If any question arises as to whether a company is a financial institution or not, such question shall be decided by the National Housing Bank in consultation with the Central Government.

(b) If any question arises as to whether a company is a housing finance company, the same shall be decided by the National Housing Bank.

## CHAPTER II - ACCEPTANCE OF PUBLIC DEPOSITS

### Restriction on acceptance of deposits

3. (1) No housing finance company having net owned fund (hereinafter referred to as 'NOF') of less than twenty five lakhs of rupees shall accept public deposits.

(2) No housing finance company having NOF of twenty five lakhs of rupees and above shall accept or renew public deposits except to the extent specified below:-

(i) not exceeding five times of its NOF, where the housing finance company has obtained credit rating for fixed deposits not below 'A' from any one of the approved rating agencies at least once a year and a copy of the rating is sent to the National Housing Bank and it is complying with all the prudential norms; and

(ii) in the absence of credit rating as specified in (i) above, not exceeding two times of its NOF or ten crore of rupees, whichever is lower including any amount remaining outstanding in its books as on the date of acceptance or renewal of such deposit, subject to (a) it is complying with all the prudential norms, and (b) having capital adequacy ratio of not less than fifteen per cent as per the last audited balance sheet.

### Approved Credit Rating Agencies

The names of approved credit rating agencies for the time being are as follows:-

- (a) The Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL)
- (b) ICRA Ltd.
- (c) Credit Analysis & Research Ltd.(CARE)
- (d) FITCH Ratings India Private Ltd.

(3) No housing finance company shall have deposits inclusive of public deposits, the aggregate amount of which together with the amounts, if any, held by it which are referred in clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 as also loans or other assistance from the National Housing Bank, is in excess of ten times of its NOF.

(4) Where a housing finance company holds as on the date of commencement of these directions public deposits in excess of the limits specified in (2) above and as applicable to it or deposits inclusive of the items mentioned in (3) above in excess of the limits specified in (3) above, it shall -

- (a) not accept fresh deposit or open new deposit account; or
- (b) not renew the existing deposit or where the deposits are received under any recurring scheme, receive instalments under such scheme after the expiry of the scheme period;
- (c) reduce such excess deposit by repayment on maturity.

(5) In the event of down gradation of the credit rating to any level below 'A' from the level earlier held by the housing finance company, it shall

- (i) report the position within fifteen working days to the National Housing Bank;
- (ii) with immediate effect stop accepting fresh public deposit if the public deposit held by it is in excess of the limit specified under clause (ii) of paragraph 3(2) above; and
- (iii) reduce within three years from the date of downgrading of credit rating, the amount of excess public deposit to nil or the appropriate extent permissible under clause (ii) of paragraph 3(2) above as the case may be, to which it is entitled to accept, by repayment as and when such deposit falls due or otherwise.

#### **Period of deposits**

4. No housing finance company shall accept or renew any public deposit:

- (a) which is repayable on demand or on notice; or
- (b) unless such deposit is repayable after a period of twelve months or more but not later than eighty four months from the date of acceptance or renewal of such deposits.

#### Explanation

Where a public deposit is in Instalments, the period of such deposit shall be computed from the date of receipt of first Instalment.

#### **Joint deposit**

5. Where so desired, deposits may be accepted in joint names with or without any of the clauses, namely, "Either or Survivor", "Number One or Survivor/s", "Anyone or Survivor/s."

#### **Particulars to be specified in application form soliciting public deposits**

6 (i) No housing finance company shall accept or renew any public deposit except on a written application from the depositors in the form to be supplied by the housing finance company, which form shall contain all the particulars specified in the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977, made under section 58A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and also contain the particulars of the specific category of the depositors, i.e.

whether the depositor is a shareholder or a director or a promoter of the housing finance company or a member of public or a relative of a director of the company.

(ii) The application form shall also contain the following:-

(a) the credit rating assigned for its deposits and the name of the credit rating agency which rated the housing finance company;

(b) a statement to the effect that in case of any deficiency of the housing finance company in servicing its deposits, the depositor may approach the National Consumers Disputes Redressal Forum, the State Level Consumers Disputes Redressal Forum or the District Level Consumers Disputes Redressal Forum for relief;

(c) a statement to the effect that in case of non-repayment of the deposit or part thereof in accordance with the terms and conditions of the deposit, the depositor may make an application to authorised officer of the National Housing Bank;

(d) a statement to the effect that the financial position of the housing finance company as disclosed and the representations made in the application form are true and correct and that the housing finance company and its Board of Directors are responsible for the correctness and veracity thereof;

(e) a statement to the effect that the housing finance company is within the regulatory framework of the National Housing Bank. It must, however, be distinctly understood that the National Housing Bank does not undertake any responsibility for the financial soundness of the housing finance company or for the correctness of any of the statements or the representations made or opinions expressed by the housing finance company; and for repayment of deposit/discharge of liabilities by the housing finance company;

(f) the information, relating to and the aggregate dues from the facilities, both fund and non-fund based, extended to, and the aggregate dues from companies in the same group or other entities or business ventures in which the directors and/or the housing finance company are/is holding substantial interest and the total amount of exposure to such entities;

(g) at the end of application form but before signature of the depositor, the following verification clause by the depositor shall be appended. "I have gone through the financial and other statements/ particulars/representations furnished/made by the housing finance company and after careful consideration I am making the deposit with the housing finance company at my own risk and volition."

#### **Introduction of depositors**

7. Every housing finance company shall obtain proper introduction of new depositors before opening their accounts and accepting the deposits, and shall keep on its record the evidence on which it has relied for the purpose of such introduction.

#### **Explanation:**

For the purpose of this paragraph, introduction shall mean identification of the prospective depositor and may be done either by one of the existing depositors or on the basis of any one of Income Tax Permanent Account Number (PAN), Election Identity Card, Passport, or Ration Card.

### Furnishing of receipts to depositors

8. (1) Every housing finance company shall furnish to every depositor or his agent, unless, it has done so already, a receipt for every amount which has been or which may be received by the housing finance company by way of deposit before or after the date of commencement of these Directions.

(2) The said receipt should be duly signed by an officer entitled to act for the housing finance company in this behalf and shall state the date of deposit, the name of depositor, the amount in words and figures received by the housing finance company by way of deposit, rate of interest payable thereon and the date on which the deposit is repayable.

Provided that, if such receipts pertain to Instalments subsequent to the first Instalment of a recurring deposit it may contain only name of the depositor/s, date and amount of deposit.

### Register of deposits

9. (1) Every housing finance company shall keep one or more registers in which shall be entered separately in the case of each depositor or group of joint depositors the following particulars, namely,

- (a) name and address of the depositor or group of joint depositors, their nominees,
- (b) date and amount of each deposit,
- (c) duration and due date of each deposit,
- (d) date and amount of accrued interest or premium on each deposit,
- (e) date and amount of each repayment, whether of principal, interest or premium,
- (f) date of claim made by the depositor,
- (g) the reasons for delay in repayment beyond five working days, and
- (h) any other particulars relating to the deposits.

(2) The register or registers aforesaid shall be kept at each branch in respect of the deposit accounts opened by that branch of the housing finance company and a consolidated register for all the branches taken together at the registered office of the housing finance company and shall be preserved in good order for a period of not less than eight years following the financial year in which the latest entry is made of the repayment or renewal of any deposit of which particulars are contained in the register:

Provided that, if the housing finance company keeps the books of account referred to in sub-section (1) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) at any place other than its Registered Office in accordance with the provisions to that sub-section, it shall be sufficient compliance with this sub-paragraph if the register aforesaid is kept at such other place, subject to the condition that the housing finance company

delivers to the National Housing Bank a copy of the notice filed with the Registrar under the proviso to the said sub-section within seven days of such filing.

#### **Information to be included in the Board's Report**

10. (1) In every report of the Board of Directors laid before the housing finance company in a general meeting under sub-section (1) of Section 217 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) after the date of commencement of these Directions there shall be included, the following particulars or information, namely:

- (a) the total number of accounts of public deposit of the housing finance company which have not been claimed by the depositors or not paid by the housing finance company after the date on which the deposit became due for re-payment; and
- (b) the total amounts due under such accounts remaining unclaimed or unpaid beyond the dates referred to in clause (a) as aforesaid.

(2) The said particulars or information shall be furnished with reference to the position as on the last date of the financial year to which the report relates and if the amounts remaining unclaimed or undisbursed as referred to in clause (b) of the preceding sub-paragraph exceed in the aggregate the sum of rupees five lakhs, there shall also be included in the report a statement on the steps taken or proposed to be taken by the Board of Directors for the repayment of the amounts due to the depositors or group of joint depositors and remaining unclaimed or undisbursed.

#### **Ceiling on the rate of interest and brokerage and interest on overdue public deposits**

11. (1) No housing finance company shall-

- (a) invite or accept or renew any public deposit on a rate of interest exceeding fourteen per cent per annum. Interest may be paid or compounded at rests which shall not be shorter than monthly rests.
- (b) pay to any broker on public deposit collected by or through him,
  - (i) brokerage, commission, incentive or any other benefit by whatever name called, in excess of two per cent of the deposit so collected;
  - (ii) expenses by way of reimbursement on the basis of relative vouchers/bills produced by him, in excess of 0.5 per cent of the deposit so collected.

(2) *Payment of interest on overdue deposit*

A housing finance company may, at its discretion, allow interest on an overdue public deposit or a portion of the said overdue deposit from the date of maturity of the deposit subject to the conditions that -

- (i) the total amount of overdue deposit or the part thereof is renewed in accordance with other relevant provisions of these Directions, from the date of its maturity till some future date, and
- (ii) the interest allowed shall be at the appropriate rate operative on the date of maturity of such overdue deposit which shall be payable only on the amount of deposit so renewed:

Provided that where a housing finance company fails to repay the deposit along with interest on maturity on the claim made by the depositor, the housing finance company shall pay interest from the date of claim till the date of repayment at the rate as applicable to the deposit.

### **General provisions regarding repayment of deposits**

**12. (i)** No housing finance company shall repay any public deposit within a period of **three months** from the date of its acceptance.

**(ii)** Where a housing finance company at the request of depositor/s repays a public deposit after the period indicated in clause (i) above, but before its maturity, it shall pay interest at the following rate:

- |   |   |
|---|---|
| (a) Three months but before expiry of six months  | No interest   |
| (b) Six months but before expiry of twelve months | Not exceeding ten percent per annum   |
| (c) Twelve months but before the date of maturity | One percentage point less than the rate at which the housing finance company would have ordinarily paid, had the deposit been accepted for the period for which such deposit had run. |

Provided that in the event of death of a depositor, the public deposit may be paid prematurely to the surviving depositor/s in the case of joint holding with the survivor clause, or to nominee or legal heir/s with interest at the contracted rate upto the date of repayment.

**(iii)** A housing finance company may grant a loan upto seventy-five percent of the amount of public deposit to a depositor after the expiry of three months from the date of public deposit at a rate of interest two percentage points above the interest rate payable on the public deposit.

### **Renewal of public deposit before maturity**

**13.** Where any housing finance company permits an existing depositor to renew his public deposit before maturity for availing the benefit of higher rate of interest, such company shall pay the depositor the increase in the rate of interest provided,

**(i)** the public deposit is renewed in accordance with the other provisions of these directions and for a period longer than the remaining period of the original contract; and

**(ii)** the interest on the expired period of the public deposit is reduced by one percentage point from the rate at which the housing finance company would have ordinarily paid, had the deposit been accepted for the period for which such public deposit had run; any interest paid earlier in excess of such reduced rate is recovered/adjusted.

### Safe custody of approved securities

14. (1) Every housing finance company shall entrust to one of the scheduled commercial banks designated by it on that behalf, in the place where the registered office of the housing finance company is situated, the unencumbered approved securities required to be maintained by it in pursuance of Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987;

Provided that a housing finance company may entrust such securities to the Stock Holding Corporation of India Ltd with prior approval, in writing, of the National Housing Bank, subject to such conditions as may be specified by the National Housing Bank in this behalf;

Provided further that where a housing finance company intends to entrust these securities to its designated bank at a place other than the place at which its registered office is situated or keep in the form of constituent's Subsidiary General Ledger Account with its designated scheduled commercial bank, it may do so with the prior approval, in writing, of the National Housing Bank;

(2) the securities mentioned in sub-paragraph (1) above shall continue to be entrusted to such designated bank for the benefit of the depositors and shall not be withdrawn or encashed or otherwise dealt with by the housing finance company except for repayment to the depositors.

Provided that,

- (1) a housing finance company shall be entitled to withdraw a portion of such securities proportionate to the reduction of its deposits duly certified to that effect by its auditors;
- (2) where the housing finance company intends to substitute such securities, it may do so by entrusting substitute securities of equal value to the designated bank before such withdrawal.

#### Explanation

'scheduled commercial bank' means a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) excluding a Regional Rural Bank or a Co-operative Bank.

### Employee Security Deposit

15. A housing finance company receiving any amount in the ordinary course of its business as security deposit from any of its employees for due performance of his duties shall keep such amount in an account with a scheduled commercial bank or in a post office in the joint names of the employee and the housing finance company on the conditions that -

- (1) it shall not withdraw the amount without the consent in writing of the employee; and
- (2) the amount shall be repayable to the employee along with interest payable on such deposit account unless such amount or any part thereof is liable to be appropriated

by the housing finance company for the failure on the part of the employee for due performance of his duties.

#### Advertisement and statement in lieu of advertisement

16. (1) every housing finance company soliciting public deposits shall comply with the provisions of the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977 and shall also specify in every advertisement to be issued thereunder, the following :

- (a) the actual rate of return by way of interest, premium, bonus or other advantage to the depositors;
- (b) the mode of payment to the depositors;
- (c) maturity period of deposits;
- (d) the interest payable on a specified deposit;
- (e) the rate of interest which will be payable to the depositors in case the depositor withdraws the deposit prematurely;
- (f) the terms and conditions subject to which a deposit will be renewed;
- (g) any other special features relating to the terms and conditions subject to which the deposits are accepted/renewed; and
- (h) the information, relating to the aggregate dues (including the non-fund based facilities) provided to/from companies in the same group or other entities or business ventures in which the directors and/or the housing finance company are holding substantial interest and the total amount of exposure to such entities.

(2) where a housing finance company intends to accept public deposits without inviting or allowing or causing any other person to invite such deposits, it shall, before accepting deposits, deliver to the office of the National Housing Bank at New Delhi for registration, a statement in lieu of advertisement containing all the particulars required to be included in the advertisement pursuant to the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977 as also the particulars stated in sub-paragraph (1) hereinabove, duly signed in the manner provided in the aforesaid Rules.

(3) A statement, delivered under sub-paragraph (2) shall be valid till the expiry of six months from the date of closure of the financial year in which it is so delivered, or until the date on which the balance sheet is laid before the housing finance company in general meeting, or where the annual general meeting for any year has not been held, the latest day on which that meeting should have been held in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956(1 of 1956), whichever is earlier and a fresh statement shall be delivered in each succeeding financial year before accepting deposits in that financial year.

### Opening of Branches

17. A housing finance company shall, before opening a branch or an office, inform National Housing Bank in writing of its intention to open a branch or an office.

### Closure of Branches

18. No housing finance company accepting deposits shall close its branch/office without publishing such intention in any one national level newspaper and in one vernacular newspaper in circulation in the relevant place and without advising National Housing Bank, before ninety days of the proposed closure.

## CHAPTER III - PRUDENTIAL NORMS

### Income recognition

19. (1) Income recognition shall be based on recognised accounting principles.

(2) Income including interest/discount or any other charges on NPA shall be recognised only when it is actually realised. Any such income recognised before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be reversed.

(3) In respect of hire purchase assets, where instalments are over due for more than twelve months, income shall be recognised only when hire charges are actually received. Any such income taken to the credit of profit and loss account before the asset becoming non-performing and remaining unrealised, shall be reversed.

(4) In respect of lease assets, where lease rentals are overdue for more than twelve months, the income shall be recognised only when lease rentals are actually received. The net lease rentals taken to the credit of profit and loss account before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be reversed.

Explanation: For the purpose of this paragraph, 'net lease rentals' mean gross lease rentals as adjusted by the lease adjustment account debited/credited to the profit and loss account and as reduced by depreciation at the rate applicable under schedule XIV of the Companies Act, 1956.

### Income from investments

20.(1) Income from dividend on shares of corporate bodies and units of mutual funds shall be taken in to account on cash basis;

Provided that the income from dividend on shares of corporate bodies may be taken into account on accrual basis when such dividend has been declared by the corporate

body in its annual general meeting and the housing finance company's right to receive payment is established.

(2) Income from bonds and debentures of corporate bodies and from Government securities/bonds may be taken into account on accrual basis;

Provided that the interest rate on these instruments is predetermined and interest is serviced regularly and is not in arrears.

(3) Income on securities of corporate bodies or public sector undertakings, the payment of interest and repayment of principal of which have been guaranteed by the Central Government or a State Government may be taken into account on accrual basis.

### **Accounting standards**

21. Accounting Standards and Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (referred to in these directions as "ICAI") shall be followed insofar as they are not inconsistent with any of these Directions.

### **Accounting for investments**

22. (1) Investment in securities shall be classified as current and long-term investments.

(2) A long term investment shall be valued in accordance with the Accounting Standard issued by ICAI.

(3) Quoted current investments shall, for the purpose of valuation, be grouped into the following categories, viz.,

- (a) equity shares,
- (b) preference shares,
- (c) debentures and bonds,
- (d) Government securities including treasury bills,
- (e) units of mutual fund, and
- (f) others.

Quoted current investments for each category shall be valued at cost or market value, whichever is lower. For this purpose, the investments in each category shall be considered scrip-wise and the cost and market value aggregated for all investments in each category. If the aggregate market value for the category is less than the aggregate cost for that category, the net depreciation shall be provided for or charged to the profit and loss account. If the aggregate market value for the category exceeds the aggregate cost for the category, the net appreciation shall be ignored. Depreciation in one category of investments shall not be set off against appreciation in another category.

(4) Unquoted equity shares in the nature of current investments shall be valued at cost or break up value, whichever is lower. However, housing finance companies may substitute fair value for break up value of the shares, if considered necessary. Where the balance sheet of the investee company is not available for two years, such shares shall be valued at one rupee only.

(5) Unquoted preference shares in the nature of current investments shall be valued at cost or face value or the net asset value whichever is less. In case the net asset value is negative, it should be valued at zero.

(6) Investments in unquoted Government securities or Government guaranteed bonds shall be valued at carrying cost.

(7) Unquoted investments in the units of mutual funds in the nature of current investments shall be valued at the net asset value declared by the mutual fund in respect of each particular scheme.

(8) Commercial papers shall be valued at carrying cost.

Note: Unquoted debentures shall be treated as term loans or other type of credit facilities depending upon the tenure of such debentures for the purpose of income recognition and asset classification.

#### **Asset classification**

23. (1) Every housing finance company shall, after taking into account the degree of well defined credit weaknesses and extent of dependence on collateral security for realisation, classify its lease/hire purchase assets, loans and advances and any other forms of credit into the following classes, namely :-

(i) Standard assets;

(ii) Sub-standard assets;

(iii) Doubtful assets; and

(iv) Loss assets.

(2) The class of assets referred to above shall not be upgraded merely as a result of rescheduling, unless it satisfies the conditions required for the upgradation.

#### **Provisioning requirement**

24. Every housing finance company shall, after taking in to account the time lag between an account becoming non-performing, its recognition as such, the realisation of the security and the erosion over time in the value of security charged, make provision against sub-standard assets, doubtful assets and loss assets as provided hereunder:-

*Loans, Advances and Other Credit Facilities Including Bills Purchased and Discounted*

(1) The provisioning requirement in respect of loans, advances and other credit facilities including bills purchased and discounted shall be as under:

i) **Loss Assets**                      The entire assets shall be written off. If the assets are permitted to remain in the books for any reason, 100% of the outstandings should be provided for.

ii) **Doubtful Assets**                (a) 100% provision to the extent to which the advance is not covered by the realisable value of the security to which the housing finance company has a valid recourse shall be made. The realisable value is to be estimated on a realistic basis;

(b) in addition to item (a) above, depending upon the period for which the asset has remained doubtful, provision to the extent of 20% to 50% of the secured portion (i.e. estimated realisable value of the outstandings) shall be made on the following basis:-

Period for which the asset has been considered as doubtful	% of provision
Up to one year	20
one to three years	30
More than three years	50

(iii) **Sub-standard Assets**                      A general provision of 10% of total outstanding should be made

*Lease and hire purchase assets*

(2) The provisioning requirements in respect of hire purchase and leased assets shall be as under:-

Hire purchase assets

(i) In respect of hire purchase assets, the total dues (overdue and future installments taken together) as reduced by the finance charges not credited to the profit and loss account and carried forward as unmaturing finance charges and the depreciated value of the underlying asset, shall be provided for.

Explanation

For this purpose, the depreciated value of the asset shall be notionally computed as the original cost of the asset to be reduced by depreciation at the rate of 20 percent per annum on a straight line method. In the case of second hand asset, the original cost shall be the actual cost incurred for acquisition of such second hand asset.

Additional provision for Hire Purchase and Leased assets

(ii) In respect of hire purchase and leased assets, additional provision shall be made as under :

(a) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue up to 12 months	Nil
(b) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 12 months but up to 24 months	10% of the net book value
(c) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 24 months but up to 36 months	40% of the net book value
(d) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 36 months but upto 48 months	70% of the net book value
(e) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 48 months	100% of the net book value

(iii) On expiry of a period of 12 months after the due date of the last installment of hire purchase/ leased asset, the entire net book value shall be fully provided for.

NOTES

(1) The amount of caution money/margin money or security deposits kept by the borrower with the housing finance company in pursuance of the hire purchase agreement may be deducted against the provisions stipulated under clause (i) above, if not already taken into account while arriving at the equated monthly installments under the agreement. The value of any other security available in pursuance to the hire purchase agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.

(2) The amount of security deposits kept by the borrower with the housing finance company in pursuance to the lease agreement together with the value of any other security available in pursuance to the lease agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.

(3) It is clarified that income recognition on and provisioning against NPAs are two different aspects of prudential norms and provisions as per the norms are required to be made on NPAs on total outstanding balances including the depreciated book value of the leased asset under reference after adjusting the balance, if any, in the lease adjustment account. The fact that income on NPA has not been recognised cannot be taken as reason for not making provision.

(4) An asset which has been re-negotiated or rescheduled as referred to in paragraph 2 (1)(za) of these Directions shall be a sub-standard asset or continue to remain in the same category in which it was prior to its re-negotiation or reschedulement as a doubtful asset or a loss asset as the case may be. Necessary provision is required to be made as applicable to such asset till it is upgraded. In case where an asset has been re-scheduled on account of natural calamities having impaired the repaying capacity of

the borrower as provided in second proviso to paragraph 2(1)(za), any provisioning made prior to such rescheduling shall neither be written back nor adjusted against any provisioning requirements that may arise in future.

#### **Disclosure in balance sheet**

25. (1) Every housing finance company shall, separately disclose in its balance sheet the provisions made as per paragraph 24 above without netting them from the income or against the value of assets.

(2) The provisions shall be distinctly indicated under separate heads of accounts separately for housing and non-housing finance business and individually for each type of assets as under:-

- (a) provisions for sub-standard, doubtful and loss assets; and
- (b) provisions for depreciation in investments

(3) Such provisions shall not be appropriated from the general provisions and loss reserves held, if any, by the housing finance company.

(4) Such provision for each year shall be debited to the profit and loss account. The excess of provisions, if any, held under the heads general provisions and loss reserves may be written back without making adjustment against them.

#### **Requirement as to Capital Adequacy**

26. (1) Every housing finance company shall, maintain a minimum capital ratio consisting of Tier-I and Tier-II capital which shall not be less than-

- (i) ten percent on or before March 31, 2001; and
- (ii) twelve percent on or before March 31, 2002

of its aggregate risk weighted assets and of risk adjusted value of off-balance sheet items.

(2) The total Tier-II capital, at any point of time, shall not exceed one hundred percent of Tier-I capital.

#### **Explanations:**

##### **On balance sheet assets**

(1) In these Directions, degree of credit risk expressed as percentage weightages have been assigned to balance sheet assets. Hence, the value of each asset/item requires to be multiplied by the relevant risk weights to arrive at risk adjusted value of assets. The aggregate shall be taken in to account for reckoning the minimum capital ratio. The risk weighted asset shall be calculated as the weighted aggregate of funded items as detailed hereunder:

(1)	Cash and bank balances including fixed deposits and certificates of deposits with banks	0
(2)	Investments:	
	a) Approved securities as defined in the National Housing Bank Act, 1987	0
	b) Bonds of public sector banks and fixed deposits/certificates of deposits/bonds of public financial institutions	20
	c) Units of Unit Trust of India	20
	d) Shares of all companies and debentures/bonds/commercial papers of companies other than in b) above/units of mutual funds other than in c) above	100
(3)	a) Housing loans to individuals backed by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets and where loan to value ratio does not exceed 75%	75
	b) Other housing loans	100
(4)	Current Assets:	
	a) Stock on hire (please see note 2 below)	100
	b) Inter corporate loans/ deposits	100
	c) Loans and advances fully secured by company's own deposits	0
	d) Loan to staff	0
	e) Other secured loans and advance considered good	100
	f) Bills purchased/ discounted	100
	h) Others (to be specified)	100
(5)	Fixed Assets (net of depreciation)	
	a) Assets leased out (net book value)	100
	b) Premises	100
	c) Furniture & Fixtures	100
	d) Other Fixed Assets(to be specified)	100
(6)	Other Assets:	
	a) Income tax deducted at source (net of provision)	0
	b) Advance tax paid (net of provision)	0
	c) Interest due on Government Securities and approved securities	0
	d) Others(to be specified)	100

## Notes:

(1) Netting may be done only in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made.

(2) Stock on hire should be shown net of finance charges i.e. interest and other charges recoverable.

(3) Assets which have been deducted from owned fund to arrive at tier-I capital pursuant to paragraph 2(1)(zd) will have a weightage of "0".

#### Off-Balance Sheet items

(2) In these Directions, degrees of credit risk exposure attached to off-balance sheet items have been expressed as a percentage of credit conversion factor. Hence the face value of each item requires to be first multiplied by the relevant conversion factor to arrive at risk adjusted value of off-balance sheet item. The aggregate shall be taken in to account for reckoning the minimum capital ratio. This shall have to be again multiplied by the risk weight of 100. The risk weighted value of the off-balance sheet items shall be calculated as per the credit conversion factors of non-funded items as detailed under:-

<i>Nature of Items</i>	<i>credit conversion factor (%)</i>
i) Undisbursed amounts of Housing loans sanctioned	50
ii) Financial & Other guarantees	100
iii) Shares/ debentures underwriting obligations	50
iv) Partly-paid shares/ debentures	100
v) Bills discounted/ rediscounted	100
vi) Lease contracts entered into but yet to be executed	100
vii) Other contingent liabilities (to be specified)	50

Provided that in item (i) above, in those cases where no documents are executed, no disbursement has taken place and in case sanction lapses in course of time and notice to that effect is served on prospective borrower, credit conversion factor shall be taken as 0% and in the case of partly disbursed housing loans credit conversion factor shall be taken as 50%.

*Note: Cash margins/ deposits shall be deducted before applying the conversion factor.*

#### **Restriction on investments in land and building and unquoted shares**

27. (1) No housing finance company, which is accepting public deposit, shall invest in-

(a) land or building, except for its own use, an amount exceeding ten percent of its owned fund;

(b) unquoted shares of another company, which is not a subsidiary company or a company in the same group of the housing finance company, an amount exceeding ten percent of its owned fund.

Provided that the land or building or unquoted shares acquired in satisfaction of its debts shall be disposed off by the housing finance company within a period of three years or within such a period as extended by the National Housing Bank, from the

date of such acquisition if the investment in these assets together with such assets already held by the housing finance company exceeds the above ceiling:

Provided further that the land or building or unquoted shares held by the company in excess of the ceiling specified hereinabove on the date of commencement of these Directions, shall be disposed off so as to bring down such holding within the said ceiling by the housing finance company within three years or within such period as extended by the National Housing Bank from the date of coming into force of these Directions.

#### **Concentration of credit/investment**

28. (1) No housing finance company shall,-

(i) lend to-

(a) any single borrower exceeding fifteen percent of its owned fund; and

(b) any single group of borrowers exceeding twenty-five percent of its owned fund;

(ii) invest in-

(a) the shares of another company exceeding fifteen percent of its owned fund;

(b) the shares of a single group of companies exceeding twenty-five percent of its owned fund;

(iii) lend and invest (loans/investments together) exceeding -

(a) twenty-five percent of its owned fund to a single party; and

(b) forty percent of its owned fund to a single group of parties.

(2) Any loan granted and investment made by the housing finance company in excess of the ceilings specified hereinabove and existing on the date of commencement of these directions, shall be brought down by the housing finance company as per the repayment schedule in due course.

Notes:

(1) For determining the above mentioned limits, off-balance sheet exposures be converted in to credit risk by applying the conversion factors explained hereinabove.

(2) The investment in debentures for the above purpose be treated as credit and not investment.

(3) The above ceilings on credit/investments shall be applicable to the own group of the housing finance company as well as to the other group of borrowers/investee companies.

#### CHAPTER IV - DIRECTIONS TO AUDITORS

##### **Auditor's report to contain specified matters**

29. In addition to the report made by the auditor under section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on the accounts of a housing finance company after the commencement of these Directions, the auditor shall make a report to the Board of Directors of the company on the matters specified in paragraphs 30 and 31 below.

##### **Matters to be included in the auditor's report**

30. The auditor's report on the accounts of a housing finance company shall include a statement on the following matters, namely :

(i) where the housing finance company was incorporated before 12<sup>th</sup> June, 2000 - whether it has applied for registration as required under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 and whether it has received any communication from National Housing Bank about grant or refusal of certificate of registration to it;

(ii) where the housing finance company was incorporated on or after 12<sup>th</sup> June, 2000 - whether it has obtained a certificate of registration from National Housing Bank;

(iii) whether the housing finance company has complied with the liquidity requirements as specified under Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987 and kept the securities with the designated bank;

(iv) whether the housing finance company has complied with Section 29C of the National Housing Bank Act, 1987;

(v) whether the housing finance company has complied with the provisions of these Directions;

(vi) whether the capital adequacy ratio as disclosed in the return submitted to National Housing Bank has been correctly determined and whether such ratio is in compliance with the minimum capital to risk weighted asset ratio as prescribed by the National Housing Bank in these Directions;

(vii) where the housing finance company is accepting/holding public deposits - whether

(a) public deposits accepted by the housing finance company are within admissible

(b) total borrowings of the housing finance company i.e. deposits inclusive of public deposits together with the amounts referred to in sub-clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 and loans or other assistance from the NHB are within the limit prescribed in these Directions;

- (c) the deposits in excess of the admissible limit held by the housing finance company have been regularised in the manner stipulated by National Housing Bank;
- (d) the credit rating for deposits i.e. \_\_\_\_\_ (mention the rating) assigned by the credit rating agency viz., \_\_\_\_\_ (name of the agency) on \_\_\_\_\_ (the date) is in force and the aggregate amount of deposits outstanding as at any point during the year has exceeded the limit specified by the rating agency;
- (e) the housing finance company has defaulted in paying to its depositors the interest and/or principal amounts of deposits after such interest and/or principal became due;
- (f) in case of opening of new branches or offices for acceptance of public deposits or closure of branches or offices, the housing finance company has complied with the relevant provisions of these Directions;
- (viii) where the housing finance company is not accepting public deposits- whether
- (a) the Board of Directors has passed a resolution for non-acceptance of any public deposits;
- (b) the company has accepted any public deposits during the relevant period/year;
- (c) the company has complied with prudential norms.

#### **Reasons to be stated for unfavourable or qualified statement**

31. Where, in the auditor's report, the statement regarding any of the items referred to in paragraph 30 above is unfavourable or qualified, the auditor's report shall also state the reasons for such unfavourable or qualified statement, as the case may be. Where the auditor is unable to express any opinion on any of the items referred to in paragraph 30 above, the auditor's report shall indicate such fact together with reasons therefor.

#### **Obligation of auditor to report to the National Housing Bank**

32. Where, in the case of a housing finance company, the statement regarding any of the items referred to in paragraph 30 above is unfavourable or qualified or in the opinion of the auditor the company has not complied with the provisions of these Directions or the provisions of chapter V of the National Housing Bank Act, 1987, it shall be the obligation of the auditor to make a report containing the details of such unfavourable or qualified statements and/or about the non-compliance, as the case may be, in respect of the company to head office of the National Housing Bank at New Delhi.

### **CHAPTER V - MISCELLANEOUS**

#### **Loans against housing finance company's own shares prohibited**

33. (1) No housing finance company shall lend against its own shares.

(2) Any outstanding loan granted by a housing finance company against its own shares on the date of commencement of these Directions shall be recovered by the housing finance company as per the repayment schedule.

#### **Housing finance companies failing to repay public deposit prohibited from making loans and investments**

34. A housing finance company which has failed to repay any public deposit or part thereof in accordance with the terms and conditions of such deposit, as provided in section 36A(1) of the National Housing Bank Act, 1987, shall not grant any loan or other credit facility by whatever name called or make any investment or create any other asset as long as the default exists.

#### **Constitution of Audit Committee**

35. A housing finance company having assets of Rs. 50 crore and above as per its last audited balance sheet shall constitute an Audit Committee consisting of not less than three non-executive Directors of the Board.

#### **Accounting year**

36. Every housing finance company shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year with effect from the accounting year ending on March 31, 2002:

Provided that if the accounting year of any housing finance company ends on any date other than March 31, 2002, such housing finance company shall prepare its balance sheet and profit and loss account for any fraction of the year ending on March 31, 2002.

#### **Copies of balance sheet and accounts together with the Directors' report to be furnished to the National Housing Bank.**

37. Every housing finance company shall deliver to the National Housing Bank an audited balance sheet as on the last date of each financial year and audited profit and loss account in respect of that year as passed by the housing finance company in General Meeting together with a copy of the report of the Board of Directors laid before the housing finance company in such meeting in terms of Section 217(1) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) within 15 days of such meeting as also a copy of the report and the notes on accounts furnished by its Auditors.

#### **Auditor's Certificate**

38. Every housing finance company holding/accepting public deposits shall furnish to the National Housing Bank, along with the copy of the audited balance sheet as provided under paragraph 37, a copy of the auditor's report to the Board of Directors and a certificate from its auditors to the effect that the full amount of liabilities to the depositors of the company including interest payable thereon are properly reflected in

the balance sheet and that the company is in a position to meet the amount of such liabilities to the depositors.

### **Returns to be submitted to the National Housing Bank**

39. (1) Without prejudice to the provisions of paragraph 37, every housing finance company shall submit to the National Housing Bank an annual return furnishing the information specified in Schedule I to these Directions with reference to its position as on 31<sup>st</sup> March every year, a half yearly return furnishing the information specified in Schedule II to these Directions with reference to its position as on 30<sup>th</sup> September and 31<sup>st</sup> March every year and a quarterly return furnishing the information specified in Schedule III with reference to its position as at the end of every calendar quarter.

(2) (i) Every housing finance company shall, within one month from the commencement of business, deliver to the National Housing Bank, a written statement containing a list of -

- (a) the names and official designations of its principal officers;
- (b) the complete postal address, telephone number/s and fax number/s of the registered/ corporate office;
- (c) the names and office addresses of the auditors of the company;
- (d) the names and the residential addresses of the directors of the housing finance company; and
- (e) the specimen signatures of the officers authorised to sign on behalf of the housing finance company, returns specified in sub-paragraph (1).

(ii) any change in the list referred to in clause(i) of this sub-paragraph shall be intimated to the National Housing Bank within one month from the occurrence of such change.

### **Balance-sheet, returns, etc. to be submitted to the office of National Housing Bank at New Delhi**

40. Any balance sheets, returns or information required to be submitted or furnished to the National Housing Bank in pursuance of these Directions shall be submitted or furnished to the office of National Housing Bank at New Delhi.

### **Exemptions**

41. The National Housing Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extensions of time to comply with or exempt any housing finance company or class of housing finance companies, from all or any of the provisions of these Directions either generally or for any specified period subject to such conditions as the National Housing Bank may impose.

### Interpretations


42. For the purpose of giving effect to the provisions of these Directions, the National Housing Bank may, if it considers necessary, issue necessary clarifications in respect of any matter covered herein and the interpretation of any provision of these Directions given by the National Housing Bank shall be final and binding on all the parties concerned.

### Saving of action taken or that may be taken for contravention of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989

43. It is hereby clarified that the supercession of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989, as amended from time to time, shall not in any way affect:

- (i) any right, obligation or liability acquired, accrued or incurred thereunder;
- (ii) any penalty, forfeiture, or punishment incurred in respect of any contravention committed thereunder;
- (iii) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid.

and any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued, or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if those Directions had not been superceded.

  
(Shekhar Agarwal)  
Chairman

**SCHEDULE I**

(See paragraph 39 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001)

Annual Return as on March 31, \_\_\_\_\_

**(Read instructions carefully before filling the return)**

To be filled by National Housing Bank (NHB)	
File No.	
ID No.	
Nature of Business	
District Code	
State Code	

1. Name of the Company		
Income Tax PAN		
2. Full address of the		
(i) Registered Office: _____		
_____ PIN _____		
Telephone _____ Fax _____ e-mail _____		
Telex _____ Telegraphic address _____		
(ii) Head/Administrative Office*: _____		
_____ PIN _____		
Telephone _____ Fax _____ e-mail _____		
Telex _____ Telegraphic address _____		
3. Whether a Government Company :		Yes/No
4. State/Union Territory in which the company is registered :		
5. Status +	(i) Public Ltd. [ ]	(ii) Deemed Public Company [ ]
	(iii) Private Ltd. [ ]	(iv) Branch of a Foreign company [ ]
DD MM YYYY		
6. Date of (i) Incorporation		[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]
(ii) Commencement of business		[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]
(iii) Financial year of the company		[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]
7. (i) Principal object of the company as mentioned in its Memorandum of Association:		
(ii) Principal business transacted by the company during the year under reporting:		
(iii) Other business transacted by the company during the year under reporting:		
8. Whether the company has applied for registration in terms of the National Housing Bank Act, 1987:		Yes/No
If yes, give the date of application and if already registered, _____		

give the Registration no. allotted by the National Housing Bank	
9.No.of branches/offices $\beta$	
10. Total number of employees, (i) Full time :	
(ii) Part time	
(iii) Honorary basis :	
11. Whether shares of the company are listed on any stock exchanges	Yes/No
If yes furnish the name/s of the stock exchange/s	
12. Whether the Half-yearly Return on prudential norms as on the date of this return has been submitted to the NHB. If yes, give the date of furnishing the return	Yes/No
13. (a) Whether the company at the beginning of the financial year to which the return pertains, was holding any credit rating/s for its fixed deposits ?	Yes/No
If yes, give the following details :	
(i) Name of the rating agency :	
(ii) Rating awarded by such agency :	
(iii) Date of such rating and its validity period :	
(b) Whether the company during the financial year to which the return pertains obtained any credit rating/s for its fixed deposits ?	Yes/No
If yes, give the following details :	
(i) Name of the rating agency :	
(ii) Rating awarded by such agency :	
(iii) Date of such rating and its validity period	
(c) Whether during the financial year to which the return pertains, there was any change in the credit rating/s mentioned in (a) or (b) above ?	Yes/No
If yes, give the following details	
(i) Name of the rating agency :	
(ii) Rating awarded by such agency :	
(iii) Date of such rating and its validity period :	
(iv) Reasons for variation in credit rating, if any :	
14. Whether a holding company or a subsidiary $\delta$	
15. Whether the company is a joint venture:	Yes/No
16. Name/s and address/es of the company's promoters/ promoting institutions and the shareholding pattern	_____
[Enclose separate sheet, if necessary]	_____
17. Name/s and address/es of the company's auditors	_____
	_____
	_____
	_____

Telephone_____ Fax _____	
Membership No. _____	
18. Name/s and address/es of the company's bankers [Enclose separate sheet, if necessary]	_____ _____ _____
19. Name/s and address/es of the present directors [Enclose separate sheet, if necessary]	_____ _____ _____
20. Whether the company has created a reserve fund in terms of Section 29C of the National Housing Bank Act, 1987 :	Yes/No
If yes give the following details of such reserve fund for the financial year to which the return pertains :	
(i) Amount outstanding at the beginning of the year :	
(ii) Amount transferred to the fund during the year :	
(iii) Whether any amount was appropriated from the reserve fund during the year:	Yes/No
If yes, (a) the amount appropriated	
(b) purpose of appropriation	
(c) date of reporting the appropriation to NHB	
(iv) Amount outstanding as on the date of this return	

\* If it is a place other than the Registered Office.

+ Tick the box which is applicable.

β A list showing the names and addresses of the places where the branches/offices of the company are situated should be enclosed.

\$ If it is a subsidiary, the name of the holding company may be indicated.

## PART - 1

## (A)

## Particulars of Public Deposits Outstanding as on March 31, \_\_\_\_

(Amount in lakhs of rupees)

Item No.	PARTICULARS	Item Code	No. of Accounts	Amount
1	2	3	4	5
1.	Deposits from public in the form of fixed deposits, recurring deposits, etc.	111		
2.	(i) Deposits received by a public company from its shareholders	112		
	(ii) Deposits received by a private limited company from joint shareholders other than the first named shareholder	113		
3.	Money received by issue of non-convertible unsecured debentures (See instruction no. 13)	114		
4.	Total (1+2+3)	110		
5.	Any other deposits not included in part 2 of the Schedule	120		
6.	Total (4+5)	130		
7.	Of the total deposits at item 6 above, those			
	(i) Repayable on demand or on notice*	141		
	(ii) For a period less than 12 months.*	142		
	(iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.	143		
	(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months.	144		
	(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.	145		
	(vi) For a period of 60 months	146		
	(vii) For a period more than 60 months but less than 84 months	147		
	(viii) For a period of 84 months.	148		
	(ix) For a period more than 84 months*	149		
8.	Total [7(i) to (ix)] should tally with 6 above	140		
9.	Of the total deposits at item 6 above, those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any)Φ (Rate of interest : percent per annum)			
	(i) Free of interest	151		
	(ii) Below 6%	152		
	(iii) 6% or more but less than 9%	153		
	(iv) 9% or more but less than 11%	154		
	(v) 11% or more but less than 13%	155		
	(vi) 13% or more but less than 14%	156		
	(vii) At 14%	157		
	(viii) More than 14%*	158		

10.	Total [9(i) to (viii)] should tally with item 6 above	150		
11.	Break-up of deposits at item 6 above according to the size of deposits			
	(i) upto Rs.5,000	161		
	(ii) Rs.5,001 to Rs.10,000	162		
	(iii) Rs.10,001 to Rs.25,000	163		
	(iv) Rs.25,001 to Rs.50,000	164		
	(v) Rs.50,001 to Rs.100,000	165		
	(vi) Over Rs.100,000*	166		
12.	Total [11(i) to (vi)] should tally with item 6 above	160		
13.	Of the total deposits at item 6 above			
	(i) those which have matured but not claimed	171		
	(ii) those which have matured and claimed but not paid	172		
14.	Of the deposits of the type at item 4 above			
	(i) deposits outstanding at the beginning of the year	181		
	(ii) deposits accepted/renewed during the year	182		
	(iii) deposits repaid during the year	183		
	(iv) deposits outstanding at the end of the year	184		
15.	Of the deposits of the type at item 5 above			
	(i) deposits outstanding at the beginning of the year	191		
	(ii) deposits accepted/renewed during the year	192		
	(iii) deposits repaid during the year	193		
	(iv) deposits outstanding at the end of the year	194		
16.	Of the total deposits at item 6 above, deposits received from non-resident Indians	195		

## (B)

## Particulars of Deposits Mobilised [Items 14 (ii) and 15 (ii) of Part - 1(A)] During the Reporting Period

(Amount in lakhs of rupees)

Item No.	PARTICULARS	Item Code	No. of Accounts	Amount
1	2	3	4	5
1.	Of the total deposits at item no.14 (ii) of Part-1(A), those (i) Repayable on demand or on notice*	111.1		
	(ii) For a period less than 12 months.*	112.1		
	(iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.	113.1		
	(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months.	114.1		
	(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.	115.1		
	(vi) For a period of 60 months	116.1		
	(vii) For a period more than 60 months but less than 84 months	117.1		

	(viii) For a period of 84 months.	118.1		
	(ix) For a period more than 84 months*	119.1		
2.	Total [1 (i) to (ix)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A)	110.1		
3.	Of the total deposits at item.no. 15 (ii) of Part -1(A)			
	(i) Repayable on demand or on notice*	121.1		
	(ii) For a period less than 12 months.*	122.1		
	(iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months.	123.1		
	(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months.	124.1		
	(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months.	125.1		
	(vi) For a period of 60 months	126.1		
	(vii) For a period more than 60 months but less than 84 months	127.1		
	(viii) For a period of 84 months.	128.1		
	(ix) For a period more than 84 months*	129.1		
4.	Total [3 (i) to (ix)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)	120.1		
5.	Of the total deposits at item 14 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>Φ</sup> (Rate of interest : % per annum)			
	(i) Free of interest	131.1		
	(ii) Below 6%	132.1		
	(iii) 6% or more but less than 9%	133.1		
	(iv) 9% or more but less than 11%	134.1		
	(v) 11% or more but less than 13%	135.1		
	(vi) 13% or more but less than 14%	136.1		
	(vii) At 14%	137.1		
	(viii) More than 14%*	138.1		
6.	Total [5 (i) to (viii)] should tally with 14 (ii) of Part-1(A)	130.1		
7.	Of the total deposits at item 15 (ii) of Part-1(A), those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) <sup>Φ</sup> (Rate of interest : % per annum)			
	(i) Free of interest	141.1		
	(ii) Below 6%	142.1		
	(iii) 6% or more but less than 9%	143.1		
	(iv) 9% or more but less than 11%	144.1		
	(v) 11% or more but less than 13%	145.1		
	(vi) 13% or more but less than 14%	146.1		
	(vii) At 14%	147.1		
	(viii) More than 14%*	148.1		
8.	Total [7 (i) to (viii)] should tally with 15 (ii) of Part-1(A)	140.1		
9.	(a) Amount of brokerage paid	151.1		
	(b) Expenses reimbursed to brokers	152.1		
	(c) Amount of deposits mobilised by payment of	153.1		

brokerage		
-----------	--	--

- ⊕ A statement showing the rates of interest offered as also the rates of brokerage paid on different types of deposits according to their periods i.e. exceeding 12 months, 24 months, 36 months etc. should also be submitted along with this part of the return.
- \* Details should be furnished separately.

**PART - 2****Particulars of Borrowings and of Deposits not Included in Public Deposits as on March 31, \_\_\_\_\_**

(Amount in lakhs of rupees)

Item No.	PARTICULARS	Item Code	No. of Accounts	Amount
1	2	3	4	5
1.	Money received from the Central or State Government(s) or money received from others, the repayment of which is guaranteed by the Central or State Government (s) or money received from a local authority.	221		
2.	Money received from -			
	(a) Foreign Government	222		
	(b) Foreign Authority	223		
	(c) Foreign Citizen or person	224		
	Total [(a)+(b)+(c)]	225		
3.	Borrowings from National Housing Bank	226		
4.	Borrowings from -			
	(a) banks	227		
	(b) other financial institutions specified in the Directions	228		
5.	Money received from any other company	229		
6.	Money received from directors/relatives of directors	230		
7.	Money received by a private company from its shareholders (in case of joint shareholders, money received from the first named shareholder only to be included)	231		
8.	Money received from employees of the company by way of security deposit.	232		
9.	Money received by way of security or advance from purchasing, selling or other agents in the course of company's business or advance received against orders for supply of goods or properties or for rendering of services.	233		
10.	Money received by issue of debentures secured by mortgage of immovable properties or convertible debentures	234		
	Of the above, debentures subscribed by banks [see also item No.(3) of Part -1(A)]	235		
11.	Money received by way of subscription to any shares or secured debentures pending allotment or			

	money received by way of calls in advance on shares in accordance with the Articles of Association of the company so long as such amount is not repayable to the shareholders under the Articles of Association of the company.	236		
12.	Money brought in by promoters by way of unsecured loans in pursuance of stipulations of lending institutions	237		
13.	Commercial Papers	238		
14.	Money received from a mutual fund	239		
15.	Money received as hybrid debt or subordinated debt having maturity period of sixty months or above	240		
16.	Total (221+225 to 234+236 to 240 )	250		

## PART - 3

Statement Showing the "Net Owned Funds" As On March 31, \_\_\_\_\_

(Amount in lakhs of rupees)

Item No.	PARTICULARS	Item Code	Amount
1	2	3	4
1.	Paid-up Equity Capital	311	
2.	Preference shares which are compulsorily convertible into equity	312	
3.	Free reserves		
	(a) General Reserves	313	
	(b) Share premium	314	
	(c) Capital Reserves (representing surplus on sale of assets held in separate account)	315	
	(d) Debenture redemption reserve	316	
	(e) Capital redemption reserve	317	
	(f) Credit balance in P & L account	318	
	(g) Reserves under Section 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961	319	
	(h) Other free reserves (to be specified)	319.1	
4.	Total (311 to 319.1)	310	
5.	Accumulated balance of loss	321	
6.	Deferred revenue expenditure	322	
7.	Other intangible assets	323	
8.	Total (321 to 323)	320	
9.	Owned Funds (310-320)	330	
10.	Book value of investment in shares of :		
	(a) Subsidiaries	341	
	(b) Companies in the same group	342	
	(c) Other housing finance institutions which are companies. (Details to be furnished in separate Annexure)	343	
11	Book value of investments in debentures and bonds of :		
	(a) Subsidiaries	344	
	(b) Companies in the same group	345	





**PART - 4.2**  
**Term Wise Break up of Housing Loans (Item Code 410 of Part - 4)**

Term of the loan	Housing loans to individuals		Housing loans to corporate bodies	
	No.	Amount	No.	Amount
Upto 1 year				
Above 1 year & upto 3 years				
Above 3 years & upto 5 years				
Above 5 years & upto 7 years				
Above 7 years				

**PART - 5**  
**Statement Showing Investments at Book Value as on March 31, \_\_\_\_\_**

(Amount in lakhs of rupees)

Item no.	PARTICULARS	Item Code	Amount
1	2	3	4
1.	Investment in shares of		
	(a) Subsidiaries	511	
	(b) Companies in the same group	512	
	(c) Other housing finance institutions which are companies	513	
2.	Investment in debentures, bonds and commercial papers of		
	(a) Subsidiaries	514	
	(b) Companies in the same group	515	
3.	Investments in shares of and debenture/ bonds and commercial papers issued by companies and contribution to the capital of firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest. (Details to be furnished in separate Annexure)	516	
4.	Shares, debentures/bonds and commercial papers of other companies	517	
5.	Other Investments		
	(i) Fixed deposits with banks/certificates of deposits issued by banks	518	
	(ii) Deposits in any other deposit account with banks	519	
	(iii) Securities of central/state governments and bonds guaranteed by central/state governments	520	
	(iv) Units of Unit Trust of India	521	
	(v) Others (Please furnish a list showing book value and market value)	522	
6.	Total [511 to 522]	500	

**Certificate****\*Manager's/ Managing Director's/ Authorised Official's Certificate:**

1. Certified that the directions contained in The Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 are being complied with.
2. Further certified that the particulars/information furnished in this return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Date :

Signature of Manager/Managing

Place:

Director/Authorised Official\*

Name:

Designation :

\*Strike off whichever is not applicable.

**Auditor's Report**

We have examined the books of account and other records maintained by \_\_\_\_\_ in respect of the data furnished in this return and report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and shown by the records examined by us, the data furnished in this return are correct.

Place :

Date :

Chartered Accountants

**Enclosures to the return**

The following documents should be submitted along with the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the document enclosed and state the date of submission if already submitted.

- |   |  |
|---|--|
| (1) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this return          |  |
| (2) Specimen signature card (Please see instruction no. 5)  |  |
| (3) A copy of the application form referred to in paragraph 6 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 |  |
| (4) A list of principal officers and the names and addresses of directors   |  |
| (5) Auditor's certificate as required in paragraph 38 of the Directions   |  |

### Instructions for Filling and Submission of the Return

#### General

1. The return after compilation, should be submitted by a housing finance company once a year as early as possible after March 31 and latest by September 30 with reference to its position as on March 31 irrespective of the date of closing of the financial year of the company, to the Head office of the National Housing Bank, New Delhi as specified in paragraph 40 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001. A certificate from the auditors of the company as required in terms of paragraph 38 of the Notification should be appended to the return.
2. The submission of the return should not be delayed for any reason such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of accounts of the company.
3. The return wherever possible should be sent in a floppy diskette (floppy size 3.5, data structure Excel/dbase IV) together with a hard copy duly signed.
4. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts should be given in lakhs of rupees rounded off to two decimal positions.
5. The return should be signed by the Manager (as defined in Section 2 of the Companies Act, 1956) and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the National Housing Bank for the purpose. In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature may be furnished separately.
6. All particulars asked for in the Schedule should be filled up without leaving any part/item blank. In case there is nothing to report in any part/item of the return, it should be marked "Nil" and if any part/item is not relevant or applicable, it should be marked "NA".
7. The date to which the return pertains should invariably be filled up in the first page as well as in all the parts of the Schedule at the appropriate place.
8. "Subsidiaries" shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
9. A body corporate shall be deemed to be in the same group as the investing company if the body corporate is the managing agent of the investing company or if the body corporate and the investing company are under the same management.
10. "Substantial interest" means holding of a beneficial interest by an individual or his/her spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares of a company, the amount paid up on which exceeds ten per cent of the paid up capital of the company or total capital subscribed by all the partners of a partnership firm.

#### Part - 1(A)

11. If the company is a public company and a declaration as specified in instruction no.18 has not been obtained from its directors, such deposits should be shown against item 2.
12. The amount in respect of non-convertible portion of the debentures which are partly convertible and partly non-convertible, may be included under item 3 and the convertible portion may be shown against item 10 of Part 2.
13. Non-convertible unsecured debentures subscribed to by banks and institutions mentioned under clauses (iii) and (iv) of Section 45 I (bb) of the Reserve Bank of India Act, 1934 should not be included under item 3. Such amount should be included under item 4 of Part 2.
14. The period-wise classification of deposits should be made against the various heads under item 7 according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the periods they have run as from March 31 i.e. the date of return.
15. In item 11, the number of accounts and the amounts should be calculated in respect of each range of deposits.

16. Under item 13, if the aggregate amount of deposits not repaid exceeds Rs.5 lakhs, the reasons for non-payment of each deposit and the steps taken for repayment should be indicated in an Annexure.

17. The amounts shown in Part-2 should not be included in this Part.

#### **Part - 2**

18. Only money received from such persons on a declaration in writing that the money has not been given by such person/s out of funds acquired by him/them by borrowing or accepting deposits from another person should be shown against items 6 and 7.

19. Money received from the shareholders of a private company deemed as a public company under section 43A of the Companies Act, 1956, should also be included under item 7 subject to the obtaining of declaration referred to in instruction no. 18 above.

20. The amounts already shown in Part -1(A) should not be included here.

#### **Part -3**

21. Figures relating to net owned funds should be as per the audited balance sheet pertaining to the date of return. In case auditing is not over, figures should relate to the books of accounts for the relevant period.

22. 'Free reserves' shall include balance in share premium account, capital and debenture redemption reserves and any other reserves shown in the balance sheet and created through an allocation out of profits but not being (a) a reserve created for repayment of any future liability or for depreciation on assets or for bad debts, or (b) a reserve created by revaluation of assets of the company.

23. Investment in shares includes investment in fully convertible debentures and/or convertible portion of partially convertible debentures. Investments held either in investment account or stock-in-trade should be included under item 10.

24. Debentures whether held in investment account or by way of stock-in-trade should be included under item 11. Non-convertible debentures, non-convertible portion of partially convertible debentures and optionally convertible debentures should also be included under this item.

25. Credit balance in the profit and loss account should be adjusted by the actual provisions made for NPAs.

#### **Part - 4**

26. Sundry debtors, tax paid in advance and other recoverable items not in the nature of loans and advances should not be shown in this statement.

27. Fixed deposits with other companies should be included under item 2(i) or 2(ii) as the case may be and not in Part 5.

28. Investment in unquoted debentures shall be treated as credit and not investment.

#### **Part - 5**

29. Details of shares, debentures and commercial papers held in investment account or by way of stock-in-trade should be included in this part.

30. Fixed deposits with companies should not be included here but should be shown in Part-4.

31. Investment in unquoted debentures shall be treated as credit and not investment and should not be included in Part-5.

## SCHEDULE II

[See paragraph 39(1) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001]

Half-Yearly Return as on March 31/September 30, \_\_\_\_\_

(To be submitted within two months from close of the half year)

Name of the HFC:	
Company code number	
Registration number	

## PART-A Capital Funds-Tier-I [Amount in rupees lakhs]

Item No.	PARTICULARS	Item Code	Amount
1.	Paid-up Equity Capital	111	
2.	Preference shares which are compulsorily convertible into equity	112	
3.	Free reserves		
	(a) General Reserves	113	
	(b) Share premium	114	
	(c) Capital Reserves (representing surplus on sale of assets held in separate account)	115	
	(d) Debenture redemption reserve	116	
	(e) Capital redemption reserve	117	
	(f) Credit balance in P & L account	118	
	(g) Other free reserves (to be specified)	119	
4.	Total (111 to 119)	110	
5.	Accumulated balance of loss	121	
6.	Deferred revenue expenditure	122	
7.	Other intangible assets	123	
8.	Total (121 to 123)	120	
9.	Owned Funds (110-120)	130	
10.	Book value of investment in shares of :		
	(a) Subsidiaries	141	
	(b) Companies in the same group	142	
	(c) Other housing finance institutions which are companies	143	
11.	Book value of investments in debentures and bonds of		
	(a) Subsidiaries	144	
	(b) Companies in the same group	145	
12.	Outstanding loans and advances to and deposits with		
	(a) Subsidiaries	146	
	(b) Companies in the same group	147	
13.	Total (141 to 147)	140	
14.	Amount of item 140 in excess of 10% of item 130 above	150	
15.	Tier I Capital - Net owned funds (130 - 150)	151	

## PART-B-Capital Funds-Tier- II [Amount rupees in lakhs]

Item Name	Item Code	Amount
(1)	(2)	(3)

(i) Preference shares (other than those compulsorily convertible into equity)	161	
(ii) Revaluation Reserves	162	
(iii) General provisions and loss reserves	163	
(iv) Hybrid capital instruments	164	
(v) Subordinated debt	165	
(vi) Aggregate Tier-II Capital	160	
Total Capital Funds (151+160)	170	

**PART C - Risk Assets & Off-Balance Sheet Items [Amount rupees in lakhs]**

Items	Item code	Amount
(i) Adjusted value of funded risk assets, ie, on-balance sheet items (To tally with Part D)	181	
(ii) Adjusted value of non-funded and off-balance sheet items (To tally with Part E)	182	
(iii) Total risk weighted assets/exposures [total (i) + (ii)]	180	
(iv) Percentage of capital funds to risk weighted assets/exposures: (a) Tier-I capital	191	
(b) Tier-II capital	192	
(c) Total capital	193	

**PART D - Weighted assets, i.e., on-balance sheet items [Amount rupees in lakhs]**

Item description	Item code	Book Value	Risk weight	Adjusted Value
I. Cash and bank balances including fixed deposits & certificate of deposits	210		0	
II. Investments				
(a) Approved securities as defined in the National Housing Bank Act, 1987	221		0	
(b) Bonds of public sector banks and FDs/CDs/ bonds of public financial institutions				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	222		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	223		20	
(c) Unit Trust of India	224		20	
(d) Shares of all companies and debentures/bonds/ commercial papers of companies other than (b) above/units of mutual fund other than (c) above				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	225		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	226		100	
III. Current assets				
(a) Stock on hire (see Note 2 below)				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	231		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	232		100	
(b) inter corporate loans /deposits				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	233		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	234		100	
(c) Loans and advances fully secured by company's own deposits	235		0	
(d) Loans to staff	236		0	

(e) Housing loans to individuals backed by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets and where loan to value ratio does not exceed 75%	237		75	
(f) Other housing loans (including those to individuals but not qualifying under (e))	238		100	
(g) Other loans & advances				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	241		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	242		100	
(h) Bills purchased/discounted				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	243		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	244		100	
(i) Others (to be specified)	245		100	
IV. Fixed assets [net of depreciation]				
(a) Assets leased out				
(i) Amount deducted in item 14 in Part A	251		0	
(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A	252		100	
(b) Premises	253		100	
(c) Furniture & Fixtures	254		100	
V. Other assets				
(a) Income tax deducted at source (net of provisions)	255		0	
(b) Advance tax paid (net of provisions)	256		0	
(c) Interest due on Government securities	257		0	
(d) Others (to be specified)	258		100	
Total weighted assets	200			

## Notes:

1. Netting may be done in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made.
2. Stock on hire should be shown net of finance charges, i.e., interest and other charges recoverable.
3. Assets which have been deducted (item code 150) from owned fund to arrive at net owned fund will have a weightage of '0'.

**PART - E - Weighted non-funded exposures/off-balance sheet items**

Amount rupees in lakhs

Item description	Item code	Book value	conversion factor	Equivalent	Risk weight	Adjusted value
1. Undisbursed amount of housing loans sanctioned	310		50		100	
2. Financial & other guarantees	320		100		100	
3. Shares / debenture underwriting obligations	330		50		100	
4. Partly paid shares/debentures	340		100		100	

5. Bills discounted/rediscounted	350		100		100
6. Lease contracts entered in to but yet to be executed	360		100		100
7. Other contingent liabilities (to be specified)	370		50		100
Total non-funded exposures	300				

Note: Cash margin/deposits shall be deducted before applying the conversion factor where ever applicable.

#### PART- F - Asset classification [Amount rupees in lakhs]

Aggregate of credit exposures and provisioning in respect of them:

Item description	Item code	Amount	Provision required as per directions	Actual provision made
(i) Standard Assets	411			
(ii) Sub-standard assets				
Individual housing loans	412			
Housing loans to corporate/agencies	413			
Lease and hire purchase assets	414			
Other credit facilities	415			
(iii) Doubtful Assets				
Individual housing loans	416			
Housing loans to corporate/agencies	417			
Lease and hire purchase assets	418			
Other credit facilities				
(iv) Loss Assets	419			
Individual housing loans	420			
Housing loans to corporate/agencies	421			
Lease and hire purchase assets	422			
Other credit facilities	423			
Aggregate provisioning	400			
Other provisions in respect of:				
(i) Depreciation of fixed assets	451			
(ii) Depreciation in investments	452			
(iii) Loss/intangible assets	453			
(iv) Provision for taxation	454			
(v) Gratuity /provident fund	455			
(vi) Others ( to be specified)	456			
Total	450			

#### PART G - Particulars regarding investments in and advances to companies/firms in the same group and other HFCs.

Item description	Item code	Amount
(i) Book value of bonds and debentures and outstanding loans and advances to and deposits with subsidiaries and companies	510	

in the same group (Details to be enclosed in separate sheet)		
(ii) Investment in shares of subsidiaries and companies in the same group and all HFCs (Details to be enclosed in separate sheet)	520	
(iii) Investment by way of shares, debentures, loans and advances, leasing, hire purchase finance, deposits etc, in other companies, firms and proprietary concerns where directors of HFC hold substantial interest.	530	

**PART H - Particulars regarding concentration of advances including off-balance sheet exposures and investment to parties including those in Part G above**

Item description	Item code	Amount
(i) Loans and advances including off-balance sheet exposures to any single party in excess of 15 percent of owned fund of the HFC (Details to be enclosed in separate sheet)	610	
(ii) Loans and advances including off-balance sheet exposures to a single group of parties in excess of 25 percent of owned fund of the HFC (Details to be enclosed in separate sheet)	620	
(iii) Investment in a single company in excess of 15 percent of the owned fund of the HFC (Details to be enclosed in separate sheet)	630	
(iv) Investments in the shares issued by a single group of companies in excess of 25 percent of the owned fund of the HFC	640	
(v) Loans, advances to (including debentures, bonds and off-balance sheet exposures) and investment in shares of a single party in excess of 25 percent of owned fund of the HFC	650	
(vi) Loans, advances to (including debentures, bonds and off-balance sheet exposures) and investment in a single party in excess of 40 percent of net owned fund of the HFC	660	

**Notes:**

(1) All these exposure limits are applicable to the HFC's own group as well as to the borrower/investee company's group.

(2) Investment in debentures for this purpose shall be treated as credit and not investment.

**PART I - Particulars regarding investments in premises and unquoted shares**

Item description	Item code	Amount
(i) Investments in premises (land & buildings), except for own use, held by the HFC in excess of 10 percent of the owned fund		
(a) Acquired by the HFC independently	710	
(b) Acquired in satisfaction of its debts	720	
(ii) Investments in unquoted shares except those held in the subsidiaries and companies in the same group in excess of 10 percent of owned fund	730	

**PART J - Credit Rating**

Deposits Instrument	Name of rating agency	Date of rating	Rating assigned	Valid upto	Borrowing limit or conditions imposed by rating agency, if any

Note : A copy of the rating should be furnished along with this return.

**PART K - Particulars on suit filed and decreed debts by the HFC and against it**

Item	Item code	Amount
(i) Loans, advances and other credit facilities for which the HFC has filed suits in any court of law for recovery of its dues including the decreed debts	810	
Pending for over 5 years	811	
Pending for 3 to 5 years	812	
Pending for 1 to 3 years	813	
Pending for less than 1 year	814	
(ii) Out of (i) above, the loans, advances and other credit facilities for which decree has been obtained by the HFC	820	
(iii) Recoveries made in suit filed/decreed debts (including amounts deposited in the court)	830	
(iv) Suit filed and decreed against the company	840	

## Certificate

Certified that

- (1) the data/information furnished in this statement are in accordance with the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001. The statement has been compiled from the books of account and other records of the company and to the best of my knowledge and belief they are correct;
- (2) the company has accepted public deposit and the quantum of such deposit is within the limits applicable to the company;
- (3) the company has not paid interest/brokerage on deposit beyond the ceiling prescribed under the Directions;
- (4) the company has not defaulted in repayment of matured deposit;
- (5) the credit rating for fixed deposits assigned by credit rating agency, viz \_\_\_\_\_ at (rating level) is valid;
- (6) the capital adequacy disclosed in Part C of the return after taking into account the particulars contained in Parts, D, E and F has been correctly worked out;
- (7) classification of assets as disclosed in Part F of the return has been verified and found to be correct. No roll-over/re-phasing of loans, lease and hire purchase transactions and bills discounted beyond due dates has been observed. The substandard or doubtful or loss asset, if upgraded has been done so, in conformity with relevant provisions of the Directions;
- (8) investment in group companies as disclosed in Part G of the return and exposures to individuals/firms/other companies exceeding the credit/investment concentration norms as disclosed in Part H of the half-yearly return and classification of such asset is correct;
- (9) net owned fund as per Tier-I capital of the company has been correctly worked out.

For and on behalf of

(name of the company)

Place:  
Date:Managing Director/  
Chief Executive Officer

Office seal

## Auditor's Report

We have examined the books of accounts and other records maintained by \_\_\_\_\_ Company Limited in respect of the capital funds, risk assets/exposures and risk asset ratio etc., as on \_\_\_\_\_ and statements hereinabove made by the Managing Director/Chief Executive Officer of the company or his authorised representative. We report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and as shown by the record examined by us the figures shown in Parts A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K of the statement hereinabove are correct.

For & on behalf of  
Chartered Accountants  
Membership No. \_\_\_\_\_  
Name of signatory: \_\_\_\_\_

Office Seal

Place:  
Date

## SCHEDULE III

**Return on Statutory Liquid Assets for the  
Quarter ended March/June/September/December, 20.....**

(See Section 29 B of the National Housing Bank Act, 1987 and paragraph 39(1) of the  
Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 )

1.	Name of the Company				
2.	Company Code				
3.	Address of the Registered Office				
		PIN			
	Phone Nos.	Fax No.	e-mail address		
4.	Address of the Corporate/ Head Office				
		PIN			
	Phone Nos.	Fax No.	e-mail address		
5.	Status of registration with NHB in terms of section 29A of the National Housing Bank Act, 1987:				
	i) Number and date of Certificate of Registration if issued by NHB				
	ii) If not registered, indicate whether the application submitted for registration is rejected/ pending				

Part A  
**Details of Public Deposits and Maintenance of Liquid Assets**

I. Details of Public Deposits outstanding as at the end of preceding second quarter i.e. March/June/September/December 20 (Please see Note 1 below):

(Rupees in lakhs)

Sr.No.	Particulars	Item Code	Amount
1.	Deposits received from public in the form of Fixed Deposits, Recurring Deposits etc.	111	
2.	(i) Deposits received from shareholders by a Public Limited Company	112	
	(ii) Deposits received from Joint shareholders other than the first named shareholder by a Private Limited Company.	113	
3.	(i) Money received by issue of Non-convertible unsecured debentures (please see Note 2 below)	114	
	(ii) Any other type of public deposits	115	
4.	<b>Total ( 111 to 115)</b>	<b>100</b>	

II. Details of Liquid Assets maintained:

1.	Minimum amount of liquid assets required to be invested in unencumbered approved securities at ____ % of public deposits shown against item code 100 above	121	
2.	Minimum amount of total liquid assets required to be maintained in form of unencumbered approved securities together with other specified forms of liquid assets at ____ % of public deposits shown against item code 100 above	122	
3.	Liquid assets actually maintained :		
	A. Unencumbered approved securities [details to be furnished as per Annex 1]	123	
	B. In term deposits or certificates of deposits with scheduled banks	124	
	C. In deposits with NHB [details of B and C to be furnished as per Annex 2]	125	
	D. In bonds issued by NHB [details to be furnished as per Annex 4]	126	

	<b>Total (123 to 126)</b>	<b>120</b>	
4.	(a) Name of the designated bank and address where the securities are lodged [details to be furnished as per Annex 3]		
	(b) Amount of securities lodged		
	(i) Book Value	126	
	(ii) Market Value	127	
	Indicate whether the company has maintained the required level of liquid assets on a daily basis during the quarter		
	A. in unencumbered approved securities (please tick)		Yes
			No
	B. on total basis (i.e. investment in unencumbered approved securities together with other specified forms of liquid assets) (please tick)		Yes
			No
	If not, indicate the date wise position of the shortfall during the quarter [as per Annexure 5]		
5.	(a) Whether the requirement of SLR was complied with during the last quarter? (please tick)		Yes
			No
	(b) If not, whether demand for penal interest was made by NHB? (please tick)		Yes
			No
	(c) If yes,		
	(i) amount	128	
	(ii) date of payment thereof	129	

### Part B

#### Information regarding compliance of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 (as amended from time to time)

(Rupees in lakhs)

1.	Net owned fund (as per the last audited balance sheet of the company)	131	
2.	Capital Adequacy Ratio (as per the last audited balance sheet of the company)	132	
3.	<b>Credit rating :</b>		
	i) Rating assigned	133	
	ii) Date of rating	134	
	iii) Name of the Rating Agency	135	

	iv) Whether any change has occurred since the last rating (Please furnish details separately)	136	
4.	Public deposits outstanding as at the close of business on the date of commencement of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001	137	
5.	Quantum of excess public deposits held, if any, by the company as on the date of commencement of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001	138	
6.	Public Deposits outstanding as on date of this return (i.e. last working day of the quarter to which this return relates)	139	
7.	Quantum of public deposits permissible as per the provisions of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 as on date of this return	140	
8.	Quantum of excess public deposits remaining to be regularised on the date of this return	141	
9.	Deposits accepted during the quarter under reference	142	
10.	Deposits renewed during the quarter under reference	143	
11.	Deposits matured but remained unpaid/ not renewed as on the date of this return:		
	(a) No. of accounts	144	
	(b) Amount	145	
12.	Of 11 above, those where orders of authorised officer of National Housing Bank have been received		
	(a) No. of accounts	146	
	(b) Amount	147	
13.	(a) Steps taken/being taken to regularise the excess public deposits within the time frame permitted under the Directions (please furnish details in a separate statement)		
	(b) Steps taken to comply with orders of authorised officer of National Housing Bank (please furnish details in a separate statement)		

**Part C**

**Information relating to opening and closing of branches / offices for collection of deposits**

**(a) List of branches/offices opened:**

Name and address of the branches/offices	Date of opening	Reference No. and date of communication to NHB	Remarks

**(b) List of branches/offices closed:**

Name and address of the branches/offices	Date of publicity	Date of closing	Reference No. and date of communication to NHB	Remarks

We declare that the above information is true and correct.

Place :

Date :  
official

Name and signature of the authorised

**NOTE:**

- For the purpose of this return, assets should be maintained on daily basis and should relate to the public deposit liabilities (including interest accrued thereon) as defined in paragraph 2 (1)(w) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 as on the last working day of the second preceding quarter. For example, the liquid assets to be maintained on each day during the quarter ended 30<sup>th</sup> June 2000 (i.e. 1.4.2000 to 30.6.2000) should relate to the public deposit liabilities as at the close of business on the last working day of the quarter ended 31<sup>st</sup> December 1999.
- The non-convertible unsecured debentures/bonds (other than those subscribed by banks and FIs) including interest accrued thereon should be included under this item.
- The return shall be submitted within fifteen days from the last day of the respective quarter.

**Annexure - 1****List of approved securities held towards liquid assets requirement****(Rupees in lakhs)**

Sr. No.	Name of the security	Amount (at market value or carrying cost as the case may be)	Interest collection dates

**Annexure - 2****List of deposits held with scheduled commercial banks or with National Housing Bank****(Rupees in lakhs)**

Sr. No.	Name of the bank	Address of the bank's branch	Amount (including interest accrued)

**Annexure - 3****Name and address of designated bank(s)**

Sr. No.	Name of the bank	Name of the branch and address	Remarks (Reference no. of letters of information to NHB)

**Annexure - 4****Details of investment in bonds issued by National Housing Bank\***

Serial no.	Description	Amount	Interest collection dates

\*Other than those already included in approved securities (Annexure - 1)





# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 2001 (पौष 8, 1923)

No. 52]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 2001 (Pausa 8, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

## [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued  
by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2001

आवास वित्त कम्पनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001

अधिसूचना सं. एन.एच.बी.एचएफसी.डीआईआर. 1/सीएमडी/2001-- जबकि, इसे लोकहित में आवश्यक समझते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रत्येक आवास वित्त कम्पनी को, 1989 के आवास वित्त कम्पनी (रा.आ. बैंक) निर्देश जारी किए थे।

2. और जबकि, राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कम्पनियों को आय अभिज्ञान, लेखांकन मानक, आस्ति वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता एवं ऋण/निवेश सकेन्द्रण पर विवेक सम्मत मानदंडों से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए थे।

3. और जबकि, राष्ट्रीय आवास बैंक ने 1987 के अधिनियम में राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का 15) के द्वारा आगे संशोधन किया गया है जिससे राष्ट्रीय आवास बैंक जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रख सके और देश में आवास वित्त कंपनियों की ठोस एवं सार्वभौमिक वृद्धि का संवर्धन हो सके।

4. और जबकि, पूर्वोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह वांछनीय समझा जाता है कि उन मामलों के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए जाएं जो मामले आवास वित्त कम्पनियों द्वारा जमा राशियों की स्वीकृति, आय अभिज्ञान, लेखांकन मानकों, आस्ति वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान करने, पूंजी पर्याप्तता, ऋण/निवेश सकेन्द्रण से संबंधित हैं और जिनका पालन आवास वित्त कम्पनियों की ओर से किया जाना है, और जो मामले ऐसी आवास वित्त कम्पनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे तथा उन सहायक एवं प्रासंगिक मामलों से संबंध रखते हैं।

5. अतः अब, राष्ट्रीय आवास बैंक इसे लोकहित में आवश्यक समझते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि देश में उसके लाभ के लिए आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक के सामर्थ्य के प्रयोजन से, निम्नलिखित निर्देश आवश्यक हैं और एतद्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धाराओं 30, 30ए, 31 एवं 33 में प्रदत्त शक्तियों तथा इस दिशा में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों के प्रयोग में तथा उपरोक्त उल्लेखित निर्देशों एवं मार्गनिर्देशों के अधिकरण में यहां आगे विनिर्दिष्ट निर्देश दिए जाते हैं।

अध्याय-1 प्रारंभिक

निर्देशों का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं प्रयोज्यता

1. (1) इन निर्देशों को यथा आवास वित्त कम्पनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 कहा जाएगा। ये सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे। इन निर्देशों में इनके प्रारंभ होने की तारीख के लिये कोई संदर्भ उसी तारीख का संदर्भ माना जाएगा।

(2) अध्याय 4 में अन्तर्विष्ट निर्देश किसी भी आवास वित्त कम्पनी के प्रत्येक लेखापरीक्षक के लिए लागू होंगे।

परिभाषाएं:

2. (1) इन निर्देशों में, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "बैंकिंग कम्पनी" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 (ग) में यथा परिभाषित बैंकिंग कंपनी अभिप्रेत है;

(ख) "अवशिष्ट मूल्य" का अर्थ उस साम्य पूंजी तथा आरक्षित निधि से होता है जिसमें से अमूर्त आस्तियां और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां घटा दी जाएं तथा जिसे निवेशी कंपनी के साम्य शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाए।

(ग) "वहनीय लागत" का अर्थ आस्तियों के बही मूल्य एवं उन पर प्रौढभूत ब्याज किंतु अप्राप्त ब्याज से होता है।

(घ) "कम्पनी" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ (क क) में यथा परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है लेकिन इसमें ऐसी कंपनी शामिल नहीं है जो तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के तहत परिसमापनाधीन है;

(ङ) "चालू निवेश" का अर्थ उस निवेश से होता है जो अनी प्रकृति महज ही वसूली योग्य है तथा जो उस तारीख, जिसको ऐसा निवेश किया जाता है, से एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं रखा जाना अपेक्षित होता है।

(च) "जमाराशि" से वही अभिप्रेत होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ (ख ख) में यथा नियत है;

(छ) "जमाकर्ता" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने किसी आवास वित्त कंपनी में राशि जमा की है, अथवा जो उसका कोई उत्तराधिकारी, वैध प्रतिनिधि, प्रशासक अथवा समनुदेशिनी है।

(ज) "संदिग्ध आस्ति" का अर्थ एक सावधि ऋण अथवा कोईपट्टाकृत आस्ति अथवा कोई किराया खरीद आस्ति, अथवा अन्य कोई आस्ति है जो कि दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक अधिमानक आस्ति रहती है।

(झ) "अर्जन मूल्य" का अर्थ कर उपरांत लाभ के औसत से संगणित किसी साम्य शेयर का मूल्य होता है जिसमें अधिमान लाभांश घटा दिया जाता है और असाधारण एवं गैर आवसी मवों के लिए समायोजित किया जाता है। यह समायोजन तत्काल पूर्वगामी तीन वर्षों के लिए होता है तथा आगे निवेशी कंपनी के साम्य शेयरों की संख्या से विभाजित और निम्नलिखित दरों पर पूंजीकृत किया जाता है-

(i) उत्कृष्ट रूप में निर्माता कंपनी के मामले में, 8 प्रतिशत।

(ii) उत्कृष्ट रूप में व्यापार करने वाली कंपनी के मामले में, 10 प्रतिशत।

(iii) किसी आवास वित्त कंपनी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, 12 प्रतिशत।

टिप्पणी:

यदि कोई निवेश कंपनी घाटे में चलने वाली कंपनी है, तब अर्जन मूल्य यथा शून्य लिया जाएगा;

(ट) "उचित मूल्य" का अर्थ अर्जन मूल्य तथा अवशिष्ट मूल्य के साधन से है।

(ठ) "निर्बध आरक्षित निधियों" में शेयर प्रीमियम खाता, पूंजी और डिबेंचर, शोधन निधि में शेष तथा अन्य कोई आरक्षित निधि शामिल होगी जिसे कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाया या प्रकाशित किया गया हो, जो ऐसी आरक्षित निधि न हो (1) जिसका सृजन भविष्य की किसी देयता के प्रतिसंदाय या आस्तियों के अवक्षयण या अशोध्य ऋणों के लिए किया गया हो अथवा (2) जिसका सृजन कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा किया गया हो;

(ड) "आवास वित्त कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक ऐसी कंपनी होता है जो मुख्य रूप से लेनदेन करती है अथवा चाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में, आवास हेतु वित्त प्रदान करने का व्यापार चलाना उसके प्रधान उद्देश्यों में से एक होता है।

(ढ) "संकर ऋण" का अर्थ उस पूंजी लिखत से है जिसमें ऋण की विशेषताओं के अतिरिक्त साम्य पूंजी की कतिपय विशेषताएं होती हैं।

(ण) "ऋणदाता सार्वजनिक वित्त संस्थान" का अर्थ

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4ए के तहत अथवा इसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्थान; अथवा

(ii) कोई राज्य वित्तीय निगम अथवा कोई राज्य औद्योगिक विकास निगम; अथवा

(iii) कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; अथवा

(iv) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित साधारण बीमा निगम, अथवा

(v) अन्य कोई संस्थान जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक इस दिशा में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(त) "हानिप्रद आस्तियों" का अर्थ -

(i) ऐसी कोई आस्ति जिसकी पहचान आवास वित्त कंपनी अथवा उसको आंतरिक अथवा बाह्य लेखापरीक्षक अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तब तक हानिप्रद आस्ति के रूप में की जाती है, जब तक यह आवास वित्त कंपनी द्वारा बट्टे खाते में नहीं डाल दी जाती है; और

(ii) एक ऐसी आस्ति जो या तो प्रतिभूति के मूल्य में कमी के कारण अथवा प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होने के कारण अथवा उधारकर्ता की ओर से किसी कपटपूर्ण कृत्य अथवा गलती के कारण वसूल नहीं हो सकने की संभावित खतरे से पूरी तरह प्रभावित है।

(थ) "निवल आस्ति मूल्य" का अर्थ है संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा विनिर्दिष्ट योजना के संबंध में वर्तमान में घोषित निवल आस्ति मूल्य।

(द) "निवल बही मूल्य" का अर्थ है-

(i) किराया खरीद आस्ति के मामले में, कुल देय राशि एवं प्राप्त भावी किस्तें, जिनमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों की शेष राशि को घटा कर और आगे इन निर्देशों के अनुच्छेद 24 (2) (1) के अनुसार किए गए प्रावधानों की राशि भी घटा दी जाती है।

(ii) पट्टाकृत आस्तियों के मामले में, यथा प्राप्य लेखा प्रदत्त अतिदेय पट्टा किराए के पूंजी अंश का कुल योग और पट्टा समायोजन लेखा की शेष राशि से यथा समायोजित पट्टाआस्ति का अवक्षयित बही मूल्य होता है।

(घ) "निवल स्वाधिकृत निधि" का अर्थ वह निवल स्वाधिकृत निधि होता है जो उन चुकता अधिमान शेरों जो उन चुकता अधिमान शेरों, जो कि अनिवार्य रूप से साम्य पूंजी में संपरिवर्तनीय है, के सहित, 1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए में परिभाषित है।

(न) "अनुपयोज्य आस्तियां (जिन्हें इन निर्देशों में यथा अनुपयोज्य आस्तियां विनिर्दिष्ट किया गया है) का अर्थ :-

(i) कोई ऋण आस्ति, जिसके संबंध में ब्याज 6 महीने के लिए "विगत देय" रहता है;

(ii) असंदत्त ब्याज सहित कोई सावधि ऋण - जब किस्त 6 महीने से अधिक के लिए अतिदेय हो अथवा जिस पर ब्याज की राशि 6 महीने के लिए विगत देय रही ;

(iii) कोई विनिमय-पत्र जो 6 महीने के लिए अतिदेय रहता है ;

(iv) अत्यावधि ऋणों / अग्रिमों की प्रकृति में, "अन्य वर्तमान आस्तियां" शीर्ष के अधीन, किसी ऋण अथवा किसी प्राप्य पर आय के संबंध में ब्याज, औरजो सुविधा 6 महीने की अवधि के लिए अतिदेय रही ;

(v) आस्तियों की बिक्री अथवा दी गई सेवाएं, अथवा उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के मद्दे कोई देय राशि, जो 6 महीने की अवधि के लिए अतिदेय रही ;

(vi) पट्टा किराया एवं किराया खरीद की किस्तें जो 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए तिदेय हो गई हैं।

(vii) कोई अंतर कंपनी जमाराशि, जिसके संबंध में ब्याज अथवा मूलधन 6 महीने की अवधि में अतिदेय रहा ।

(प) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ ऐसी स्वाधिकृत निधि है जिसमें साम्य शेरों में अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय अधिमान शेरों सहित चुकता पूंजी, निर्बंध आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम लेखा में शेष राशि, आस्तियों की बिक्री की राशि में से उत्पन्न अधिशेष जताने वाली पूंजी आरक्षित निधियां आती हैं, किंतु आस्ति के पुनर्मूल्यन से निर्मित वे आरक्षित निधियां शामिल नहीं हैं, जिनमें से संचित हानि की शेष राशि, अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य तथा आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई है, को घटा दिया जाता है।

(फ) "विगत देय" का अर्थ आय अथवाब्याज की कोई राशि जो देय तारीख से परे 30 दिनों की अवधि के लिए असंदत्त रहती है ।

(ब) "सार्वजनिक निक्षेप" से निक्षेप अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है, अर्थात्:-

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त कोई राशि अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई राशि और जिसका प्रतिसंदाय केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा हो अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक आवास एजेंसी या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकरण या व्यक्ति से प्राप्त राशि;

(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम या

साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियों या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) के तहत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, अधिनियम 1982 के तहत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित विद्युत बोर्ड या तमिलनाडु औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि० या दि इण्डस्ट्रियल फाईनांस कारपोरेशन आफ इंडिया लि० या भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि० या भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि० या भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० या कृषि वित्त निगम लि० या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम लि० या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि० या एशियाई विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) या क्रेडिटैनस्टैल्ट फर वाइडरआफबो (केएफडब्ल्यू) या किसी अन्य संस्था, जिसे इस निमित्त राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, से प्राप्त कोई राशि;

(iii) किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा अन्य कंपनी से प्राप्त राशि;

(iv) शेयर, स्टॉक, बांड या डिबेंचरों का आबंटन लंबित रहने तक उक्त किसी भी शेयर, स्टॉक, बांडों या डिबेंचरों में अभिदान के तौर पर प्राप्त कोई राशि और आवास वित्त कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसरण में शेयरों पर पहले से मांग के रूप में प्राप्त कोई राशि, जब तक कि ऐसी राशि आवास वित्त कंपनी के अंतर्नियमों के तहत सदस्यों को प्रतिसंदेय नहीं है;

(v) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि, जो राशि की प्राप्ति के समय आवास वित्त कंपनी का निदेशक था या किसी गैर सरकारी आवास वित्त कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से प्राप्त कोई राशि या ऐसी गैर-सरकारी आवास वित्त कंपनी द्वारा प्राप्त कोई राशि, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43 क के तहत सार्वजनिक आवास वित्त कंपनी बन गई है और अपने अंतर्नियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित उपबंधों को शामिल करना जारी रखती है:

*परंतु यह कि यथास्थिति, निदेशक या शेयरधारक, जिससे राशि प्राप्त हुई है, राशि देते समय आवास वित्त कंपनी को लिखित रूप में इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत करता है कि यह राशि अन्याय से उधार लेकर या राशियां स्वीकार करके उसके द्वारा अर्जित निधियों में से नहीं दी जा रही हैं;*

इसके अतिरिक्त, यह भी कि किसी प्राइवेट लि० कंपनी के संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, पहले नाम वाले शेयरधारक को छोड़कर उनसे अथवा संयुक्त शेयरधारकों के नाम में प्राप्त धन कंपनी के शेयरधारकों से प्राप्त हुआ धन समझा जाने के लिए ग्राह्य नहीं होगा।

(vi) आवास वित्त कंपनी की किसी अचल सम्पत्ति या किसी अन्य परिसम्पत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऐसे बांडों या डिबेंचरों या उन्हें आवास वित्त कंपनी के शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ जारी किए गए बांडों या डिबेंचरों द्वारा जुटाई गई कोई राशि, परंतु किसी अचल सम्पत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत या अन्य परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत ऐसे बांडों या डिबेंचरों के मामले में, ऐसे बाण्डों या डिबेंचरों की राशि ऐसी अचल सम्पत्ति / अन्य परिसम्पत्ति के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी;

(vii) प्रवर्तकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अध्यक्षीन, ऋणदाता संस्थाओं की शर्तों के अनुसरण में अप्रतिभूत ऋण के रूप में लाई गई कोई राशि, अर्थात् :

(क) यह ऋण ऐसे वित्त का अंशदान करने हेतु प्रवर्तकों की बाध्यता को पूरा करने के लिए ऋणदाता सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसरण में लाया जाता है,

(ख) यह ऋण प्रवर्तकों द्वारा स्वयं / और या उनके संबंधियों द्वारा प्रदान किया जाता है, और न कि उनके मित्रों एवं कारोबार सहयोगियों द्वारा, और,

(ग) इस उपखंड के अन्तर्गत छूट केवल तब तक उपलब्ध होगी, जब तक ऋणदाता सार्वजनिक वित्तीय संस्था के ऋण का प्रतिसंदाय नहीं कर दिया जाता एवं उसके बाद नहीं;

(viii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) विनियमन, 1996 से संचालित म्युचुअल फंड से प्राप्त कोई राशि;

(ix) संकर ऋण अथवा गौण ऋण जिसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि 60 महीने से कम नहीं है, के रूप में प्राप्त कोई राशि

(x) किसी आवास वित्त कंपनी के निदेशक के किसी संबंधी से प्राप्त हुई कोई राशि।

टिप्पणी: निक्षेप केवल जमाकर्ता की ओर दिए गए आवेदन पर स्वीकार किया जाएगा। जिसमें यह घोषणा अन्तर्विष्ट हो कि निक्षेप तारीख पर, वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित एक संबंधी की हैसियत से विनिर्दिष्ट निदेशक से संबंधित है।

(भ) "सार्वजनिक आवास एजेंसी" में ऐसा कोई भी प्राधिकरण शामिल होगा जो किसी नियम द्वारा अथवा उसके तहत भारत में गठित किया गया हो, जो या तो आवास व्यवस्था की आवश्यकता पर कार्यवाही करने और उसे पूरा करने के प्रयोजन में लगा हो या जो शहरों, कार्यालयों और गांवों या दोनों की योजना बनाने, विकास या सुधार करने के प्रयोजन में लगा हो;

(म) "प्रतिभूतियों" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;

(य) "मानक आस्ति" का अर्थ ऐसी आस्ति होती है, जिसके संबंध में मूलधन के पुनर्भुगतान अथवा ब्याज के भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं दिखता है और जिससे कोई समस्या नहीं होती है और न ही इसमें व्यापार से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम ही होते हैं।

(र) "उपमानक आस्ति" का अर्थ

(i) एक ऐसी आस्ति, जिसे दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अनुपयोज्य आस्ति के रूप में वगीकृत किया गया है।

(ii) एक ऐसी आस्ति है, जहां ऋण की कोई किस्त जारी की जाने के बाद ब्याज और / अथवा मूलधन के बारे में करार की शर्तें बातचीत से पुनः तय की गई हैं अथवा पुनर्निर्धारित हुई हैं अथवा एक ऐसी अंतर जमाराशि तक आगे बढ़ायी जाती रही है, पुनः तय की गई अथवा पुनर्निर्धारित शर्तों के अधीन संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष समाप्त हो जाने तक वो "उप मानक आस्ति" मानी जाएगी।

किंतु यह कि जहां किसी परियोजना के पूरी होने में विलंब कारण उस परियोजना को क्रियान्वित करने वाले अभिकरण के नियंत्रण से परे होता है, वहां ब्याज और / अथवा मूलधन के बारे में ऋण करार की शर्तों को परियोजना पूरी होने से पूर्व एक बार पुनर्निर्धारित किया जा सकता है और ऐसे ऋण को इस शर्त के अधीन यथामानक आस्ति समझा जाए कि ऐसे पुनर्निर्धारण की अनुमति केवल एक बार संबंधित आवास वित्त कंपनी के निदेशक मण्डल की ओर से दी जाएगी और यह कि ऐसे ऋण पर नियमित रूप से दिया जाता है और कोई व्यतिक्रम नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी कि जहां प्राकृतिक आपदाएं उधारकर्ता की पुनर्भुगतान करने की क्षमता को कमजोर कर देती हैं, वहां ब्याज और / अथवा मूलधन के बारे में ऋण करार की शर्तों को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है तथा ऐसे ऋणों को यथा उपमानक वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसे ऋणों का वर्गीकरण इसके बाद संशोधित नियम एवं शर्तों के अनुसार संचालित होगा।

(ल) "गौण ऋण" का अर्थ एक पूर्णतया चुकता पूंजी लिखत होती है जो कि अप्रतिभूत तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण बना दिया जाता है और यह प्रतिबंधात्मक खंडों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर अथवा आवास वित्त कंपनी के पर्यवेक्षणीय प्राधिकारी के सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं है। ऐसी लिखत का बही मूल्य बट्टा काटने के अध्यक्षीन होगा, जैसा यहां नीचे दिया जा रहा है:

लिखत की शेष परिपक्वता	बट्टा दर (प्रतिशत)
(i) 1 साल तक	100
(ii) 1 साल से अधिक परंतु 2 साल तक	80
(iii) 2 साल से अधिक परंतु 3 साल तक	60
(iv) 3 साल से अधिक परंतु 4 साल तक	40
(v) 4 साल से अधिक परंतु 5 साल तक	20

जितने तक ऐसा बट्टागत मूल्य टियर-1 पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता है।

(व) "पर्याप्त हित" का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा उसके पत्नी अथवा उसके प्रति अथवा अवयस्क बच्चे का चाहे एकल रूप में अथवा एक साथ मिलकर किसी कंपनी के शेयरों में लाभकारी हित होना जिस पर संदत्त राशि उस कंपनी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अथवा किसी भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी होता है।

(श) "टियर I पूंजी का अर्थ है स्वाधिकृत निधि, जिसमें से अन्य आवास वित्त कंपनियों के शेयरों, ऋणपत्रों, बंधपत्रों में निवेश, सहायक कंपनियों को दिया गया किराया खरीद एवं पट्टा वित्त और उनमें तथा उसकी समूह की कंपनियों में जमा की गई राशियों सहित ऋण एवं अग्रिम जो कि कुल योग में स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक होता है, घटाया गया हो।

(ष) टियर - II पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) अधिमान शेयर (उन्हें छोड़कर जो साम्य पूंजी में अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय हैं) ;
- (ii) 55 प्रतिशत की बट्टागत दर पर पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां;
- (iii) उतनी राशि तक, समान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधियां, जितने तक इन्हें मूल्य में वास्तविक हास, अथवा किसी विनिर्दिष्ट आस्ति में पहचान योग्य संभाव्यहानि के कारण से हुए नहीं माना जा सकता है और जोखिम भारित आस्तियों के एक और एक चौथाई प्रतिशत तक अनायास हानियों को पूरी करने के लिए उपलब्ध हैं।
- (iv) संकरण ऋण
- (v) गौण ऋण

उस सीमा तक, जितने तक कि कुल योग टियर - 1 पूंजी से अधिक नहीं होता है।

(2) प्रयुक्त, किंतु यहां अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें वहां दिया गया है। यहां अथवा अधिनियम में अपरिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में समनुदेशित किया गया है।

(3) (क) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई कंपनी वित्तीय संस्थान है या नहीं तो, केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसे प्रश्न का विनिश्चय किया जाएगा।

(ख) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, कि क्या कोई कंपनी एक आवास वित्त कंपनी है, तो उसका विनिश्चय राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा।

## अध्याय - 2 - सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करना

### निक्षेप स्वीकार करने पर प्रतिबंध

8. (1) ऐसी कोई आवास वित्त कंपनी जिसकी निवल स्वाधिकृत निधि (इसके बाद जिसे नि०स्वा०नि०) 25 लाख रुपए से कम है, सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी।

(2) ऐसी कोई आवास वित्त कंपनी जिसकी निवल स्वाधिकृत निधि 25 लाख रुपए और इससे अधिक है, सार्वजनिक निक्षेप निम्न उल्लेखित सीमा के अतिरिक्त, स्वीकार या नवीनीकरण नहीं करेगी:-

(i) कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि के पांच गुणा से अनधिक, बशर्ते जहां आवास वित्त कंपनी ने वर्ष में कम से कम एक बार किसी अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी से सावधि निक्षेपों के लिए कम से कम "ए" ऋण पात्रता निर्धारण प्राप्त किया हो और ऋण पात्रता निर्धारण की एक प्रति रा०आ०बैंक को भेजी गई हो तथा कंपनी सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो; और

(ii) ऊपर (i) में किए गए उल्लेखनुसार ऋण पात्रता निर्धारण न होने पर, अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के दुगुने या 10 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, से अनधिक जिसमें इन निक्षेपों को स्वीकार या नवीनीकरण करने की तारीख को उसकी बहियों में कोई भी बकाया राशि शामिल होगी बशर्ते (क) वह सभी विवेकसम्मत मानदंडों का अनुपालन कर रही हो, और (ख) पिछले संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15 प्रतिशत से कम न हो।

### अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियां

वर्तमान में अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियों के नाम निम्न प्रकार हैं:

(क) दि क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि० (क्रिसिल)

(ख) इकरा लि०

(ग) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि० (केयर)

(घ) फिच रेटिंग इंडिया प्रा०लि०

(3) किसी भी आवास वित्त कंपनी के निक्षेप, सार्वजनिक निक्षेपों के साथ जिसकी कुल राशि तथा उसके पास रखी गई कोई अन्य राशि जिसका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई की

उपधारा (खख) की धारा (iii) से (vii) में किया गया है, यदि कोई हो, तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण या अन्य सहायता को मिलाकर, उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के दस गुणा से अधिक नहीं होंगे।

(4) जहां आवास वित्त कंपनी इन निर्देशों के आरंभ होने की तारीख को, ऊपर (2) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक सार्वजनिक निक्षेप रखती हो और जो इस पर लागू हैं या ऊपर (3) में उल्लिखित मदों सहित निक्षेप ऊपर (3) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं तो कंपनी —

(क) नए निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी या नए निक्षेप खाते नहीं खोलेगी; अथवा

(ख) मौजूदा निक्षेपों का नवीनीकरण नहीं करेगी या जब किसी आवृत्ति योजना के अन्तर्गत निक्षेप राशि जमा हो रही है, योजना अवधि समाप्त होने के बाद उस योजना के अन्तर्गत किस्तें प्राप्त नहीं करेगी;

(ग) सीमा से अधिक जमा निक्षेपों को परिपक्वता पर पुनर्भुगतान कर कम करेगी।

(5) आवास वित्त कंपनी द्वारा पहले धारित ऋण पात्रता निर्धारण के बाद, "ए" से नीचे के किसी भी ऋण पात्रता निर्धारण स्तर पर होने पर, कंपनी

(i) राष्ट्रीय आवास बैंक को 15 दिनों के भीतर स्थिति की सूचना भेजेगी;

(ii) यदि उसके पास धारित जमाराशि ऊपर अनुच्छेद 3(2) की धारा (ii) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो, तो नए सार्वजनिक निक्षेप तुरंत प्रभाव से स्वीकार नहीं करेगी; एवं

(iii) ऋण पात्रता निर्धारण का स्तर घटने की तारीख से 3 वर्ष के अंदर उल्लिखित सार्वजनिक निक्षेप राशि को उसके देय होने की तारीख पर पुनर्भुगतान करके अथवा अन्यथा, कम करके "शून्य" पर या ऊपर अनुच्छेद 3 (2) की धारा (ii) में उल्लिखित अनुमत्य सीमा, पर जैसा भी मामला हो, लाएगी।

निक्षेपों की अवधि

4. कोई भी आवास वित्त कंपनी कोई भी सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार या नवीनीकरण नहीं करेगी।

(क) जो मांग पर या नोटिस पर संदेय है; या

(ख) जब तक ऐसे निक्षेप उन्हें स्वीकार करने या उनका नवीनीकरण करने की तारीख से कम से कम 12 माह एवं अधिक से अधिक 84 माह उपरांत पुनर्भुगतान के लिए संदेय हो।

स्पष्टीकरण

जब सार्वजनिक निक्षेप किस्तों में हो, तो ऐसे निक्षेप की अवधि की गणना प्रथम किस्त प्राप्ति की तिथि से की जाएगी।

संयुक्त जमाराशियां

5. जहां वांछित हो, जमाराशियां संयुक्त नामों से स्वीकार की जा सकती हैं, जिसमें "आइदर और सर्वाइवर" "नम्बर वन और सर्वाइवर/स", "एनीवन और सर्वाइवर /स", जैसा वाक्य खण्ड हो या नहीं हो।

सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किए जाने वाले आवेदन पत्र में उल्लेखित किए जाने वाले ब्यौरे

6 (i) कोई भी आवास वित्त कंपनी किसी भी सार्वजनिक निक्षेप को उसके द्वारा जारी प्रपत्र पर जमाकर्ता द्वारा लिखित में आवेदन करने के अतिरिक्त, स्वीकार या उनका नवीनीकरण नहीं करेगी, इस प्रपत्र में वह

सभी विवरण होंगे जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं विविध गैर बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 में उल्लिखित हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58क के अन्तर्गत तैयार किया है और इसमें जमाकर्ताओं की विशेष श्रेणी अर्थात् क्या जमाकर्ता आवास वित्त कंपनी का अंशधारक या निवेशक या प्रवर्तक है या सामान्य नागरिक है या कंपनी के निदेशक का संबंधी है, के ब्यौरे भी दिए गए हैं।

(ii) आवेदन फार्म में निम्नलिखित सूचनाएं भी निहित होंगी:

(क) उसके निक्षेप को प्रदान की गई ऋण पात्रता का निर्धारण और आवास वित्त कंपनी की ऋण पात्रता का निर्धारण करने वाली ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम;

(ख) इस आशय का एक विवरण कि आवास वित्त कंपनी द्वारा अपने निक्षेपों को चुकाने में किसी चूक के मामले में, जमाकर्ता राहत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच या जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में जा सकता है;

(ग) इस आशय का कथन कि निक्षेपों में अनुबद्ध निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संपूर्ण निक्षेप या उसके किसी भाग की गैर अदायगी की दशा में, जमाकर्ता राष्ट्रीय आवास बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) इस आशय का एक कथन कि आवास वित्त कंपनी की वित्तीय स्थिति, जैसा कि प्रकट किया गया है और आवेदन फार्म में दिए गए अभ्यावेदन सही और ठीक हैं तथा आवास वित्त कंपनी और उसका निदेशक बोर्ड उसकी शुद्धता और सत्यता के लिए जिम्मेदार है;

(ङ) इस आशय का एक कथन कि आवास वित्त कंपनी की जमाराशि स्वीकार करने की गतिविधियां राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। तथापि, यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए या आवास वित्त कंपनी द्वारा किए गए किसी भी विवरण या अभ्यावेदन या उसके द्वारा व्यक्त की गई किसी भी राय की शुद्धता के लिए, और आवास वित्त कंपनी द्वारा जमाराशि के प्रतिसंदाय / देनदारियों के निर्वहन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है;

(च) उसी समूह की कंपनियों अथवा अन्य हस्तियों अथवा उन व्यापारिक उद्यमों जिनमें निदेशकगण और अथवा आवास वित्त कंपनी पर्याप्त हित रखते हैं रखती हैं, उन कंपनियों से और उनको दी गई निधि एवं गैर निधि आधारिक, दोनों प्रकार की कुल देय राशियों, सुविधाओं से देय कुल राशियों और उनसे तथा ऐसी हस्तियों को निवेश की कुल राशियों से संबंधित जानकारी।

(छ) आवेदन फार्म के अन्त में, लेकिन जमाकर्ता के हस्ताक्षर से पहले जमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित सत्यापन खंड जोड़ा जाएगा "मैंने आवास वित्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय और अन्य विवरणों / तथ्यों / अभ्यावेदनों को पढ़ लिया है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैं अपने जोखिम और इच्छा शक्ति पर आवास वित्त कंपनी के पास रकम जमा कर रहा हूँ।

जमाकर्ताओं का परिचय

7. प्रत्येक आवास वित्त कंपनी नया खाता खोलने या जमाराशि स्वीकार करने से पहले नए जमाकर्ताओं से उचित परिचय प्राप्त करेगी और उस साक्ष्य को अपने अभिलेख में रखेगी जिसके आधार पर उस परिचय पर विश्वास किया गया।

## स्पष्टीकरण:

इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, परिचय से आशय प्रत्याशित जमाकर्ता की पहचान करना होगा और यह काम या तो किसी मौजूदा जमाकर्ता द्वारा या स्थायी खाता संख्या (पैन), चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट या राशन कार्ड के आधारपर किया जा सकता है।

## जमाकर्ताओं को पावतियां देना

8. (1) यदि ऐसा पहले न किया गया हो, तब प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, प्रत्येक जमाकर्ता या उसके एजेंट को प्रत्येक उस राशि, जिसे इन निर्देशों के प्रारम्भ होने की तारीख से पहले या बाद में निक्षेप के रूप में आवास वित्त कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया जाए, की पावती देगी।

(2) इस निमित्त आवास वित्त कंपनी के लिए कार्य करने हेतु पात्र अधिकारी द्वारा उक्त पावती पर विधिवत् हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और वह निक्षेप की तारीख, जमाकर्ता का नाम, जमा राशि के रूप में आवास वित्त कंपनी को प्राप्त हुई राशि का शब्दों और अंकों में कथन करेगा, उस पर देय ब्याज दर और उस तारीख को बताएगा, जिस तारीख को वह राशि प्रतिदेय होगी।

परंतु, यदि ऐसी प्राप्ति किसी आवर्ती जमा की पहली किस्त के बाद की किस्तों से संबंधित हैं, तो उसमें केवल जमाकर्ता / (ओं) का नाम, तारीख और जमा राशि निहित होगी।

## निक्षेपों का रजिस्टर

9. (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी एक या अधिक रजिस्टर रखेगी जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह के बारे में निम्नलिखित ब्यौरे रखे जाएंगे-

- (क) जमाकर्ता या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह, उनके नामितों के नाम व पते,
- (ख) प्रत्येक निक्षेप की तारीख और राशि,
- (ग) प्रत्येक निक्षेप की अवधि और देय तारीख,
- (घ) प्रत्येक निक्षेप पर प्रोद्भूत ब्याज और प्रीमियम की तारीख और राशि,
- (ङ) प्रत्येक पुनर्मुग्तान की राशि व तिथि, चाहे मूलधन, प्रीमियम या ब्याज हो,
- (च) जमाकर्ता द्वारा किए गए दावे की तारीख,
- (छ) पुनर्मुग्तान में पांच कार्यदिवसों से अधिक देरी होने के कारण,
- (ज) निक्षेपों से संबंधित कोई अन्य ब्यौरे।

(2) ऊपर उल्लिखित या एक अधिक रजिस्टर आवास वित्त कंपनी की प्रत्येक शाखा में जहां जमा खाता खोला गया, जमा खातों के बारे में रखे जाएंगे और आवास वित्त कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उसकी सभी शाखाओं का एक समेकित रजिस्टर बनाया जाएगा और उसे उस वित्त वर्ष जिसमें किसी जमा के पुनर्मुग्तान या नवीनीकरण के बारे में सबसे बाद में इंदराज किया गया हो, और जिसके ब्यौरे उस रजिस्टर में हों, की तारीख से कम से कम 8 वर्ष तक अच्छी हालत में रखा जाएगा।

बशर्ते कि, यदि आवास वित्त कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा ( ) में उल्लिखित लेखा बहियां उस उपधारा के प्रावधानों के अनुसार अपने पंजीकृत कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर रखती है, तो यह उप अनुच्छेद का उपयुक्त अनुपालन होगा यदि पूर्वोक्त रजिस्टर ऐसे

किसी अन्य स्थान पर रखे जाते हैं, बशर्ते कि वह आवास वित्त कंपनी कथित उपधारा के प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक को भेजे नोटिस की एक प्रति, नोटिस भेजने की तारीख से 7 दिन के अंदर राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजे।

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सूचना

10. (1) इन निर्देशों के प्रारम्भ की तारीख के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत आवास वित्त कंपनी की सामान्य बैठक में रखी गई निदेशक बोर्ड की प्रत्येक रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण या सूचना शामिल की जाएगी अर्थात् :

(क) आवास वित्त कंपनी के सार्वजनिक निक्षेप खातों की कुल संख्या, जिनका जमाकर्ताओं द्वारा दावा नहीं किया गया है या जिस तारीख को जमा राशि प्रतिसंदाय के लिए देय हुई, उस तारीख के बाद आवास वित्त कंपनी द्वारा उसका संदाय नहीं किया गया है; और

(ख) ऐसे खातों के अंतर्गत देय कुल राशियां, जिनका दावा नहीं किया गया है या पूर्वोक्तानुसार खण्ड (क) में उल्लिखित तारीखों के बाद संदाय नहीं किया गया है।

उपर्युक्त विवरण या सूचना उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख के अनुसार दी जाएगी जिससे वह रिपोर्ट संबंधित है और यदि पूर्ववर्ती उप-पैराग्राफ के खण्ड (ख) में यथा उल्लिखित अदावी या असंवितरित राशि पांच लाख रुपए की कुल राशि से अधिक है तो जमाकर्ताओं या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह को देय राशि और अदावी या संवितरित बकाया राशि की वापसी अदायगी के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में एक विवरण भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

ब्याज दर तथा दलाली और अतिदेय सार्वजनिक निक्षेपों की अधिकतम सीमा

11. (1) कोई भी आवास वित्त कंपनी

(क) 14 प्रतिशत से अधिक वार्षिक ब्याज दर पर किसी सार्वजनिक निक्षेप आमंत्रित, स्वीकार या उसका नवीनीकरण नहीं करेगी। ब्याज का भुगतान या चक्रवृद्धि आधार पर किया जा सकता है, जो एक माह से कम अवधि का नहीं होगा।

(ख) किसी भी दलाल को उसके द्वारा या उसके माध्यम से एकत्र किए गए सार्वजनिक निक्षेपों पर,

(i) इस प्रकार एकत्र की गई जमा राशि से दो प्रतिशत अधिक की दलाली, कमीशन, प्रोत्साहन या अन्य लाभ, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, का भुगतान नहीं करेगी;

(ii) उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित वाउचरों/बिलों के आधार पर इस प्रकार एकत्र की गई जमा राशि के 0.5 प्रतिशत से अधिक की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय नहीं करेगी।

(2) अतिदेय जमा राशि पर ब्याज का भुगतान

कोई भी आवास वित्त कंपनी, अपने विवेक पर, अतिदेय सार्वजनिक जमा राशि पर या उक्त अतिदेय जमा राशि के किसी भाग पर, जमा राशि की परिपक्वता की तारीख से ब्याज की अनुमति दे सकती है, जो इस शर्त के अधीन होगी कि :-

(i) कुल अतिदेय जमा राशि या उसके किसी भाग का, इन निर्देशों के संबंधित उपबंधों के अनुसार, उसकी परिपक्वता की तारीख से किसी भावी तारीख तक नवीकरण किया जाता है; और

(ii) अनुज्ञेय ब्याज ऐसी अतिदेय जमाराशि की परिपक्वता की तारीख को लागू उचित दर पर होगा, जो केवल इस प्रकार नवीकृत जमाराशि पर ही देय होगा:

परंतु, जहां कोई आवास वित्त कंपनी जमाकर्ता द्वारा दावा किए जाने पर, परिपक्वता पर जमाराशि का ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने में असफल रहती है, वहां आवास वित्त कंपनी दावा किए जाने की तारीख से प्रतिसंदाय किए जाने की तारीख तक जमाराशि पर यथा लागू दर पर ब्याज का भुगतान करेगी।

जमाराशियों की वापसी अदायगी के संबंध में सामान्य उपबन्ध

12 (i) कोई भी आवास वित्त कंपनी, सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर किसी भी सार्वजनिक निक्षेप की वापसी अदायगी नहीं करेगी।

(ii) जहां कोई आवास वित्त कंपनी जमाकर्ता (ओं) के अनुरोध पर उपर्युक्त खण्ड (i) में बताई गई अवधि के पश्चात परंतु, परिपक्व होने से पूर्व सार्वजनिक निक्षेप की वापसी अदायगी करती है वहां वह निम्नलिखित दर से ब्याज का भुगतान करेगी:

(क) तीन महीने लेकिन छः महीने की समाप्ति से पहले	कोई ब्याज नहीं
(ख) छः महीने लेकिन बारह महीने की समाप्ति से पहले	दस प्रतिशत वार्षिक से अनधिक
(ग) बारह महीने लेकिन परिपक्वता की अवधि से पहले	उस दर की तुलना में एक प्रतिशत बिन्दु कम, जिस दर पर आवास वित्त कंपनी ने सामान्यतया भुगतान किया होता, यदि जमाराशि उस अवधि के लिए स्वीकार की गई होती जिस अवधि के लिए ऐसी जमाराशि इस्तेमाल की गई थी।

परन्तु किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की सूरत में उत्तरजीवी खण्ड के साथ संयुक्त धारिता के मामलों में उत्तरजीवी जमाकर्ता (ओं) को या नामिती या कानूनी वारिस (वारिसों) को वापसी-अदायगी की तारीख तक संविदागत दर पर ब्याज सहित परिपक्वता की अवधि से सार्वजनिक निक्षेप का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) कोई आवास वित्त कंपनी, सार्वजनिकजमा पर देय ब्याज से दो प्रतिशत बिन्दु अधिक ब्याज दर पर सार्वजनिक जमा की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के पश्चात किसी जमाकर्ता को सार्वजनिक निक्षेप के पचहत्तर प्रतिशत तक ऋण मंजूर कर सकती है।

परिपक्वता से पूर्व निक्षेपों का नवीनीकरण

13 जहां कोई आवास वित्त कंपनी किसी जमाकर्ता को उच्च ब्याज दर का लाभ प्राप्त करने के लिए परिपक्वता से पहले अपनी सार्वजनिक जमाराशि का नवीकरण करने की अनुमति देती है, वहां ऐसी कंपनी, जमाकर्ता को ब्याज दर में वृद्धि का भुगतान करेगी, बशर्ते कि,

(i) सार्वजनिक जमा राशि का नवीकरण इन निर्देशों के अन्य उपबन्धों के अनुसार और मूल संविदा की बाकी अवधि से लम्बी अवधि के लिए किया गया है; और

(ii) सार्वजनिक जमाराशि की समाप्त हुई अवधि का ब्याज, उस दर से एक प्रतिशत बिन्दु कम कर दिया गया है, जिस दर पर आवास वित्त कंपनी ने सामान्यतया भुगतान किया होता, यदि जमाराशि उस अवधि के लिए

स्वीकार की गई होती, जिस अवधि के लिए ऐसी जमाराशि इस्तेमाल की गई थी; पहले ऐसी घटी हुई दर से अधिक भुगतान किया गया कोई भी ब्याज वसूल/समायोजित किया जाएगा।

#### अनुमोदित प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा

14. (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ख के अनुसार विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों को रखना आवश्यक है। इस संबंध में आवास वित्त कंपनी, जहां उसका पंजीकृत कार्यालय है, वहां इस आशय से इसके द्वारा नामित किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को इसका उत्तरदायित्व सौंपेगी।

बशर्ते यह कि आवास वित्त कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को, राष्ट्रीय आवास बैंक से लिखित में पूर्व स्वीकृति लेकर एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस संबंध में विहित की गई शर्तों के अध्यक्षीन, स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को सौंप सकती है।

बशर्ते यह भी कि, जब आवास वित्त कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के अतिरिक्त, किसी अन्य स्थान पर अवस्थित नामित बैंक में संघटक सब्सीडियरी जनरल खाते के रूप में अपनी प्रतिभूतियां रखना चाहती है, तो वह राष्ट्रीय आवास बैंक से लिखित में पूर्व अनुमति लेकर ऐसा कर सकती है

(2) उपर्युक्त उप अनुच्छेद (1) में उल्लिखित प्रतिभूतियां जमाकर्त्ताओं की प्रसुविधा के लिए ऐसे अभिहित बैंक को सौंपी जाती रहेंगी और वह आवास वित्त कंपनी जमाकर्त्ताओं को पुनर्भुगतान करने के अतिरिक्त इन्हें न तो वापस लेगी, न ही भुनाएगी अथवा इनके संबंध में अन्यथा कार्रवाई नहीं करेगी।

किंतु यह तब जबकि,

(1) कोई भी आवास वित्त कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के एक भाग को निकालने की हकदार होगी। प्रतिभूतियों का यह निकाले जाने वाला भाग उसकी जमाराशि में कमी के यथा अनुपात और उसके लेखा परीक्षकों से इस दिशा में विधिवत् अनुप्रमाणित होना चाहिए।

(2) जहां आवास वित्त कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों को प्रतिस्थापित करना चाहती हैं, तो वह ऐसे आहरण से पूर्व अभिहित बैंक को समान मूल्य की प्रतिस्थापन्न प्रतिभूति सौंप कर ऐसा कर सकती हैं।

#### स्पष्टीकरण:

"अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक" से 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में शामिल किसी बैंक से है किंतु कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी बैंक इसमें शामिल नहीं हैं।

#### कर्मचारी प्रतिभूति जमा -

15. अपने सामान्य कारोबार के दौरान, अपने किसी भी कर्मचारी से, उसके कर्तव्यों के उचित निष्पादन के लिए, प्रतिभूति जमा के रूप में कोई भी राशि प्राप्त करने वाली आवास वित्त कंपनी उस राशि को किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में या डाक घर में कर्मचारी और आवास वित्त कंपनी के संयुक्त नाम वाले खाते में इस शर्त पर रखेगी कि :-

- (1) यह कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना राशि नहीं निकालगी; और  
 (2) यह राशि कर्मचारी को ऐसे जमा खाते पर देय ब्याज सहित प्रतिदेय होगी, बशर्ते कि इस या उसके किसी भाग का, कर्मचारी की ओर से उसके कर्तव्यों के उचित निष्पादन में असफल रहने के कारण आवास वित्त कंपनी द्वारा विनियोजन न किया जाना हो।”

#### विज्ञापन और विज्ञापन के बदले विवरण

16. (1) सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के उपबंधों का अनुपालन करेगी और उसके तहत जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित भी विनिर्दिष्ट करेगी:

(क) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में प्रतिफल की वास्तविक दर

(ख) जमाकर्ता को भुगतान करने का ढंग;

(ग) जमाराशियों की परिपक्वता अवधि;

(घ) किसी विनिर्दिष्ट जमाराशि पर देय ब्याज

(ङ) यदि कोई जमाकर्ता, परिपक्वता से पहले जमाराशियां निकालता है तब जमाकर्ता को दिए जाने वाली ब्याज की दर।

(च) वे शर्तें और निबंधन जिनके अध्यक्षीन किरण जमाराशि का नवीकरण किया जाएगा; और

(छ) उन शर्तों और निबंधनों से संबंधित अन्य विशेष बातें जिनके अध्यक्षीन जमाराशियां स्वीकार की जाती हैं/उनका नवीकरण किया जाता है।

(ज) उसी समूह की कंपनियों अथवा अन्य हस्तियों, अथवा व्यापारी उद्यमों, जिनमें निदेशकों और अथवा आवास वित्त कंपनी पर्याप्त हित रखती है से (उनको प्रदत्त गैर निधि आधारिक सुविधाओं सहित) वृत्त देय राशियों तथा ऐसी हस्तियों के निवेश की कुल राशि से संबंधित सूचना।

(2) जहां कोई आवास वित्त कंपनी, सार्वजनिक जमाराशियां आमंत्रित करने के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित किए बिना या उसे अनुमति दिए बिना या उसे इसका निमित्त बनाए बिना जमाराशियां स्वीकार करना चाहती है, वहां यह ऐसी जमाराशियां स्वीकार करने से पहले वह राष्ट्रीय आवास बैंक के नई दिल्ली कार्यालय में पंजीकरण के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के अनुसरण में विज्ञापन में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित सभी विवरणों के विज्ञापन के बदले में एक विवरण प्रस्तुत करेगी और यहां उपर्युक्त उप पैराग्राफ (1) उल्लिखित विवरण, जो पूर्वोक्त नियमों में बताए गए ढंग से विधिवत् हस्ताक्षरित हों।

(3) उप-पैराग्राफ (2) के तहत दिया गया विवरण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 महीने पूरे होने तक वैध होगा जिसमें उसे दिया गया है या उस तारीख तक जब तक कि आवास वित्त कंपनी की सामान्य बैठक में तुलन पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते या जहां किसी वर्ष की वार्षिक सामान्य बैठक नहीं हुई है वहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसार वह अद्यतन तारीख, जिस तारीख तक बैठक हो जानी चाहिए, इनमें से जो भी पहले हो और उस वित्तीय वर्ष में जमाराशियां स्वीकार करने से पहले प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष में नया विवरण दिया जाएगा।

शाखाएं खोलना

17. कोई भी आवास वित्त कंपनी, शाखा या कार्यालय खोलने से पहले, शाखा या कार्यालय खोलने के अपने इरादे के बारे में, लिखित में, राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करेगी।

#### शाखाएं बंद करना

18. निक्षेप स्वीकार करने वाली कोई भी आवास वित्त कंपनी अपनी शाखा / कार्यालय को बंद करने के अपने प्रस्ताव के बारे में 90 दिन पहले राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित किये बिना तथा राष्ट्रीय स्तर के किसी एक समाचार पत्र में और उस स्थान पर प्रसारित किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञापि दिए बिना शाखा / कार्यालय बंद नहीं करेगी।

### अध्याय - 3 विवेक सम्मत मानदंड

#### आय अभिज्ञान

19. (1) आय अभिज्ञान मान्यता प्राप्त लेखांकन के सिद्धान्तों पर आधारित होगा।

(2) ब्याज बट्टा अथवा अनुपयोज्य आस्तियों पर अन्य प्रभारों सहित आय का अभिज्ञान केवल तभी किया जाएगा जब ये वास्तव में वसूल हो जाती हैं। आस्ति में अनुपयोज्य हो जाने और वसूली नहीं होने से पूर्व ऐसी कोई भी आय वापिस की जाएगी।

(3) किराया खरीद आस्तियों के संबंध में, जहां किस्ते 12 महीने से अधिक के लिए अतिदेय हैं, वहां आय का अभिज्ञान केवल तभी किया जाएगा जब किराया प्रभार वास्तव में प्राप्त हो जाते हैं। आस्ति के अनुपयोज्य हो जाने और वसूल नहीं होने से पूर्व लाभ एवं हानि लेखा में जमा करने के लिए ली गई ऐसी किसी अन्य आय को वापिस किया जाएगा।

(4) पट्टा आस्तियों, के बारे में, जहां पट्टा किराये 12 महीने से अधिक के लिए अतिदेय होता है वहां आय का अभिज्ञान केवल तभी किया जाएगा जबकि पट्टा किराया वास्तव में प्राप्त हो जाता है। आस्ति अनुपयोज्य हो जाने एवं वसूल नहीं होने से पूर्व लाभ एवं हानि लेखा में जमा करने को लिया निवल पट्टा वापस किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के प्रयोजार्थ, निवल पट्टा किराए का अर्थ सकल पट्टा किराया होता है जो लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाले गए / जमा किए गए पट्टा समायोजन लेखा से समायोजित किया जाता है और जिसमें से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अधीन लागू दर से अवक्षयण घटा दिया जाता है।

#### निवेश से आय

20 (1) निगमित निकायों एवं म्युचुअल फंड्स की यूनिटों पर लाभांश से हुई आय को नकदी आधार पर लेखा में लिया जाएगा।

किंतु यह तब जबकि, निगमित निकायों के शेयरों पर लाभांश से हुई आय को तब प्रोद्भवन आधार पर लेखा में लिया जाए जब ऐसा लाभांश निगमित निकाय द्वारा अपनी साधारण बैठक में घोषित किया जाता है और भुगतान प्राप्त करने का आवास वित्त कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(2) निगमित निकायों के बंधपत्रों / ऋणपत्रों से तथा सरकार की प्रतिभूतियों / बंधपत्रों से आय को प्रोद्भवन आधार पर लेखा में लिया जाए।

किंतु यह जब, जबकि इन लिखतों पर ब्याज की दर पूर्व अवधारित होती है तथा ब्याज नियमित रूप में प्राप्त होता है और बकाया राशि में नहीं रहता है।

(3) निगमित निकायों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों की प्रतिभूतियों, जिसके ब्याज का भुगतान एवं मूलधन की गारंटी केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार ने दे रखी है, पर आय को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाए।

#### लेखांकन मानक

21. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (जिसे इन निर्देशों में यथा भा0सं0ले0सं0 निर्दिष्ट किया गया है) की ओर से जारी लेखांकन मानक एवं दिशा निर्देश संबंधी टिप्पणियां का वहां तक पालन किया जाएगा, जहां वे इन निर्देशों से असंगत नहीं हैं।

#### निवेश हेतु लेखांकन

22 (1) प्रतिभूतियों में निवेश यथा वर्तमान एवं दीर्घावधि निवेश वर्गीकृत किया जाएगा।

(2) कोई दीर्घावधि निवेश का मूल्य भा0सं0ले0सं0 द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार लगाया जाएगा।

(3) उद्घृत वर्तमान निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन से, निम्नलिखित श्रेणियों में समूहबद्ध किया जाएगा -

(क) साम्य शेयर

(ख) अधिमान शेयर

(ग) ऋणपत्र एवं बंधपत्र

(घ) राजकोष के बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां

(ङ) म्युचुअल फंड्स की यूनिटें, और

(च) अन्य

प्रत्येक श्रेणी के लिए उद्घृत वर्तमान निवेशों, का मूल्य लागत अथवा बाजार मूल्य में से जो अल्पतर है, पर लगाया जाएगा। इन प्रयोजनार्थ, श्रेणी के निवेश को प्रतिभूति, तथा लागत एवं बाजार मूल्य क्रम से माना जाएगा और यह सभी श्रेणियों के निवेशों का योग होगा। यदि किसी श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य उस श्रेणी की कुल लागत से कम होता है तब निवल अवक्षयण प्रदान किया जाएगा अथवा लाभ एवं हानि लेखा में प्रभावित किया जाएगा। यदि किसी श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य उस श्रेणी के लिए कुल लागत से अधिक हो जाता है, तब निवल अवक्षयण की उपेक्षा कर दी जाएगी। निवेशों की एक ही श्रेणी में अवक्षयण को किसी अन्य श्रेणी में अधिमूल्यन के लिए मुजरा नहीं किया जाएगा।

(4) वर्तमान निवेश की प्रकृति में उद्घृत नहीं किए गए साम्य शेयरों का मूल्य लागत अथवा अवशिष्ट मूल्य में से जो भी अल्पतर है, पर किया जाएगा। तथापि, यदि आवास वित्त कंपनियां आवश्यक समझती हैं, तब वे शेयरों के अवशिष्ट (अलग-अलग) मूल्य के लिए उचित मूल्य प्रतिस्थापित कर सकती हैं। जहां निवेशी कंपनी का तुलनपत्र दो वर्षों तक उपलब्ध नहीं होता है, वहां ऐसे शेयरों का मूल्यांकन केवल एक रूप पर किया जाएगा।

(5) वर्तमान निवेश की प्रकृति में उद्धृत नहीं किए गए अधिमान शेयरों का मूल्य लागत अथवा अकित मूल्य निवल आस्ति मूल्य में से जो भी कम है, पर लगाया जाएगा। यदि निवल आस्ति मूल्य नगण्य है, तब इसका मूल्य शून्य पर लगाया जाना चाहिए।

(6) उद्धृत नहीं की गई सरकारी प्रतिभूतियों अथवा सरकारी गारंटीकृत बंधपत्रों में निवेश का मूल्य वहनीय लागत पर किया जाएगा।

(7) वर्तमान निवेशों की प्रकृति में, म्युचुअल फंड्स की यूनिटों में उद्धृत नहीं किए गए निवेश का मूल्य प्रत्येक योजना विशेष के संबंध में म्युचुअल फंड द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर लगाया जाएगा।

(8) वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य वहनीय लागत पर किया जाएगा।

टिपणी: उद्धृत नहीं किए गए ऋण पत्रों को उनकी अवधि अनुसार, आय अभिज्ञान एवं आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए एक दीर्घावधि ऋण अथवा ऋण सुविधाओं के अन्य प्रकार के रूप में माना जाएगा।

#### आस्ति वर्गीकरण

23 (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी भलीभांति परिभाषित ऋण संबंधी कमजोरियों को और वसूली के लिए समर्थक प्रतिभूति पर कितनी निर्भरता है, उसको हिसाब में लेने के बाद, पट्टा / किराया खरीद की अपनी आस्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों तथा ऋण के अन्य रूपों को निम्न लिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी:-

- (i) मानक आस्तियां
- (ii) उप मानक आस्तियां
- (iii) संदिग्ध आस्तियां
- (iv) हानिप्रद आस्तियां

(2) ऊपर निर्दिष्ट किए गए आस्तियों के वर्ग को तब तक पुनर्निर्धारण के एक परिणाम के रूप में समुन्नत नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह उन्नयन के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरी नहीं करता है।

#### प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं

24 प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, किसी लेखा का अनुपयोज्य बन जाने, इस रूप में, उसके अभिज्ञान के बीच समयांतर, प्रतिभूति की वसूली तथा प्रभारित प्रतिभूति के मूल्य में समयोपरि कमी को लेखा में लेने के बाद, उपमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों एवं हानिप्रद आस्तियों के लिए यथा निम्नलिखित प्रावधान करेगी :-

खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों सहित, ऋणों अग्रिमों एवं अन्य ऋण सुविधाएं

(1) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों सहित, ऋणों अग्रिमों एवं अन्य ऋण सुविधाओं के लिए प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं यथा निम्न होंगी-

- 1) हानिप्रद आस्तियां

समस्त आस्तियों को बट्टे खाते डाल दिया जाएगा। यदि आस्तियों को किसी भी कारण से लेखा बहियों में रहने दिया

जाता है, तब 100 प्रतिशत बकाया के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

## 2) संदिग्ध आस्तियां

(क) उतने तक 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा जितने तक अग्रिम उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य में नहीं आ जाता जिसके लिए आवास वित्त कंपनी के पास वैध संसाधन है। वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थ आधार पर किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, उस अवधि जिसमें आस्ति संदिग्ध रही है, पर निर्भर करते हुए प्रतिभूति अंश (अर्थात् बकाया राशियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा -

जिस अवधि में आस्ति यथा संदिग्ध मानी गई	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्षों तक	30
तीन वर्षों से अधिक	50

## 3) उप मानक आस्तियां

कुल बकाया के 10 प्रतिशत का एक सामान्य प्रावधान किया जाना चाहिए।

### पट्टा एवं किराया खरीद की आस्तियां

(2) किराया खरीद एवं पट्टाकृत आस्तियों के लिए प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं यथा निम्न होंगी:-

### किराया खरीद की आस्तियां

(i) किराया खरीद आस्तियों के संबंध में, (अतिदेय तथा भावी किस्तों को एक साथ मिलाकर) कुल देय राशि, जिसमें से लाभ एवं हानि लेखा में जमा नहीं किए गए और अपरिपक्व वित्त प्रभारों के रूप में यथा अग्रणीत, वित्त प्रभारों तथा पूर्वता प्राप्त आस्तियों के अवक्षयित मूल्य को घटाकर प्रावधान किया जाएगा।

### स्पष्टीकरण:

इस प्रयोजन से, आस्ति का अवक्षयित मूल्य अनुमान से संगणित किया जाएगा क्योंकि आस्ति की मूल लागत में से अवक्षयण 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से, एक सीधी रेखा पद्धति में कम कर दिया जाएगा। प्रयोग में आ चुकी आस्तियों के संबंध में, मूल लागत ऐसी प्रयुक्त आस्तियों को अर्जित करने में उपगत वास्तवित लागत होगी।

किराया खरीद एवं पट्टाकृत आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद एवं पट्टाकृत आस्तियों के संबंध में, अतिरिक्त प्रावधान निम्न प्रकार से किया जाएगा:-

- (क) जहां किराया प्रमारों अथवा पट्टा किराए की "शून्य" प्रतिशत कोई राशि 12 महीने तक अतिदेय रहती है -
- (ख) जहां किराया प्रमारों अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत कोई राशि 12 महीने से अधिक किंतु 24 महीनों तक अतिदेय रहती है -
- (ग) जहां किराया प्रमारों अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत कोई राशि 24 महीने से अधिक किंतु 36 महीनों तक अतिदेय रहती है -
- (घ) जहां किराया प्रमारों अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत कोई राशि 36 महीने से अधिक किंतु 48 महीनों तक अतिदेय रहती है -
- (ङ) जहां किराया प्रमारों अथवा पट्टा किराए की निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत कोई राशि 48 महीनों से अधिक के लिए अतिदेय रहती है -

(iii) किराया खरीद पट्टाकृत आस्तियों की अंतिम किस्त की देय तारीख के बाद 12 महीनों की अवधि समाप्त हो जाने पर, संपूर्ण निवल बही मूल्य के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाएगा।

टिप्पणियां:

(क) किराया खरीद करार के अनुसरण में, उधारकर्ता आवास वित्त कंपनी के पास रखी गई अवघड़न राशि मार्जिन राशि प्रतिभूति की राशि को उपर्युक्त खंड (i) के अधीन निर्धारित प्रावधानों के लिए काट ली जाए, यदि करार में मासिक किस्तों को समान बनाते समय पहले से ही हिसाब में नहीं ली गई हैं। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी प्रतिभूति मूल्य की कटौती केवल उपर्युक्त खंड (ii) में निर्धारित प्रावधानों के लिए ही की जाए।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति मूल्य के साथ पट्टा करार के ही अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा आवास वित्त कंपनी के पास रखी गई प्रतिभूति की राशि की कटौती केवल उपर्युक्त खंड (ii) में निर्धारित प्रावधानों के लिए ही की जाए।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुपयोज्य आस्तियों पर आय अभिज्ञान एवं उनके लिए प्रावधान किया जाना, विवेक सम्मत मानदंडों के दो भिन्न प्रश्न हैं तथा मानदंडों के अनुसार प्रावधान, पट्टा समायोजन लेखा में, यदि कोई शेष राशि होती है, तब उसे समायोजित किया जाने के बाद, संदर्भाधीन पट्टाकृत आस्ति के अवक्षयित बही मूल्य सहित अनुपयोज्य आस्तियों की कुल बकाया शेष राशियों पर प्रावधान किया जाना आवश्यक होता है। इस तथ्य, कि अनुपयोज्य आस्तियों पर आय का अभिज्ञान नहीं किया गया है, को प्रावधान नहीं किया जाने का कारण नहीं माना जा सकता है।

(4) इन निर्देशों के अनुच्छेद 2 (1) (र) में यथा निर्दिष्ट कोई आस्ति, जिस पर पुनः बातचीत हो चुकी है अथवा पुनर्निर्धारित की जा चुकी है, एक उप मानक आस्ति होगी अथवा उसी वर्ग में बनी रहेगी जिसमें वह यथा स्थिति, एक संदिग्ध आस्ति अथवा एक हानिप्रद आस्ति के रूप में पुनः बातचीत करके तय किए जाने अथवा पुनर्निर्धारित किए जाने से पूर्व थी। ऐसी आस्ति के लिए यथा लागू आवश्यक प्रावधान तब तक

किया जाना अपेक्षित है, जब तक इसे समुन्नत नहीं किया जाता है। जहां किसी आस्ति को, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं, जिन्हें उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता को क्षीण कर दिया है, के कारण पुनर्निर्धारित किया गया है, जैसा अनुच्छेद 2 (1) (र) के द्वितीय परंतुक में दिया गया है, वहां ऐसे पुनर्निर्धारण से पूर्व किया गया कोई प्रावधान न तो पुनरांकित किया जाएगा, न ही प्रावधान संबंधी ऐसी अपेक्षाओं के लिए समायोजित किया जाएगा जो कि भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं।

#### तुलनपत्र में प्रकटीकरण

25. (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी उन प्रावधानों को, उन्हें आय से घटाए बिना अथवा आस्तियों के मूल्य से घटाए बिना तुलनपत्र में पृथक रूप से प्रकट करेगी जो प्रावधान उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 24 के अनुसार किए हैं।

(2) ये प्रावधान पृथक रूप से आवास एवं गैर आवास वित्त व्यापार के लिए और व्यक्ति रूप से प्रत्येक प्रकार की आस्ति के लिए पृथक लेखा शीर्ष में स्पष्टतया निम्नानुसार उपदर्शित किए जाएंगे:-

(क) उप मानक, संदिग्ध एवं हानिप्रद आस्तियों के लिए प्रावधान  
(ख) निवेश में अवक्षयण के लिए प्रावधान।

(3) ऐसे प्रावधानों का सामान्य प्रावधानों तथा रखी गई हानि आरक्षित निधियों यदि कोई हैं, से आवास वित्त कंपनी, द्वारा विनियोग नहीं किया जाएगा।

(4) प्रत्येक वर्ष के लिए, ऐसे प्रावधान लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाले जाएंगे। सामान्य प्रावधान एवं हानिप्रद आरक्षित निधि शीर्ष में रखे, अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है, को उनके लिए समायोजित किए बिना पुनरांकित किए जाएं।

#### पूँजी पर्याप्तता के बारे में अपेक्षाएं

26 (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी टियर -1 एवं टियर - 2 पूँजी का एक न्यूनतम पूँजी अनुपात रखेगी, जो निम्नलिखित से कम नहीं होगा -

(i) 31 मार्च, 2001 को अथवा इससे पूर्व 10 प्रतिशत; और  
(ii) 31 मार्च, 2002 को अथवा इससेपूर्व 12 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रतिशत उसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों का और तुलनपत्र बाह्य मदों के जोखिम समायोजित मूल्य का होगा।

(2) किसी भी समय कुल टियर - 2 पूँजी टियर - 1 पूँजी के 100 प्रतिशत अधिक नहीं होगी।

#### तुलनपत्र की आस्तियों पर स्पष्टीकरण:

(1) इन निर्देशों में प्रतिशत भार के रूप में अभिव्यक्त ऋण जोखिम की मात्रा तुलनपत्र की आस्तियों को समनुदेशित की गई है। इसलिए, प्रत्येक आस्ति / मद के मूल्य को आस्तियों का जोखिम समायोजित मूल्य निकालने के लिए सुसंगत जोखिम भारों से गुणा किया जाना अपेक्षित है। कुल योग को न्यूनतम पूँजी

अनुपात की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। जोखिम भारित आस्तियों को यथा निधिकृत मदों के भारित कुल योग परिकल्पित किया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है:-

भारित आस्तियों अर्थात् तुलन पत्र की मदें		प्रतिशत भार
1. (i) मीयादी जमाराशियों और बैंको के पास जमाराशियां के प्रमाणपत्रों सहित नकदी और बैंक शेष राशियां		0
(2) निवेश		
(क) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियां		0
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बंधपत्र एवं जमाराशियां / जमाराशि प्रमाणपत्र / सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के बंधपत्र		20
(ग) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिटें		20
(घ) सभी कंपनियों के शेयर में उपरोक्त (ख) में उल्लेखरहित कंपनियों के डिबेंचर / बाण्ड्स एवं वाणिज्यिक पत्र एवं उपरोक्त ग) के अतिरिक्त अन्य म्युचुअल फंड्स यूनिटें		
(3) (क) व्यक्तियों को दिए गए अचल संपत्ति बंधक समर्थित आवास ऋण जो कि मानक आस्ति के रूप में निर्दिष्ट हैं एवं जहां ऋण का मूल्य अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है		75
(ख) अन्य आवास ऋण		100
(4) चालू आस्तियां		
(क) किराये पर स्टॉक (कृपया अगले पृष्ठ पर टिप्पणी 2 देखें )		100
(ख) अंतरनिगमित ऋण / जमाराशियां		100
(ग) कंपनी की अपनी जमाराशियों द्वारा पूर्णतः जमानती ऋण और अग्रिम		0
(घ) स्टाफ को ऋण		0
(ङ) अच्छे समझे गये अन्य जमानती ऋण और अग्रिम		100
(च) खरीदे भुनाये गये बिल		100
(छ) अन्य (उल्लेख करें )		100
(5) अचल आस्तियां (निवल मूल्यहास)		
(क) पट्टे पर दी गयी आस्तियां (निवल बही मूल्य)		100
(ख) परिसर		100
(ग) फर्नीचर और जुड़नार		100
(घ) अन्य अचल आस्तियां (उल्लेख करें)		100
(6) अन्य आस्तियां		
(क) स्रोत पर काटा गया आय -कर (निवल प्रावधान)		0
(ख) भुगतान किया गया अग्रिम कर (निवल प्रावधान)		0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज		0
(घ) अन्य (उल्लेख करें )		100

- (1) घटाए जाने का कार्य केवल उन आस्तियों के संबंध में किया जाएगा, जिनमें प्रावधज्ञान अवक्षण के लिए अथवा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किया गया है।
- (2) किराए पर लिया माल वित्तीय प्रभारों अर्थात् ब्याज एवं वसूली योग्य अन्य प्रभारों को घटा कर दर्शाया जाना चाहिए।
- (3) उन आस्तियों, जो अनु0 2 (1) (श) के अनुसरण में, टियर - I पूंजी निकालने के लिए स्वाधिकृत निधि से काट ली गई हैं, को "0" की भांति मिलेगी।

तुलनपत्र बाह्य मदें:

(2) इन निर्देशों में, तुलनपत्र बाह्य मदों से जुड़ी ऋण जोखिम निवेश की मात्रा को ऋण संपरिवर्तन कारक के एक प्रतिशत रूप में अभिव्यक्त किए गए हैं। अर्थात् प्रत्येक मद के अंकित मूल्य को तुलनपत्र बाह्य मदों का जोखिम समायोजित मूल्य निकालने के लिए, पहले सुसंगत संपरिवर्तन कारक से गुणा किया जाना आवश्यक है। कुल योग को न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तुलनपत्र बाह्य मदों के जोखिम भांति मूल्य को गैर निधिकृत मदों के ऋण संपरिवर्तन कारकों के अनुसार परिकलित किया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है:-

मद का विवरण	ऋण संपरिवर्तन कारक (प्रतिशत)
i) संस्तुत परंतु असंवितरित आवास ऋण	50
ii) वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	100
iii) शेयर डिबेंचर के हामीदारी दायित्व	50
iv) अंशतः प्रदत्त शेयर डिबेंचर	100
v) बट्टाकृत पुनः बट्टाकृत बिल	100
vi) तय परंतु अनिष्पादित पट्टा करार	100
vii) अन्य संभाव्य देयताएं (उल्लेख करें)	50

किंतु यह तब, जबकि, उपर्युक्त मद (1) में, उन मामलों, जिनमें कोई प्रलेख निष्पादित नहीं किया गया है, में कोई संवितरण नहीं हुआ है, और यदि समय के क्रम में संस्वीकृत व्यपगत हो जाती है तथासंभावित उधारकर्ता को इस दिशा में नोटिस दे दिया जाता है, तब ऋण संपरिवर्तन कारक को यथा 0 प्रतिशत माना जाएगा और आंशिक रूप में संवितरित आवास ऋणों के मामले में, ऋण संपरिवर्तन कारक को यथा 50 प्रतिशत माना जाएगा।

टिप्पणी : नकदी मार्जिन / जमाराशियां की कटौती संपरिवर्तन कारक लागू किया जाने से पूर्व की जाएगी।

भूमि, भवन और उद्धृत नहीं किए शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध

27 (1) कोई भी आवास वित्त कंपनी, जो सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार कर रही हैं, निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी-

(क) अपने निजी उपयोग के अतिरिक्त, भूमि अथवा भवन में अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक की राशि

(ख) किसी अन्य कंपनी, जो कि सहायक कंपनी नहीं है, अथवा आवास वित्त कंपनी के उसी समूह की कंपनी नहीं है के उद्घृत नहीं किए गए शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक की राशि,-

किंतु यह जब तब कि, अपने ऋण के शोधन में अर्जित भूमि, अथवा भवन अथवा उद्घृत नहीं किए शेयर उस आवास वित्त कंपनी द्वारा ऐसे अर्जन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के भीतर अथवा ऐसी किसी अवधि, जो कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बढ़ा दी गई है, के भीतर, निपटा दिए जाएंगे, यदि उस आवास वित्त कंपनी की ओर से पहले से ही रखे गई ऐसी आस्तियों के साथ साथ इन आस्तियों में निवेश उपर्युक्त उच्चतम सीमा से अधिक हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी कि इन निर्देशों के प्रारंभ होने की तारीख से, यहां विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा से अधिक कंपनी द्वारा धारित उद्घृत नहीं किए गए शेयर अथवा भवन अथवा भूमि को निपटा दिया जाएगा जिससे कि ऐसी धारिता को वह आवास वित्त कंपनी इन निर्देशों के प्रारंभ की तारीख से 3 वर्षों के भीतर अथवा ऐसी अवधि, जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बढ़ा दी जाती है, के भीतर कथित उच्चतम सीमा से नीचे ला सके।

ऋण / निवेश का सकेन्द्रण

28 (1) कोई भी आवास वित्त कंपनी निम्नलिखित नहीं करेगी:-

(i) किसी

(क) एकल उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देगी,

(ख) उधारकर्ताओं के किसी एकल समूह को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देगी।

(ii) निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी-

(क) किसी अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक,

(ख) कंपनियों के एक एकल समूह के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक।

(3) निम्नलिखित को निम्न सीमा से अधिक (एक साथ ऋण / निवेश) उधार नहीं देगी / निवेश नहीं करेगी:-

(क) एक एकल पक्ष को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक

(ख) किसी एक एकल समूह के पक्षों को अपनी स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक

(2) यहां ऊपर विनिर्दिष्ट एवं इन निर्देशों के प्रारंभ होने की तारीख को विद्यमान उच्चतम सीमा से अधिक आवास वित्त कंपनी द्वारा किया गया निवेश तथा प्रदत्त कोई ऋण उस आवास वित्त कंपनी द्वारा यथा समय पुनर्भुगतान की अनुसूची के अनुसार नीचे लाया जाएगा।

टिप्पणी:

- (1) ऊपर लिखी सीमा को अवधारित करने के प्रयोजन से, तुलनपत्र बाह्य निवेश को यहां ऊपर स्पष्ट विवरण दिए गए संपरिवर्तन कारकों को लागू करके ऋण जोखिम में परिवर्तित किया जाए।
- (2) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, ऋण पत्रों में निवेश को यथा ऋण समझा जाए न कि निवेश।
- (3) ऋण निवेश पर उपर्युक्त उच्चतम सीमा उधारकर्ताओं निवेशी कंपनियों के अतिरिक्त अपने समूह की आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू होगी।

लेखा परीक्षकों को निर्देश

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट विषय शामिल हों

29. ये निर्देश प्रारंभ होने के बाद आवास वित्त कंपनियों के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 के अन्तर्गत परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अतिरिक्त, लेखा परीक्षक नीचे दिए गए अनुच्छेद 30 और 31 में निर्दिष्ट मामलों पर कंपनी के निदेशक मण्डल को भी रिपोर्ट भेजेंगे।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल होने वाले विषय

30. आवास वित्त कंपनियों के लेखा पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों पर एक विवरण दिया जाए—

(i) यदि आवास वित्त कंपनी की स्थापना 12 जून, 2000 से पहले हुई हो तो क्या उसने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29क के अनुसार यथा अपेक्षित पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और क्या उसे अपने पंजीकरण का प्रमाणपत्र मिलने या न मिलने के बारे में राष्ट्रीय आवास बैंक से कोई पत्र मिला।

(ii) यदि आवास वित्त कंपनी की स्थापना 12 जून, 2000 को या उसके बाद हुई हो तो क्या उसे रा0आ0बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र मिला ;

(iii) क्या आवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ख में किए उल्लेखानुसार चल निधि को बैंक में का अनुपालन किया और प्रतिभूतियों को नामित बैंक में रखा ;

(iv) क्या आवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ग का अनुपालन किया ;

(v) क्या आवास वित्त कंपनी ने इन निर्देशों के उपबंधों का अनुपालन किया ;

(vi) क्या रा0आ0बैंक को प्रस्तुत विवरणी में उल्लिखित पूंजी पर्याप्तता अनुपात का ठीक ठीक निर्धारण किया गया है और क्या यह अनुपात उन निर्देशों में रा0आ0बैंक द्वारा उल्लिखित जोखिमवाली आस्ति अनुपात के न्यूनतम पूंजी के अनुरूप है;

(vii) जहां आवास वित्त कंपनी जनता से निक्षेप स्वीकार / धारित कर रही है; क्या

(क) आवास वित्त कंपनी द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक निक्षेप अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है;

(ख) आवास वित्त कंपनी के कुल ऋण अर्थात् सार्वजनिक निक्षेप सहित निक्षेप तथा रा0आ0बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 45 आई की उपधारा (खख) के उप खंड (iii) से (vii) में उल्लिखित राशि या रा0आ0बैंक से प्राप्त ऋण या अन्य सहायता राशि इन निर्देशों में निर्दिष्ट सीमा के भीतर है;

(ग) आवास वित्त कंपनी द्वारा अनुमत्य सीमा से अधिक धारित निक्षेपों को रा0आ0बैंक द्वारा निर्दिष्ट विधि से नियमित कराया गया है;

- ‘घ’ निक्षेपों के लिए ऋण पात्रता निर्धारण अर्थात् (पात्रता का उल्लेख करें) ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी द्वारा निर्धारित पर (तारीख) लागू है और वर्ष के दौरान किसी समय बकाया कुल निक्षेप ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो गई ;
- (ड) आवास वित्त कंपनी अपने जमाकर्ताओं को उनके निक्षेपों पर ब्याज का भुगतान करने और / या मूलधन लौटाने में विफल रही जबकि वह ब्याज और / या मूलधन देय हो चुका था ;
- (च) सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार करने के लिए नई शाखाएं या कार्यालय खोलने या शाखाएं या कार्यालय बंद करने के मामले में, आवास वित्त कंपनी ने इन निर्देशों के संगत प्रावधानों का अनुपालन किया ;
- (viii) जहां आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं करती है - वहां क्या
- (क) निदेशक मंडल ने सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार न करने के बारे में कोई प्रस्ताव पास किया ।
- (ख) कंपनी ने विचाराधीन अवधि / वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किया ।
- (ग) कंपनी ने विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन किया ।

प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण के लिए कारणों का उल्लेख करें

31. जहां, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में, उपरोक्त अनुच्छेद 30 में उल्लिखित किसी मद के बारे में दिया गया विवरण प्रतिकूल या सापेक्ष हो तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उस प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण देने, जो भी मामला हो, के कारणों का उल्लेख किया जाए। जब लेखा परीक्षक उपरोक्त अनुच्छेद 30 में उल्लिखित किसी मद के बारे में अपना मत व्यक्त करने में असमर्थ हो, तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कारणों सहित इस आशय का भी उल्लेख किया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक को रिपोर्ट भेजने के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

32. जहां, आवास वित्त कंपनी के मामले में, उपरोक्त अनुच्छेद 30 में उल्लिखित किसी मद के बारे में विवरण प्रतिकूल या सापेक्ष हो या लेखा परीक्षक की राय में कंपनी ने इन निर्देशों के प्रावधानों या अधिनियम के अध्याय - V के प्रावधानों का अनुपालन न किया हो तो लेखा परीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उस प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण के ब्यौरे और / या अनुपालन न करने के बारे में, जो भी मामला हो, रिपोर्ट में दें और उसे नई दिल्ली स्थित रा0आ0बैंक के मुख्य कार्यालय को भेजें।

अध्याय - 5 - विविध

आवास वित्त कंपनी के अपने शेयरों के आधार पर ऋण देने पर रोक

33. (1) कोई भी आवास वित्त कंपनी अपने शेयरों के आधार पर ऋण नहीं देगी।  
 (2) किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा इन निर्देशों के लागू होने की तारीख पर अपने ही शेयरों के आधार पर दिए गए बकाया ऋण की वसूली: आवास वित्त कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

सार्वजनिक निक्षेप लौटाने में असफल आवास वित्त कंपनियों पर ऋण देने तथा निवेश करने पर रोक

34. आवास वित्त कंपनी जो कोई सार्वजनिक निक्षेप या उसके अंश को अधिनियम की धारा 36 क (1) में उल्लिखित निक्षेप शर्तों के अनुसार लौटाने में विफल रही, वह कंपनी चूककर्ता रहने तक किसी भी नाम से कोई ऋण या कोई अन्य आस्ति का सृजन नहीं कर सकेगी।

लेखा समिति का गठन

35 जिस आवास वित्त कंपनी की आस्ति उसकी पिछली संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 50 करोड़ रुपए या अधिक होगी वह लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी जिसमें बोर्ड में कम से कम 3 गैर कार्यकारी निदेशक होंगे।

#### लेखा वर्ष

36. प्रत्येक आवास वित्त कंपनी 31 मार्च, 2002 को समाप्त लेखा वर्ष से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा तैयार करेगी। बशर्ते कि यदि किसी आवास वित्त कंपनी का लेखा वर्ष 31 मार्च, 2002 के बजाए किसी अन्य को समाप्त होता है तो वह आवास वित्त कंपनी 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के बीच अंतराल अवधि का अपना तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखा तैयार करेगी।

तुलनपत्र और लेखा की प्रतियों के साथ निदेशक की रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत किया जाना

37. प्रत्येक आवास वित्त कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को संपरीक्षित तुलनपत्र तथा आम सभा में आवास वित्त कंपनी द्वारा अनुमोदित उस वर्ष का संपरीक्षित लाभ एवं हानि लेखा के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 (1) की शर्तों के अनुसार उस बैठक में आवास वित्त कंपनी के समक्ष प्रस्तुत निदेशक मण्डल की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ बैठक की तारीख से 15 दिन के अंदर राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजेगी, इनके साथ ही उसके लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा लेखा टिप्पणियों की एक प्रति भी भेजी जाए।

#### लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र

38. (1) सार्वजनिक निक्षेप धारित / स्वीकार करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी अनुच्छेद 37 में किए उल्लेखानुसार संपरीक्षित तुलनपत्र की एक प्रति, निदेशक मंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति तथा उसके लेखा परीक्षकों द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करेगी कि जमाकर्ताओं के प्रति कंपनी की संपूर्ण राशि देयता को तथा उस पर देय ब्याज को तुलनपत्र में सही रूप से दर्शाया गया है एवं कंपनी इन सभी देयताओं की राशि का भुगतान करने की स्थिति में है।

राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियां

39. (1) अनुच्छेद 37 के प्रावधानों के होते हुए भी, प्रत्येक आवास वित्त कंपनी रा0आ0बैंक को प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च को कंपनी स्थिति के बारे में इन निर्देशों की अनुसूची - I में विनिर्दिष्ट सूचना के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर एवं 31 मार्च को कंपनी की स्थिति के संबंध में इन निर्देशों की अनुसूची - II में विनिर्दिष्ट सूचना के संबंध में छमाही विवरणी और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की तिमाही के अंत में कंपनी की स्थिति के बारे में अनुसूची - III में विनिर्दिष्ट सूचना के संबंध में तिमाही विवरणी भेजेगी।

(2) (i) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, अपना व्यवसाय आरंभ करने से एक माह के भीतर, रा0आ0बैंक को निम्नलिखित सूची के अनुसार एक लिखित विवरण प्रस्तुत करेगी—

- (क) अपने प्रमुख अधिकारियों को नाम और कार्यालय में उनका पद;
- (ख) पंजीकृत / कारपोरेट कार्यालय का पूरा डाक पता, टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर;
- (ग) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम और कार्यालय का पता ;

- (घ) आवास वित्त कंपनी के निदेशकों के नाम और निवास स्थान का पता; और  
 (ङ) आवास वित्त कंपनी की ओर से उप अनुच्छेद (1) में उल्लेखित विवरणियों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के नमूने ।

(ii) इस उप अनुच्छेद के खंड ( 1) में उल्लिखित सूची में किसी भी संशोधन के बारे में, संशोधन करने की तारीख से एक माह के भीतर इस आशय की सूचना राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजी जाएगी।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय को प्रस्तुत किया जाने वाला तुलनपत्र, विवरणियां आदि

40. इन निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत / प्रेषित की जाने वाली विवरणियों, तुलनपत्र या सूचना नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय को प्रस्तुत / प्रेषित की जाए।

छूट

41. राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि किसी कठिनाई को दूर करने या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण के लिए वह यह आवश्यक समझता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यथा अधिरोपित ऐसी शर्तों के अध्यक्ष या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इन निर्देशों के सभी या किन्हीं प्रावधानों का अनुपालन करने या उससे छूट देने के लिए किसी आवास वित्त कंपनी या आवास वित्त कंपनियों के वर्ग को समयावधि बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है।

व्याख्या

42. इन निर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि आवश्यक समझे, इसके अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले में अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान की नई व्याख्या अंतिम होगी और सभी पक्षों पर बाध्य होगी।

आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 1989 के उल्लंघन के लिए की गई या की जाने वाली कार्रवाई से वचाव।

43 एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 1989 का अधिक्रमण किसी भी स्थिति में निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा:

- (i) उसके तहत अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, बाध्यता या दायित्व;  
 (ii) उसके तहत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड;  
 (iii) पूर्वोक्त के अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार।

और स्थापित की गई, जारी की गई या प्रवृत्त की गई ऐसी कोई जांच कानूनी कार्यवाही या उपचार और अधिरोपित की जा सकने वाली ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड जैसा कि मानों इन निर्देशों का अधिक्रमण नहीं किया गया है ।

(शेखर अग्रवाल)  
 अध्यक्ष

## अनुसूची-I

(आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 का अनुच्छेद 39 देखें)

(अनुच्छेद 14 देखें)

यथा 31 मार्च को विवरणी।

(विवरणी भरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भरा जाएगा	
फाइल सं0	
आईडी सं0	
व्यापार की प्रकृति	
जिला कोड	
राज्य कोड	

1. कंपनी का नाम  
आयकर स्थायी खाता सं0
2. (i) पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता: \_\_\_\_\_  
पिनकोड \_\_\_\_\_  
टेलीफोन \_\_\_\_\_ फैक्स \_\_\_\_\_ ई-मेल \_\_\_\_\_  
टेलेवस \_\_\_\_\_ टेलीग्राफ \_\_\_\_\_
- (ii) मुख्य / प्रशासनिक कार्यालय का पूरा पता \* \_\_\_\_\_ कार्यालय: \_\_\_\_\_  
पिनकोड \_\_\_\_\_  
टेलीफोन \_\_\_\_\_ फैक्स \_\_\_\_\_ ई-मेल \_\_\_\_\_  
टेलेवस \_\_\_\_\_ टेलीग्राफ \_\_\_\_\_
3. क्या सरकारी कंपनी है \_\_\_\_\_ हां / नहीं
4. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां कंपनी पंजीकृत है:
5. स्थिति +
  1. पब्लिक लिमिटेड ( )
  2. मानित पब्लिक कंपनी ( )
  3. प्राइवेट लिमिटेड ( )
  4. किसी विदेशी कंपनी की शाखा ( )
6. निम्नलिखित की तारीख (i) निर्गमित होने की \_\_\_\_\_  
(ii) व्यापार प्रारंभ करने की \_\_\_\_\_  
(iii) कंपनी के वित्त वर्ष की \_\_\_\_\_  
दिन दिन मास मास वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष
7. (i) संस्था के बर्हिनीयगों में यथा उल्लेखित, कंपनी का मुख्य उद्देश्य  
(ii) रिपोर्टाधीन वर्ष में कंपनी द्वारा किया गया मुख्य व्यापार  
(iii) रिपोर्टाधीन वर्ष में ही कंपनी द्वारा किए गए अन्य व्यापार

8. क्या कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है : हां / नहीं

यदि हां, तब आवेदन की तारीख बताएं और यदि पहले से ही पंजीकृत है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण की संख्या दें:

9. शाखाओं / कार्यालयों की सं० @ :

10. कर्मचारियों की कुल सं० (i) पूर्णकालिक  
(ii) अंशकालिक  
(iii) अवैतनिक आधार पर

11. क्या कंपनी के शेयर किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, यदि हां, तब शेयर बाजार/ (रों) का नाम बताएं:

12. क्या विवेक सम्मत मानदंडों पर अर्धवार्षिक विवरणी राष्ट्रीय आवास बैंक में, इस विवरणी की तारीख से प्रस्तुत की गई है : हां / नहीं  
यदि हां, तब विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि बताएं:

13(क) क्या कंपनी उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंध रखती है, के प्रारंभ में अपनी सावधि जमा राशियों का कोई ऋण पात्रता निर्धारण रखती थी : हां / नहीं

यदि हां, तब निम्नलिखित विवरण दें:

- (i) ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम:
- (ii) ऐसी एजेंसी द्वारा किया गया निर्धारण (रेटिंग):
- (iii) ऐसे निर्धारण (रेटिंग) की तारीख और विधिमान्यता की अवधि:

(ख) क्या कंपनी ने उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंध रखती है, के दौरान अपनी सावधि जमा राशियों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त किया: हां / नहीं

यदि हां, तब निम्नलिखित विवरण दें:

- (i) ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम:
- (ii) ऐसी एजेंसी द्वारा किया गया निर्धारण (रेटिंग):
- (iii) ऐसे निर्धारण (रेटिंग) की तारीख और विधिमान्यता की अवधि:

(ग) क्या उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के दौरान उपर्युक्त (क) एवं (ख) में वर्णित क्रेडिट रेटिंग में कोई परिवर्तन हुआ था: हां / नहीं

यदि हां, तब निम्नलिखित विवरण दें:

ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम:

- (ii) ऐसी एजेंसी द्वारा किया गया निर्धारण (रेटिंग):  
 (iii) ऐसे निर्धारण (रेटिंग) की तारीख और विधिमान्यता की अवधि:  
 (iv) क्रेडिट रेटिंग में भिन्नता का कारण, यदि कोई है:

14. क्या यह एक नियंत्रक कंपनी है अथवा सहायक कंपनी है: \$ हां / नहीं

15. क्या यह कंपनी एक संयुक्त उद्योग है: हां / नहीं

16. कंपनी के प्रवर्तकों और प्रवर्तन संस्थाओं के नाम एवं पते \_\_\_\_\_  
 तथा शेयर होल्डिंग पैटर्न \_\_\_\_\_  
 (यदि आवश्यक हो, तो पृथक शीट संलग्न करें) \_\_\_\_\_

17. कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम एवं पते \_\_\_\_\_

दूरभाष सं० \_\_\_\_\_ फैक्स \_\_\_\_\_  
 सदस्यता सं० \_\_\_\_\_

18. कंपनी के बैंकरों के नाम एवं पते \_\_\_\_\_

(यदि आवश्यक हो, तो पृथक शीट संलग्न करें) \_\_\_\_\_

19. वर्तमान निदेशकों के नाम एवं पते \_\_\_\_\_

(यदि आवश्यक हो, तो पृथक शीट संलग्न करें) \_\_\_\_\_

20. क्या कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1997 की धारा 29ग के अनुसार, कोई आरक्षित कोष बनाया है :

यदि हां, तब निम्नलिखित विवरण दें:

- (i) वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि  
 (ii) वर्ष के दौरान इस कोष में अंतरित राशि  
 (iii) क्या वर्ष के दौरान आरक्षित कोष में किसी राशि का विनियोग किया गया : हां / नहीं

यदि हां, (क) विनियोग की राशि:

(ख) विनियोग का उद्देश्य:

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक को विनियोग रिपोर्ट करने की तारीख:

(घ) इस विवरण की तारीख को बकाया राशि:

(i) जो लागू हो, उस खाने में निशान लगाएं।

(ii) जहां कंपनी की शाखाएं कार्यालय स्थित हैं, उन स्थानों के नाम व पतों की एक सूची संलग्न की जानी चाहिए।

\$ यदि यह कोई सहायक कंपनी है, तब इसकी नियंत्रक कंपनी का नाम उपदर्शित किया जाना चाहिए।

\* यदि यह पंजीकृत कार्यालय में भिन्न कोई स्थान है।

## खंड - 1

## (क)

31 मार्च

को बकाया सार्वजनिक निक्षेप राशि के विवरण

(राशि लाख रुपए में)

क्रम सं०	विवरण	मद कोड	खातों की सं०	राशि
1	सावधि जमाराशियों, आवर्ती जमाराशियों आदि के रूप में जनता से लिए गए निक्षेप	111		
2	(i) सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से लिए गए निक्षेप (ii) प्राइवेट लि० कंपनी द्वारा प्रथम नाम के शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य संयुक्त शेयरधारकों से लिए गए निक्षेप	112 113		
3	गैर परिवर्तनीय अप्रतिभूत डिबेंचरों की जारी करने से प्राप्त राशि (अनुदेश 13 देखें)	114		
4	योग ( 1+2+3)	110		
5	अनुसूची के खंड 2 में सम्मिलित न हुआ कोई अन्य निक्षेप	120		
6	योग (4+5)			
7	उपरोक्त 6 मदों में कुल जमा राशि में से			
	(i) मांग अथवा नोटिस पर पुनःसंदेय *	141		
	(ii) 12 महीने से कम की अवधि के लिए *	142		
	(iii) 12 महीने या इससे अधिक परंतु 24 महीने से कम की अवधि के लिए	143		
	(iv) 24 महीने या इससे अधिक परंतु 48 महीने से कम की अवधि के लिए	144		
	(v) 48 महीने या इससे अधिक परंतु 60 महीने से कम की अवधि के लिए	145		
	(vi) 60 महीने की अवधि के लिए	146		
	(vii) 60 महीने या इससे अधिक परंतु 84 महीने से कम की अवधि के लिए	147		
	(viii) 84 महीने की अवधि के लिए	148		
	(ix) 84 महीने से अधिक की अवधि के लिए *	149		
8.	कुल ( 7 (i) से (ix) ) तक का जोड़ उपर्युक्त मद 5 के साथ मेल खाना चाहिए	140		
9.	उपर्युक्त मद 6 की कुल जमाराशियों में से ब्याज रहित और ब्याज वाली जमाराशियां ( दलाली को छोड़कर, यदि कोई हो तो) # (ब्याज दर : वार्षिक प्रतिशत)			
	(i) ब्याज रहित	151		
	(ii) 6 प्रतिशत से कम	152		
	(iii) 6 प्रतिशत से अधिक परंतु 9 प्रतिशत से कम	153		
	(iv) 9 प्रतिशत से अधिक परंतु 11 प्रतिशत से कम	154		
	(v) 11 प्रतिशत से अधिक परंतु 13 प्रतिशत से कम	155		

	(vi) 13 प्रतिशत से अधिक परंतु 14 प्रतिशत से कम	156		
	(vii) 14 प्रतिशत पर	157		
	(viii) 14 प्रतिशत से अधिक *	158		
10.	कुल ( 7 (i) से (viii) ) तक का जोड़ उपर्युक्त मद 6 के साथ मेल खाना चाहिए	150		
11.	उपर्युक्त मद 6 की जमाराशियों का जमाराशियों के आकार के अनुसार वर्गीकरण			
	(i) 5,000 रुपए तक	151		
	(ii) 5001 रुपए से 10,000 रुपए तक	152		
	(iii) 10,001 रुपए से 25,000 रुपए तक	153		
	(iv) 25001 रुपए से 50,000 रुपए तक	154		
	(v) 50001 रुपए से 100,000 रुपए तक	155		
	(vi) 1,00,000 रुपए से अधिक *	155		
12.	कुल ( 7 (i) से (vi) ) तक का जोड़ उपर्युक्त मद 6 के साथ मेल खाना चाहिए	150		
13.	उपर्युक्त मद 6 की जमाराशियों में से			
	(i) जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है परंतु दावा नहीं किया गया है	171		
	(ii) जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है, एवं दावा भी किया गया है परंतु चुकौती नहीं की गई है	172		
14.	उपर्युक्त मद 4 में दर्शित प्रकार की जमाराशियों में से			
	(i) वर्ष के आरंभ में बकाया जमाराशियां	181		
	(ii) वर्ष के दौरान स्वीकार की गई/नवीकृत जमाराशियां	182		
	(iii) वर्ष के दौरान अदाकृत जमाराशियां	183		
	(iv) वर्ष के अंत में बकाया जमाराशियां	184		
15.	उपर्युक्त मद 5 में दर्शित प्रकार की जमाराशियों में से			
	(i) वर्ष के आरंभ में बकाया जमाराशियां	191		
	(ii) वर्ष के दौरान स्वीकार की गई नवीकृत जमाराशियां	192		
	(iii) वर्ष के दौरान अदाकृत जमाराशियां	193		
	(iv) वर्ष के अंत में बकाया जमाराशियां	194		
16.	उपर्युक्त मद 6 की जमाराशियों में से , अग्निवासी भारतीयों से प्राप्त जमाराशियां	195		

ख

रिपोर्ट अवधि के दौरान जुटाई गई जमाराशियों ( भाग - 1 (क) 14 ( ) एवं 15 ( ) का विवरण

(राशि लाख रुपए में)

क्रम सं०	विवरण	मद कोड	खातों की सं०	राशि
1	भाग - 1 (क) की मद सं० 14 ( ) में कुल जमाराशि में से	111.1		
	(i) मांग अथवा नोटिस पर पुनः संदेय *			
	(ii) 12 महीने से कम की अवधि *	112.1		
	(iii) 12 महीने या इससे अधिक परंतु 24 महीने से कम की अवधि के लिए	113.1		
	(iv) 24 महीने या इससे अधिक परंतु 48 महीने से कम की अवधि के लिए	114.1		
	(v) 48 महीने या इससे अधिक परंतु 60 महीने से कम की अवधि के लिए	115.1		
	(vi) 60 महीने की अवधि के लिए	116.1		
	(vii) 60 महीने या इससे अधिक परंतु 84 महीने से कम की अवधि के लिए	117.1		
	(viii) 84 महीने की अवधि के लिए	118.1		
	(ix) 84 महीने से अधिक की अवधि के लिए *	119.1		
2	योग (i से ix तक ) यह भाग - 1 (क) की मद 14 (2) के साथ मिलना चाहिए	110.1		
3	भाग-1(ए) की मद सं० 15 ( ) में कुल जमाराशि में से			
	(i) मांग अथवा नोटिस पर पुनः संदेय *	121.1		
	(ii) 12 महीने से कम की अवधि*	122.1		
	(iii) 12 महीने या इससे अधिक परंतु 24 महीने से कम की अवधि के लिए	123.1		
	(iv) 24 महीने या इससे अधिक परंतु 48 महीने से कम की अवधि के लिए	124.1		
	(v) 48 महीने या इससे अधिक परंतु 60 महीने से कम की अवधि के लिए	125.1		
	(vi) 60 महीने की अवधि के लिए	126.1		
	(vii) 60 महीने या इससे अधिक परंतु 84 महीने से कम की अवधि के लिए	127.1		
	(viii) 84 महीने की अवधि के लिए	128.1		
	(ix) 84 महीने से अधिक की अवधि के लिए *	129.1		
4	योग ( 3(i) से (ix) ) यह भाग - 1(क) की मद 15 (ii) के साथ मिलना चाहिए			
5	भाग - 1(क) की मद 14 (ii) में कुल जमाराशि में से वे, जो व्याज प्राप्त हैं और जिन पर व्याज लगना है (दस्तावेजी, यदि कोई है, को छोड़कर) #			

(ब्याज की दर - प्रतिशत वार्षिक)				
	(i) ब्याज मुक्त	131.1		
	(ii) 6 प्रतिशत से कम	132.2		
	(iii) 6 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 9 प्रतिशत से कम	133.1		
	(iv) 9 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 11 प्रतिशत से कम	134.1		
	(v) 11 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 13 प्रतिशत से कम	135.1		
	(vi) 13 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 14 प्रतिशत से कम	136.1		
	(vii) 14 प्रतिशत पर	137.1		
	(viii) 14 प्रतिशत से अधिक *	133.1		
6.	योग ( 5 (I) से (viii) यह भाग - 1 (क) 14 (ii) से मिलना चाहिए।			
7.	भाग - 1(ए) की मद 15 में कूल जमाराशियों में से, वे जो ब्याज मुक्त और जिन पर ब्याज मिलता है (दलाली यदि कोई, को छोड़कर) # (ब्याज की दर ; प्रतिशत वार्षिक)			
	(i) ब्याज मुक्त	141.1		
	(ii) 6 प्रतिशत से कम	142.2		
	(iii) 6 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 9 प्रतिशत से कम	143.1		
	(iv) 9 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 11 प्रतिशत से कम	144.1		
	(v) 11 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 13 प्रतिशत से कम	145.1		
	(vi) 13 प्रतिशत अथवा अधिक किंतु 14 प्रतिशत से कम	146.1		
	(vii) 14 प्रतिशत पर	147.1		
	(viii) 14 प्रतिशत से अधिक*	148.1		
8.	योग ( 7 (i) से (viii) यह भाग - 1 (क) 15 (ii) से मिलना चाहिए	140.1		
9.	(क) दलाली की संदत्त राशि	151.1		
	(ख) दलालों को व्यय की प्रतिपूर्ति	152.1		
	(ग) दलाली के भुगतान से जुटाई गई जमाराशि की रकम	153.1		

##विगणनी के इस भाग के साथ दी गई ब्याज की दरों, इसी प्रकार उनकी अवधि अर्थात् 12 महीनों, 24 महीनों, 36 महीनों इत्यादि से अधिक के अनुसार विभिन्न प्रकार की जमाराशियों पर संदत्त दलाली की दरों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

\*वितरण पृथक् प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

#### भाग - 2

यथा 31 मार्च \_\_\_\_\_ को ऋण और उन जमाराशियों का वितरण जो सार्वजनिक निक्षेप में सगिणित नहीं की गई हैं:

(राशि लाख रुपए में)

भाग सं०	विवरण	मद	खातों	राशि
---------	-------	----	-------	------

		कोड	की सं०	
1.	केन्द्र अथवा राज्य सरकार से प्राप्त हुआ धन अथवा अन्यो से प्राप्त हुआ धन, जिसकी वापसी अदायगी की गारंटी केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार ने दी है अथवा स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त हुआ धन	221		
2.	निम्नलिखित से प्राप्त हुआ धन (क) विदेशी सरकार	222		
	(ख) विदेशी प्राधिकरण	223		
	(ग) विदेशी नागरिक अथवा व्यक्ति	224		
	(घ) योग (क) + (ख) + (ग)	225		
3.	राष्ट्रीय आवास बैंक से उधार	226		
4.	निम्नलिखित से उधार (क) बैंकों से (ख) निर्देशों में विनिर्दिष्ट अन्य वित्तीय संस्थानों से	227 228		
5.	किसी अन्य कंपनी से प्राप्त हुआ धन			
6.	निदेशकों / निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त हुआ धन	230		
7.	किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त हुआ धन (संयुक्त शेयरधारकों के मामले में प्रथम नाम के शेयरधारकों से प्राप्त राशि ही गणना में ली जाए)	231		
8.	प्रतिभूति जमा के जरिए कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त हुआ धन	232		
9.	कंपनी के व्यापार के अनुक्रम में क्रय विक्रय अथवा अभिकर्ताओं से प्रतिभूति के रूप में अथवा अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ धन, अथवा माल की आपूर्ति, अथवा सम्पत्ति के लिए अथवा सेवाएं प्रदान करने के आदेशों के लिए प्राप्त हुआ अग्रिम	233		
10.	अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर अथवा संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों में प्रतिभूत ऋणपत्रों के निर्गम से प्राप्त हुआ धन उपर्युक्त ऋणपत्रों में बैंकों द्वारा अभिदत्त	234 235		
	भाग 1 (क) की मद सं० (3) भी देखें			
11.	आवंटन क लंबित रहते, किन्हीं शेयरों में अथवा प्रतिभूत ऋणपत्रों में अभिदान द्वारा प्राप्त हुआ धन, जब तक संस्था के अन्तर्नियमों के अधीन ऐसी राशि शेयरधारकों को प्रतिदेय नहीं है, तब तक संस्था के अन्तर्नियमों के अनुसार, शेयर की अग्रिम मांग से प्राप्त हुआ धन	236		
12.	ऋणदाता संस्थानों की शर्तों के अनुसरण में अप्रतिभूत ऋणों के जरिए प्रवर्तकों द्वारा लाया गया धन	237		
13.	वाणिज्यिक पत्रों	238		
14.	ग्युअुचफ फंड से प्राप्त राशि	239		
15.	संकर ऋण या गौण ऋण से प्राप्त राशि जिनकी परिपक्वता अवधि 90 महीने या इससे अधिक है	240		
16.	योग ( 221 + 225 से 234+236 से 240)	250		

भाग - 3  
यथा 31 मार्च \_\_\_\_\_ को निवल स्वाधिकृत निधियां दर्शाता विवरण  
(राशि लाख रुपए में)

क्रम सं०	विवरण	मद कोड	राशि
1.	2	3	4
1.	चुकता साम्य पूंजी	311	
2.	वे अधिमान शेयर जो अनिवार्यतः साम्य पूंजी में संपरिवर्तनीय हैं	312	
3.	निर्बध आरक्षित निधियां		
	(क) सामान्य आरक्षित कोष	313	
	(ख) शेयर प्रीमियम	314	
	(ग) (पृथक खाते में रखी आस्तियों की विक्री पर अधिशेष जताने वाली) आरक्षित पूंजी निधि	315	
	(घ) ऋण पत्र शोधन आरक्षित निधि	316	
	(ङ) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	317	
	(च) लाग एवं हानि खाते में ऋण अधिशेष	318	
	(छ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के तहत आरक्षित निधियां	319	
	(ज) अन्य निर्बध आरक्षित निधियां (विनिर्दिष्ट की जाएं)	319.1	
4.	योग (311 से 319 तक)	310	
5.	हानि का संचित शेष	321	
6.	आस्थगित राजस्व व्यय	322	
7.	अन्य अमूर्त आस्तियां	323	
8.	योग (321 से 323 तक)		
9.	स्वाधिकृत निधियां ( 310-320)	330	
10.	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश का बही मूल्य		
	(क) सहायक कंपनियों में	341	
	(ख) उसी समूह की कंपनियों में	342	
	(ग) अन्य आवास संस्थान जो कि कंपनियां हैं (विवरण अनुलग्नक में)	343	
11.	निम्नलिखित के ऋणपत्रों और बंधपत्रों में निवेशों का बही मूल्य		
	(क) सहायक कंपनियों में	344	
	(ख) उसी समूह की कंपनियों में	345	
12.	निम्नलिखित को दिए गए ऋणों एवं श्रमियों और उनमें जगाराशियों का बकाया		
	(क) सहायक कंपनियों में	346	
	(ख) उसी समूह की कंपनियों में	347	
	(विवरण अनुलग्नक में)		
13.	योग (341 से 347 तक)	340	
14.	अप्रतिभूत मद 329 के 10 प्रतिशत से अधिक मद 340	350	

20

	की राशि		
15.	निवल स्वाधिकृत निधियां (330-350)	300	

भाग - 4

यथा 31 मार्च

को अन्तर कंपनी ऋणों जगाराशियों सहित बकाया ऋण एवं अग्रिम दर्शाता विवरण  
(राशि लाख रुपए में)

क्रम सं०	विवरण	मद कोड	राशि
1	2	3	4
1.	आवास ऋण		
(i)	व्यैक्तिक	411	
(ii)	निगमित निकाय		
	(क) उसी समूह की कंपनियां	412	
	(ख) वे कंपनियां, फर्म और स्वामित्व प्रतिष्ठान जिनमें कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं	413	
	(ग) अन्य निगमित निकाय	414	
(iii)	अन्य		
	योग ( 1 (i) से (iii) तक )	410	
2.	अन्य ऋण एवं अग्रिम		
(i)	उसी समूह की कंपनियां	421	
(ii)	उसी समूह से बाहर की कंपनियां	422	
(iii)	निदेशकगण	423	
(iv)	शेयरधारकगण	424	
(v)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण	425	
(vi)	क्रय विक्रय एवं अभिकर्तागण	426	
(vii)	जमाकर्तागण	427	
(viii)	अन्य	428	
	योग ( 2 (i) से (viii) )	420	
	कुल योग ( 410+420)	430	

भाग - 4.1

"व्यक्तियों" को दिए गए आवास ऋणों की विवरणी

संवितरण  
(राशि लाख रुपए में)

श्रेणी / आवास ऋण की राशि	मद कोड	शहर		ग्राम		शेरा		जिसमें से निम्नलिखित को		वर्ष के दौरान पुरसुगतान	31 मार्च को बकाया		
		राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	अनुजाति	अनु जनजाति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मद प्रदान के प्रतिबंध के लिए 50,000 रुपए तक	451												
50,000 रुपए से अधिक एवं 1,00,000 रुपए तक	452												
1,00,000 रुपए से अधिक एवं 3,00,000 रुपए तक	453												
3,00,000 रुपए से अधिक एवं 5,00,000 रुपए तक	454												
5,00,000 रुपए से अधिक	455												
उप योग	450												

(ख)

संवितरण  
(राशि लाख रुपए में)

श्रेणी / आवास ऋण की राशि	मद कोड	शहर		ग्राम		शेरा		जिसमें से निम्नलिखित को		वर्ष के दौरान पुरसुगतान	31 मार्च को बकाया		
		राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	अनुजाति	अनु जनजाति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मद प्रदान के प्रतिबंध के लिए 20,000 रुपए तक	461												
20,000 रुपए से अधिक एवं 30,000 रुपए तक	462												
30,000 रुपए से अधिक एवं 50,000 रुपए तक	463												
50,000 रुपए से अधिक	464												
उप योग	460												
उप योग (450 + 460)	470												

भाग - 4.2

आवास ऋणों का अवधि वार विभाजन

(राशि लाख रुपए में)

ऋण की अवधि	व्यक्तियों को आवास ऋण		कारपोरेट निकायों को आवास ऋण	
	सं०	राशि	सं०	राशि
1 साल				
1 साल से अधिक एवं 3 साल तक				
3 साल से अधिक एवं 5 साल तक				
5 साल से अधिक एवं 7 साल तक				
7 साल से अधिक				

**भाग - 5**  
**यथा 31 मार्च को बही मूल्य पर निवेश दर्शाता विवरण:**

*राशि लाख रुपए में*

क्रम सं०	विवरण	मद कोड	राशि
1	2	3	4
1	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश		
	(क) सहायक कंपनियों में	511	
	(ख) उसी समूह की कंपनियों में	512	
	(ग) अन्य आवास संस्थान जो कि कंपनियां हैं, क शेयरों में	513	
2.	निम्नलिखित के ऋण पत्रों, बंधपत्रों एवं वाणिज्यिक पत्रों में निवेश		
	(क) सहायक कंपनियों में	514	
	(ख) उसी समूह की कंपनियों के	515	
3.	उन कंपनियों के शेयरों में और उन कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण बंधपत्रों और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश और फर्मों तथा स्वमित्व प्रतिष्ठानों की पूंजी में अंशदान जिनमें कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं	516	
4.	अन्य कंपनियों के शेयरों, ऋण बंधपत्रों तथा वाणिज्यिक पत्रों में निवेश	517	
5.	अन्य निवेश		
	(i) बैंकों में सावधि जमा बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों में	518	
	(ii) बैंक के किसी अन्य जमा खाते में जमाराशि	519	
	(iii) केन्द्र राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और केन्द्र राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बंधपत्रों में	520	
	(iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में	521	
	(v) अन्धा में (कृपया मूल्य एवं बाजार मूल्य दर्शाता विवरण प्रस्तुत करें)	522	
6.	योग (511 से 522)	500	

## प्रमाणपत्र

\* प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत प्राधिकारी का प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि 2001 के आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) के निर्देशों में अन्तर्विष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।
2. इसके अतिरिक्त, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में प्रस्तुत विवरण /जानकारी का सत्यापन कर लिया गया है और यह सभी प्रकार से सही एवं पूर्ण पाया गया है।

तारीख:

प्रबंधक/ प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत अधिकारी

स्थान:

के हस्ताक्षर

नाम  
पदनाम

\* जो लागू न हो उसे काट दें।

## लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने इस विवरणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में \_\_\_\_\_ द्वारा  
एकी हुई लेखा बहियों एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर लिया है और हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे श्रेष्ठ ज्ञान के  
तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमने जिस अभिलेख का परीक्षण किया उससे मिली जानकारी  
के अनुसार इस विवरणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ें ठीक हैं।

संनदी लेखाकार

स्थान:

तारीख:

विवरणी के संलग्नक :

निम्नलिखित दस्तावेज विवरणी के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए यदि उन्हें पहले से प्रस्तुत नहीं गया हो। कृपया  
संलग्न दस्तावेज के लिए निशान लगाएं और यदि पहले से प्रस्तुत किए गए हैं, तब प्रस्तुत करने की तारीख बताएं।

- (1) विवरणी की तारीख से निवृत्तस्थ दिनांकित संपरीक्षित तालन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा की एक प्रति
- (2) नमूना हस्ताक्षर का कार्ड (कृपया अनुदेश 5 देखें)
- (3) आवास वित्त कम्पनी (रा0 आ0बैंक) के 2001 के निर्देशों के अनुच्छेद -6 में निर्दिष्ट आवेदन फॉर्म की एक प्रति।
- (4) प्रमाण अधिकारियों की एक सूची एवं निदेशकों के नाम एवं पते
- (5) निर्देशों के अनुच्छेद -38 में यथा अपेक्षित लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र

### विवरणी भरने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

#### सामान्य:

1. यह विवरणी, संकलित की जाने के पश्चात्, आवास वित्त कम्पनी द्वारा वर्ष में एक बार 31 मार्च की स्थिति अनुसार, चाहे लेखा बंद होने की तारीख कुछ भी हो, हर दशा में 30 सितम्बर तक राष्ट्रीय आवास बैंक के नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय को अवश्य प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। जैसा कि आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देशों, 2001 के अनुच्छेद 40 में विहित है। निर्देशों के अनुच्छेद 38 के अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षकों से एक प्रमाणपत्र भी विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
2. विवरणी को प्रस्तुत करने में वार्षिक लेखा के परीक्षण को अन्तिम रूप देना/ संकलित किया जाना आदि जैसे किसी भी कारण से विलम्ब नहीं होना चाहिए। विवरणी का संकलन कम्पनी की लेखा बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।
3. जहां संभव हो, यह विवरणी एक फ्लोपी डिस्कट (फ्लोपी साइज 3.5 डाटा स्ट्रक्चर एक्सील /डी बेस 4 ) में भेजनी चाहिए जिसके साथ एक मुद्रित और हस्ताक्षरित प्रति भी आनी चाहिए।
4. खातों की संख्या वास्तविक अंकों में दी जानी चाहिए जबकि राशि लाख रुपयों में दो दशमलव स्थिति तक पूर्णांकित करके दी जाए।
5. इस विवरणी पर प्रबंधक के हस्ताक्षर होने चाहिए (जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा -2 में परिभाषित है) और यदि कम्पनी में ऐसा प्रबंधक नहीं है, तब प्रबंधक निदेशक अथवा कम्पनी का कोई अधिकारी जिसे निदेशक मंडल ने विधिवत प्राधिकृत किया हो और जिसके नमूना हस्ताक्षर इस उद्देश्य से भेजे गये हों, को हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि नमूना हस्ताक्षर विहित कार्ड में प्रस्तुत नहीं किये गये हों, तब विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसके नमूना हस्ताक्षर पृथक रूप से भेजे जाने चाहिए।
6. अनुसूची में मांगा गया सभी विवरण भरा जाना चाहिए और कोई भाग / मद निरंक नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि विवरणी के किसी भाग / किसी मद में प्रतिवेदित किया जाने के लिए कुछ न हो, तब उस में शून्य लिखा जाए और यदि कोई भाग मद सुसंगत अथवा लागू न हो तब इस में लागू नहीं लिख दिया जाना चाहिए।
7. विवरणी जिस तारीख से संबंध रखती है, वह तारीख प्रथम पृष्ठ पर और अनुसूची के सभी भागों में समुचित स्थान पर भरी जाए।
8. इस विवरणी में वर्णित " सहायक कम्पनियों " का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम 1956 ( 1956 का 1 ) में इन्हें दिया गया है।
9. किसी निगमित निकाय को निवेश कंपनी को उसी गुप में होना समझा जाएगा यदि निगमित निकाय निवेश कंपनी की प्रबंध अभिकर्ता है अथवा यदि वह निगमित निकाय और निवेशक कंपनी एक ही प्रबंधाधीन हैं।
10. " पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी कम्पनी के शेयरों जिन पर संसदत्त राशि उस कम्पनी की चुकता पूंजी अथवा किसी भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी के उस प्रतिशत से अधिक नहीं होती है, में किसी व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी पति अथवा अव्यस्क, बच्चे द्वारा एकतः रूप में अथवा सम्मिलित होकर एक हिताधिकारी हित रखना।

#### भाग -1 (क)

11. यदि कम्पनी एक सार्वजनिक कम्पनी है, और अनुदेश सं0 15 में यथा विनिर्दिष्ट एक घोषणा इसके निदेशकों से ली गई है, तब ऐसी जमा राशियां मद सं0 2 में दिखाई जानी चाहिए।
12. जो ऋण-पत्र आंशिक रूप से संपरिवर्तनीय और आंशिक रूप से गैर-संपरिवर्तनीय होते हैं, उन ऋण-पत्रों के गैर-संपरिवर्तनीय भाग से संबंधित राशि को मद 3 में शामिल किया जाए और संपरिवर्तनीय अंश को भाग-2 की मद 10 में दिखाया जाए।
13. बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1921 की धारा 45-1 (बी) के खंड (iii) एवं (iv) में वर्णित ऋण-पत्रों द्वारा अभिदत्त गैर संपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों को मद- 3 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी राशि को भाग-2 की मद सं0 4 में शामिल किया जाना चाहिए।

14. जमा राशियों का अवधि क्रम से वर्गीकरण उन अवधियों के अनुसार मद-7 के अधीन विभिन्न शीर्षों में किया जाना चाहिए जिनके लिए वे मूलतः प्राप्त हुई / पिछली बार नवीनी कृत की गईं और उन अवधियों के अनुसार नहीं जो उन्होंने यथा 31 मार्च, अर्थात् विवरणी की तारीख से, चलाई हैं।
15. मद 11 में, खातों की संख्या एवं राशि को निवेश की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में परिकलित किया जाना चाहिए।
16. मद 13 में यदि अदत्त जमा राशि की कुल रकम 5 लाख रुपए से अधिक हो जाती है, तब प्रत्येक जमा राशि का मुगतान नहीं किए जाने के कारण और पुनर्मुगतान के लिए किए गए उपायों को एक अनुलग्नक में उदर्शित किया जाना चाहिए।
17. भाग-2 में दर्शाई गई राशि को इस भाग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

## भाग - 2

18. केवल ऐसे व्यक्तियों से एक लिखित घोषणा पर प्राप्त हुए धन को मद 6. एवं 7 के मुकाबले दिखाया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों ने यह उधार लेकर अथवा किसी अन्य व्यक्ति से जमा राशियों स्वीकार करके अर्जित निधियों में से नहीं दिया है।
19. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 43 ए के अधीन एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में मानित किसी प्राइवेट कम्पनी के शेयरधारकों से प्राप्त धन को मद 7 में उपर्युक्त अनुदेश 16 में निर्दिष्ट घोषणा प्राप्त करने के अध्यक्षीन शामिल किया जाना चाहिए।
20. भाग - 1 (क) में पहले ही दर्शाई गई राशि को यहां शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

## भाग- 3

21. निवल स्वाधिकृत निधियों से संबंधित आंकड़ें विवरणी की तारीख से संबंधित संपरीक्षित तुलनन पत्र के अनुसार होने चाहिए और यदि लेखा परीक्षण समाप्त न हुआ है तब आंकड़ें सुसंगत अवधि की लेखा बहियों के अनुसार होने चाहिए।
22. निर्बंध आरक्षित निधि" में शेयर प्रीमियम खाते में अधिशेष, पूंजी एवं ऋण पत्र में दर्शाई गई तथा लाभ में से किसी आबंटन के जरिए निर्मित कोई अन्य आरक्षित निधि जो कि (क) किसी भावी देनदारी के मुगतान के लिए सज्जित आरक्षित निधि, अथवा आस्तियों पर अवक्षयण के लिए अथवा अशोध्य ऋणों के लिए न हो अथवा (ख) कम्पनी की आस्तियों के मूल्यांकन के लिए निर्मित कोई आरक्षित निधि न हों, शामिल की जाएंगी।
23. शेयरों में किए गए निवेश में पूर्णतः संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों में निवेश और अथवा आंशिक रूप से संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के संपरिवर्तनीय भाग में निवेश शामिल रहता है या तो निवेश खाते में अथवा विक्रय स्टॉक में ऐसे निवेश को मद 10 के अधीन शामिल नहीं माना जाना चाहिए।
24. वाहे निवेश खाते में दर्ज ऋण-पत्र हो अथवा विक्रेय माल के रूप में हो, ऐसे सभी ऋण-पत्रों को मद 11 में शामिल किया जाना चाहिए। गैर-संपरिवर्तनीय, ऋण-पत्रों आंशिक रूप में संपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों का गैर-संपरिवर्तनीय भाग और विकल्पतः संपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों को भी इस मद में शामिल किया जाए।
25. लाभ एवं हानि खाते में ऋण अधिशेष को अनुपयोज्य आस्तियों के लिए किए गए वास्तविक प्रावधान द्वारा समयोजित किया जाना चाहिए।

## भाग - 4

26. विविध देनदारों, अग्रिम रूप में संदत्त कर और अन्य वसूली योग्य मदे जो कि ऋणों एवं अग्रिम की प्रकृति की न हों, को इस विवरण में नहीं दर्शाया जाना चाहिए।
27. अन्य कम्पनियों में सावधि जमा राशियों को यथा स्थिति मद 2 (i) अथवा 2 (ii) में शामिल किया जाना चाहिए और भाग - 5 में नहीं।
28. (शेयर बाजार की) सूची से इतर ऋण-पत्रों को निवेश नहीं अपितु ऋण समझा जायेगा और इन्हें भाग -5 में शामिल नहीं किया जाएगा।

## भाग - 5

29. निवेश के खाते में या व्यापारगत माल के जरिए शेयरों ऋण-पत्रों एवं वाणिज्यिक पत्रों को इस भाग में शामिल किया जाना चाहिए।
30. कम्पनियों में जाम सावधि जमा राशियों को यहां शामिल नहीं किया जाना चाहिए अपितु इन्हें भाग-4 में दर्शाया जाना चाहिए।
31. सूची से इतर ऋण-पत्रों में निवेश यथा ऋण समझा जाएगा और निवेश नहीं, और यह भाग-5 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

## अनुसूची- II

[आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक निर्देश, 2001 का अनुच्छेद 39 (1) देखें ]

31 मार्च 30 सितंबर, \_\_\_\_\_ की स्थिति अनुसार अर्धवार्षिक विवरणी  
(अर्धवर्ष समाप्ति से दो माह के अंदर प्रस्तुत की जाए)

आवास वित्त कंपनी का नाम:	
कंपनी कोड संख्या	
पंजीकरण संख्या	

## भाग -क पूंजी निधि - टियर - 1 (राशि लाख रुपए में)

मद सं०	विवरण	मद कुट	राशि
1.	चुकता शेयर पूंजी	111	
2.	अधिमान शेयर जो शेयरों में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है	112	
3.	निर्बंध आरक्षित निधियां		
	(क) सामान्य आरक्षित निधियां	113	
	(ख) शेयर प्रीमियम	114	
	(ग) पूंजीगत रिजर्व निधियां अधिशेष (परिसंपत्तियों की बिक्री दर्शाती है, जिसे अलग खाते में रखा जाता है)	115	
	(घ) डिबेंचर आरक्षित शोधन निधि	116	
	(ड) पूंजी आरक्षित शोधन निधि	117	
	(च) लाम एवं हानि खाते में जमा शेष	118	
	(छ) अन्य निर्बंध आरक्षित निधियां (उल्लेख करें)	119	
4.	कुल (111 से 119)	110	
5.	संचित हानि शेष	121	
6.	आस्थगित राजस्व व्यय	122	
7.	अन्य अमूर्त आस्तियां	123	
8.	कुल (121 से 123)	120	
9.	स्वाधिकृत निधियां (110-120)	130	
10.	निम्न के शेयरों में निवेश का बही मूल्य	141	
	(क) अनुषंगियों	142	
	(ख) उसी समूह की कंपनियां	143	
	(ग) अन्य आवास वित्त संस्थानज 1 कंपनियां हैं		
11.	निम्न के डिबेंचरों तथा बंधपत्रों में निवेश का बही मूल्य	144	
	क) अनुषंगियों	145	
	(ख) उसी समूह की कंपनियां		
12.	निम्न की ओर बकाया ऋण एवं अग्रिम एवं निम्न में जमा धनराशि	146	
	(क) अनुषंगियों में	147	
	(ख) उसी समूह की कंपनियां		
13.	मद संख्या 140 की राशि जो मद संख्या 130 के 10 प्रतिशत से	140	

	अधिक है।		
14.	योग (141 से 147)	150	
15.	टियर 1 पूंजी - निवल स्वाधिकृत निधि (130-150)	151	

## भाग - ख - पूंजीगत निधियां टियर - 11 (राशि लाख रुपए में)

विवरण	मद कूट	राशि
(1)	(2)	(3)
(i) अधिमान शेयर (जो अनिवार्यतः साम्य में परिवर्तनीय है को छोड़कर)	161	
(ii) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि	162	
(iii) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि	163	
(iv) संकरण पूंजीगत लिखत	164	
(v) गौण ऋण	165	
(vi) योग टियर - 11 पूंजी	160	
कुल पूंजीगत निधिया (151+160)	170	

## भाग - ग - जोखिमपूर्ण आस्तियां एवं तुलनपत्र बाह्य मदें

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	मद कूट	राशि
(i) निधिक जोखिम आस्तियों का समंजित नूल्य अर्थात् तुलनपत्र की मदें (भाग घ के साथ मिलनी चाहिए)	181	
(ii) अनिधिक और तुलनपत्र बाह्य मदों का समंजित मूल्य (भाग ड के साथ मिलनी चाहिए)	182	
(iii) कुल जोखिम भारित आस्तियां कुल निवेश (योग (i) + (ii) )	180	
(iv) जोखिम भारित आस्तियां निवेश के मुकाबले पूंजीगत निधियों का प्रतिशत: (क) टियर -1 पूंजी	191	
(ख) टियर - 2 पूंजी	192	
(ग) कुल पूंजी	193	

## भाग घ - भारित आस्तियां जैसे तुलनपत्र की मदें (राशि लाख रुपए में)

विवरण	मद कूट	बही मूल्य	जोखिम भारित	समंजित मूल्य
I. सावधि निक्षेपों और निक्षेप प्रमाणपत्रों सहित नकदी तथा बैंक धन	210		0	
II. निवेश				
(क) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में परिभाषित अनुमोदित प्रतिपूर्तियां	221		0	
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बंधपत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में सावधि जमा / जमा प्रमाणपत्र / बंधपत्र				
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	222		0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	223		20	

(c) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	224	20	
(घ) सभी कंपनियों के शेयर में उपरोक्त (ख) में उल्लेखरहित कंपनियों के डिबेंचर / बाण्ड्स एवं वाणिज्यिक पत्र एवं उपरोक्त ग) के अतिरिक्त अन्य म्युचुअल फंड्स यूनिटें			
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	225	0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	226	100	
<b>III. चालू आस्तियां</b>			
(क) किराये पर भंडार (नीचे टिप्पणी 2 देखें)			
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	231	0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	232	100	
(ख) अंतः कारपोरेट ऋण/निक्षेप			
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	233	0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	234	100	
(ग) कंपनी के स्वयं के निक्षेपों द्वारा पूर्णतया प्रतिभूत ऋण तथा अग्रिम	235	0	
(घ) स्टॉफ को ऋण	236	0	
(3) (ड) व्यक्तियों को दिए गए अचल संपत्ति बंधक समर्थित आवास ऋण जो कि मानक आस्ति के रूप में निर्दिष्ट हैं एवं जहां ऋण का मूल्य अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है	237	75	
(च) अन्य आवास ऋण (व्यक्तियों को दिए गए उन ऋणों को मिलाकर जो उपरोक्त (ड) में नहीं आते	238	100	
(छ) अन्य ऋण तथा अग्रिम			
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	241	0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	242	100	
(ज) क्रय / बट्टाकृत बिल			
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	243	0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	244	100	
(झ) अन्य ( उल्लेख करें)	245	100	
<b>IV. अचल आस्तियां   अवक्षयण की निवल राशि  </b>			
(क) पट्टे पर दी गई आस्तियां			
(i) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि	251	0	
(ii) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि	252	100	
(ख) परिसर	253	100	
(ग) फर्नीचर एवं जुड़नार	254	100	
<b>V. अन्य आस्तियां</b>			
(क) स्रोत पर काटा गया आयकर (प्रावधानों की निवल राशि)	255	0	
(ख) अग्रिम कर भुगतान (प्रावधानों की निवल राशि)	256	0	
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में देय ब्याज	257	0	
(घ) अन्य ( उल्लेख करें)	258	100	
कुल मारित आस्तियां	200		

पीए:

1. जहां अवक्षयण या अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के बारे में प्रावधान किया गया है, वहां आस्तियों के संबंध में इसे घटाया जा सकता है।
2. किराए पर स्टॉक को वित्त प्रभार की निवल राशि में दर्शाया जाए जैसे ब्याज तथा वसूल होने वाले अन्य प्रभार।
3. निवल स्वाधिकृत निधि ज्ञात करने के लिए स्वाधिकृत निधि से जिन आस्तियों को व्यवकलित किया गया (मद कूट 150) उनका भारित मूल्य "0" होगा।

भाग - ड - भारित गैर निधि निवेश / तुलन पत्र की बाह्य मदें

राशि लाख रुपए में

विवरण	मद कूट	बही मूल्य	परिवर्तन कारक	समकक्ष	जोखिम भारित	समंजित मूल्य
1. संश्लेषित आवास ऋणों की भारितित राशि	310		50		100	
2. वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	320		100		100	
3. शेयर / डिबेंचर हामीदारी दायित्व	330		50		100	
4. आंशिक प्रदत्त शेयर / डिबेंचर	340		100		100	
5. पट्टाकृत / पुनःबट्टाकृत बिल	350		100		100	
6. विभाजित पट्टा करार परंतु जिनका विभाजन होना अभी शेष है	360		100		100	
7. अन्य आकस्मिक देयताएं (उल्लेख करें)	370		50		100	
<b>कुल गैर निधि निवेश</b>	<b>300</b>					

परिवर्तन कारक की प्रयोज्यता से पहले नकद मार्जिन / निक्षेपों का व्यवकलन किया जाएगा, जहां लागू है।

भाग - च - आस्ति वर्गीकरण (राशि लाख रुपए में)

कुल मूल्य प्रवरापोत्तर तथा उसके लिए प्रावधान

विवरण	मद कूट	राशि	निर्देशानुसार अपेक्षित प्रावधान	वास्तव में किया गया प्रावधान
(i) मानक आस्ति	411			
(ii) कम मानक आस्ति				
व्यवसायिक आवास ऋण	412			
कारपोरेट / एजेंसियों को दिए गए	413			
व्यवसाय				
पट्टा पर एवं किराया खरीद की आस्तियां	414			
अन्य ऋण राशिघाएं	415			
(iii) शक्ति आस्तियां				
व्यवसायिक आवास ऋण	416			
कारपोरेट / एजेंसियों को दिए गए	417			

आवास ऋण			
पट्टे पर एवं किराया खरीद की आस्तियां	418		
अन्य ऋण सुविधाएं			
(iv) हानिप्रद आस्तियां	419		
व्यैक्तिक आवास ऋण	420		
कारपोरेट / एजेंसियों को दिए गए आवास ऋण	421		
पट्टे पर एवं किराया खरीद की आस्तियां	422		
अन्य ऋण सुविधाएं	423		
कुल प्रावधान	400		
निम्न के बारे में अन्य प्रावधान			
(i) अचल आस्तियों पर अवक्षयण	451		
(ii) निवेश पर अवक्षयण	452		
(iii) हानि / अगोचर आस्तियां	453		
(iv) कर के लिए प्रावधान	454		
(v) उपदान / भविष्य निधि	455		
(vi) अन्य (उल्लेख करें)	456		
<b>Total</b>	<b>450</b>		

भाग - छ - एक ही समूह की कंपनियों / फर्मों तथा अन्य आवास वित्त कंपनियों में निवेश तथा अग्रिम के ब्यौरे

विवरण	मद कूट	राशि
(i) एक ही समूह की सहायक कंपनियों तथा अनुषंगियों को दिए अग्रिमों और निक्षेपों तथा बंधपत्रों और डिबेंचरों एवं ब्रकाया ऋणों का बही मूल्य (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	510	
(ii) एक ही समूह की सहायक कंपनियों और अनुषंगियों में तथा सभी आवास वित्त कंपनियों के शेयरों में निवेश (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	520	
(iii) अन्य कंपनियों, फर्मों तथा स्वामित्व प्रतिष्ठानों जिनमें आवास वित्त कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है, के शेयरों, डिबेंचरों, ऋणों एवं अग्रिमों, पट्टे पर, किराया खरीद वित्त, निक्षेपों आदि में निवेश	530	

भाग - ज - अग्रिमों का सकेन्द्रण, तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर और उपरोक्त भाग छ सहित अन्य पक्षों में निवेश के साथ विवरण

विवरण	मद कूट	राशि
(i) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष में तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर सहित ऋण एवं अग्रिम (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	610	
(ii) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष में तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर सहित ऋण एवं अग्रिम (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	620	
(iii) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही कंपनी में निवेश (ब्यौरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)	630	
(iv) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक का	640	

किसी एकल समूह द्वारा जारी शेयरों में निवेश		
(v) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष के शेयरों में निवेश तथा उसे दिए ऋण व अग्रिम (डिबेंचर, बंधपत्र और तुलनपत्र से बाह्य एक्सपोजर सहित)	650	
(vi) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष में निवेश और उसे दिए गए ऋण, अग्रिम (डिबेंचर, बंधपत्र और तुलनपत्र से बाह्य एक्सपोजर सहित)	660	

नोट:

(1) ये एक्सपोजर सीमाएं आवास वित्त कंपनी के अपने समूहों तथा कंपनी समूह के उधारकर्ताओं/निवेशकर्ताओं पर लागू हैं।

(2) इस प्रयोजनार्थ डिबेंचरों में निवेश को निवेश नहीं ऋण माना जाएगा।

भाग - झ - परिसरों और उद्धृत नहीं किए गए शेयरों में निवेश से संबंधित ब्यौरे

विवरण	मद कूट	राशि
(i) कंपनी द्वारा अपने इस्तेमाल के अतिरिक्त परिसर (भूमि एवं भवन) में अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक निवेश		
(क) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से अर्जित	710	
(ख) अपने ऋण के शोधनार्थ	720	
(ii) एक ही समूह की सहायक कंपनियों और अनुषंगियों के अतिरिक्त, अपनी स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक उद्धृत नहीं किए गए शेयरों में निवेश	730	

भाग - त - ऋण पात्रता निर्धारण

निक्षेप लिखत	ऋण पात्रता निर्धारित करने वाली एजेंसी का नाम	ऋण पात्रता निर्धारण की तारीख	आवंटित ऋण पात्रता	वैधता की तारीख	ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी द्वारा लगाई गई ऋण सीमा या शर्तें

नोट: इस विवरणी के साथ ऋण पात्रता की एक प्रति संलग्न की जाए।

भाग थ - आवास वित्त कंपनी द्वारा एवं उसके विरुद्ध दायर किए मुकदमों और डिक्री ऋणों के ब्यौरे

विवरण	मद कूट	राशि
(i) ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाएं जिनके लिए आवास वित्त कंपनी ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए किसी न्यायालय में मुकदमा दायर किया तथा जिन मामलों में डिक्री मिली	810	
5 वर्ष से अधिक समय से लंबित	811	
3 से 5 वर्ष तक समयावधि से लंबित	812	

(i) से 3 वर्ष की समयावधि से लंबित	813	
1 वर्ष से कम समय से लंबित	814	
(ii) उपर्युक्त (i) में से, वह ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाएं जिनके लिए आवास वित्त कंपनी को डिक्री प्राप्त हो गई है	820	
(iii) दायर मुकदमों / डिक्री ऋणों में की गई वसूलियां (न्यायालय में जमा कराई गई राशि सहित)	830	
(iv) कंपनी के विरुद्ध दायर मुकदमों और डिक्रिया	840	

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि -

- (1) इस विवरणी में दिए गए आंकड़े / सूचना आवास वित्त कंपनी (रा0आ0वैक) निर्देश, 2001 के अनुसार दी गई है। इस विवरणी को कंपनी की लेखा बहियों तथा अन्य अभिलेख से संकलित किया गया है तथा मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ;
- (2) कंपनी ने सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किए और इनसे प्राप्त जमा राशि कंपनी की अनुमत्य सीमा में है ;
- (3) कंपनी ने निक्षेपों पर निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज / दलाली का भुगतान नहीं किया ;
- (4) कंपनी ने परिपक्व निक्षेपों का भुगतान करने में व्यतिक्रम नहीं किया ;
- (5) ऋण सीमा निर्धारण एजेंसी द्वारा सावधि निक्षेपों के लिए समनुदेशित ऋण सीमा निर्धारण पर (निर्धारित स्तर) वैध है ;
- (6) विवरणी के भाग ग में उल्लिखित पूंजी, पर्याप्तता को भाग घ, ड तथा च में दिए ब्यौरे के आधार पर सही रूप से गणना करके दर्शाया गया है ;
- (7) विवरणी के भाग च में उल्लिखित आस्तियों के वर्गीकरण का सत्यापन किया गया और उसे ठीक पाया गया। पुनर्निर्धारणीय ब्याज युक्त / पुनर्निर्धारणीय ऋणों, पट्टे एवं किराया खरीद लेनदेन तथा नियत तारीखों के बाद बिलों का अवलोकन किया गया। अवमानक यासंदिग्ध या हानिप्रद आस्तियों का, यदि स्तर बढ़ाया गया तो वह निर्देशों के संगत प्रावधानों के अनुसार है ;
- (8) इस विवरणी के भाग छ में उल्लिखित समूह कंपनियों में किया गया निवेश और अर्धवार्षिक विवरणी के भाग ज में किये उल्लेखानुसार ऋण / निवेश सकेन्द्रण मानदंडों की सीमा से अधिक व्यक्तियों / फर्मों / अन्य कंपनियों में एक्सपोजर और उन आस्तियों का वर्गीकरण सही है ;
- (9) कंपनी के टियर -1 के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि की सही रूप से गणना की गई है।

कृते तथा की ओर से

(कंपनी का नाम)

स्थान:  
तिथि:

प्रबंध निदेशक /  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय मुहर

## लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने \_\_\_\_\_ कंपनी लि० द्वारा पूंजी, निधियों, जोखिम आस्तियों निवेश और जोखिम आस्ति अनुपात इत्यादि के लिए रखी गई लेखा बहियों एवं अन्य अभिलेखों का कंपनी के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यहां ऊपर दिए गए विवरणों का \_\_\_\_\_ को परीक्षण किया है। हम यह रिपोर्ट देते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेख में किए गए उल्लेखानुसार यहां ऊपर दिए गए विवरण के भाग क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, त व थ में दर्शाए गए आंकड़ें ठीक हैं।

सनदी लेखाकारों के लिए  
तथा उनकी ओर से  
सदस्यता सं०  
हस्ताक्षरी का नाम:

स्थान:  
तिथि:

कार्यालय मुहर

## अनुसूची -3

मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर, 20

को समाप्त तिमाही की सांविधिक अर्थसुलम आस्ति की विवरणी

(राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ख और आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश,

2001 का अनुच्छेद 39 (1) देखें

1.	कंपनी का नाम					
2.	कंपनी कोड					
3.	पंजीकृत कार्यालय का पता					
		पिन				
	फोन नं०	फैक्स सं०	ईमेल का पता			
4.	कारपोरेट / मुख्य कार्यालय का पता					
		पिन				
	फोन नं०	फैक्स सं०	ईमेल का पता			
5.	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29क के अनुसार रा0आ0बैंक में पंजीकरण की स्थिति					
	i) यदि रा0आ0बैंक ने जारी किया हो तो पंजीकरण प्रमाणपत्र की सं० व तारीख,					

ii) यदि पंजीकृत नहीं है, तो बताएं क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकृत हो गया / लंबित है	
--	--

## भाग - क

## सार्वजनिक निक्षेपों के ब्यौरे और अर्थसुलभ आस्तियों का अनुरक्षण

I. पिछली दूसरी तिमाही अर्थात् मार्च / जून / सितंबर / दिसंबर 20..... के अंत में बकाया सार्वजनिक निक्षेपों के ब्यौरे (कृपया नीचे टिप्पणी 1 देखें)

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	विवरण	कूट सं०	राशि
1.	जनता से सावधि जमा, आवृत्ति जमा आदि के रूप में प्राप्त निक्षेप	111	
2.	(i) पब्लिक लि० कंपनी द्वारा अंशधारकों से प्राप्त निक्षेप	112	
	(ii) प्राइवेट लि० कंपनी द्वारा प्रथम नामित अंशधारक के अतिरिक्त संयुक्त अंशधारकों से प्राप्त निक्षेप	113	
3.	(iii) अपरिवर्तनीय गैर जमानती ऋणपत्रों के निर्गम से प्राप्त राशि (कृपया नीचे टिप्पणी 2 देखें)	114	
	(iv) किसी और प्रकृति के निक्षेप	115	
4.	योग (111 से 115)	100	

II. अनुरक्षित अर्थसुलभ आस्तियों के ब्यौरे:

1.	अर्थसुलभ आस्तियों की न्यूनतम राशि जो कि विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में उपरोक्त मद कूट सं० 100 में दर्शाई गई सार्वजनिक निक्षेप राशि के - प्रतिशत पर निवेश करना अपेक्षित है।	121	
2.	अर्थसुलभ आस्तियों की न्यूनतम राशि जो कि विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं विनिर्दिष्ट अर्थसुलभ आस्तियों के साथ मद कूट सं० 100 में दर्शाई गई सार्वजनिक निक्षेप राशि के प्रतिशत पर रखनी आवश्यक है।	122	
3.	वास्तव में अनुरक्षित अर्थसुलभ आस्तियां क. विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियां		

	(अनुलग्नक 1 अनुसार विवरण दिए जाएं)	123		
	ख. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा या जमाराशि के प्रमाणपत्र	124		
	ग. रा0आ0बैंक में जमाराशि (ख और ग के ब्यौरे अनुलग्नक 2 के अनुसार दिए जाएं)	125		
	ग. रा0आ0बैंक द्वारा जारी बंधपत्रों में (अनुलग्नक 4 अनुसार विवरण दिए जाएं)	126		
	योग (123 से 126)	120		
4.	(क) निर्दिष्ट बैंक का नाम जहां प्रतिभूतियां जमा की जाती हैं। (अनुलग्नक 3 अनुसार विवरण दिए जाएं)			
	(ख) जमा की गई प्रतिभूतियों की राशि (i) बही मूल्य	127		
	(ii) बाजार मूल्य	128		
	उल्लेख करें क्या कंपनी ने तिमाही के दौरान दैनिक आधार पर अर्थसुलभ आस्तियों को अपेक्षित स्तर पर बनाए रखा क. विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में (कृपया निशान लगाएं)		हां	
			नहीं	
	ख. समग्र आधार पर (अर्थात् विल्लंगरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा अन्य विनिर्दिष्ट अर्थसुलभ आस्तियों के रूप में निवेश ) (कृपया निशान लगाएं)		हां	
			नहीं	
	यदि नहीं, तो तिमाही के दौरान तारीखवार कमी दर्शाएँ (संलग्नक 5 के अनुसार )			
5.	(क) क्या अंतिम तिमाही के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया (कृपया निशान लगाएं)		हां	
			नहीं	
	(ख) यदि नहीं, तो क्या रा0आ0बैंक द्वारा दांडिक ब्याज की मांग की गई? (कृपया निशान लगाएं)		हां	
			नहीं	
	(ग) यदि हां,			
	(i) राशि	129		
	(ii) भुगतान की तारीख	130		

## भाग - ख

आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) के अनुपालन के  
संबंध में सूचना

(लाख रुपए में)

1.	निवल स्वाधिकृत निधि (कंपनी के पिछले संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार)	131	
2.	पूजी पर्याप्तता अनुपात (कंपनी के पिछले संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार)	132	
3.	ऋण पात्रता निर्धारण		
	i) समनुदेशित ऋण पात्रता	133	
	ii) ऋण पात्रता निर्धारण की तिथि	134	
	iii) ऋण पात्रता निर्धारित करने वाली एजेंसी का नाम	135	
	iv) क्या पिछले ऋण पात्रता निर्धारण के बाद कोई परिवर्तन हुआ (कृपया ब्यौरे अलग से दें)	136	
4.	आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 के प्रारंभ होने की तिथि को कारोबार समाप्ति पर बकाया सार्वजनिक निक्षेप	137	
5.	आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 के प्रारंभ होने की तिथि को कंपनी द्वारा धारित अतिरिक्त सार्वजनिक जमाराशि, यदि कोई हो	138	
6.	यह विवरणी भेजने की तारीख पर बकाया सार्वजनिक निक्षेप (अर्थात् तिमाही का अंतिम कार्यदिवस जिससे यह विवरणी संबंधित है)	139	
7.	इस विवरणी की तारीख पर आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 के उपबंधों के अनतर्गत अनुमत सार्वजनिक जमाराशि की मात्रा	140	
8.	इस विवरणी की तारीख पर नियमित करने के लिए बकाया अतिरिक्त सार्वजनिक निक्षेप की मात्रा	141	
9.	संदर्भाधीन तिमाही के दौरान स्वीकार किए गए निक्षेपों की राशि	142	
10.	संदर्भाधीन तिमाही के दौरान निक्षेपों की राशि जिनका नवीनीकरण किया गया	143	
11.	इस विवरणी की तारीख पर परिपक्व हुए निक्षेप जिनका भुगतान नहीं किया गया नवीनीकरण नहीं किया गया :		
	(क) खातों की सं0	144	
	(ख) राशि	145	
12.	उपर्युक्त 11 के बारे में, जिनमें राष्ट्रीय आवास बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से आदेश प्राप्त हुए		
	(क) खातों की सं0	146	
	(ख) राशि	147	

13.	(क) अतिरिक्त सार्वजनिक निक्षेप को नियमित करने के लिए निर्देशों के अन्तर्गत अनुमत्य सीमा में की गई / कार्रवाई की जा रही कार्रवाई (कृपया अलग सारणी में ब्यौरा दें)		
	(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों का अनुपालन करने के लिए की गई कार्रवाई (कृपया अलग सारणी में ब्यौरा दें)		

## भाग - ग

निक्षेप स्वीकार करने के लिए शाखाओं / कार्यालयों को खोलने और बंद करने से संबंधित सूचना

(क) खोली गई शाखाओं / कार्यालयों की सूची:

शाखाओं / कार्यालयों के नाम और पते	खोलने की तारीख	रा0आ0बैंक से हुए पत्राचार की संदर्भ संख्या और तारीख	अभ्युक्ति

(ख) बंद की गई शाखाओं / कार्यालयों की सूची:

शाखाओं / कार्यालयों के नाम और पते	खोलने की तारीख	बंद करने की तारीख	रा0आ0बैंक से हुए पत्राचार की संदर्भ संख्या और तारीख	अभ्युक्ति

हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त सूचना सत्य एवं ठीक है।

स्थान :

तिथि :

हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा

नोट:

1. इस विवरणी के प्रयोजनार्थ, परिसंगतियों को आवास वित्त कंपनी (रा0आ0बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 2 (1) (झ) में किए गए उल्लेखानुसार पिछली दूसरी तिमाही के अंतिम कार्य दिवस तक,

दैनिक आधार पर तैयार किया जाए और वे सार्वजनिक जमादेयताओं (उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित) से संबंधित होने चाहिए। उदाहरणार्थ 30 जून, 2000 (अर्थात् 1 अप्रैल, 2000 से 30 जून, 2000) को समाप्त तिमाही के दौरान अर्थसुलभ आस्तियों को प्रतिदिन के आधार पर तैयार किया जाए एवं यह 31 दिसंबर, 1999 को समाप्त तिमाही के अंतिम कारोबार समाप्त दिवस को सार्वजनिक जमादेयताओं से संबंधित होना चाहिए।

2. इस मद में अपरिवर्तनीय गैर जमानती डिबेंचरों बंधपत्रों (बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा अभिदत्त को छोड़कर अन्य) तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज शामिल करना चाहिए।

3. यह विवरणी संबंधित तिमाही की अंतिम तिथि से 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

#### अनुलग्नक -1

अर्थसुलभ आस्तियों की अपेक्षा के प्रति रखी गई अनुमोदित प्रतिभूतियों की सूची

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	प्रतिभूति का नाम	राशि (बाजार मूल्य या उल्लिखित मूल्य, जैसा भी मामला हो)	ब्याज संग्रहण तिथियां

#### अनुलग्नक -2

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या राष्ट्रीय आवास बैंक में रखे निक्षेपों की सूची

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	बैंक की शाखा का पता	राशि (प्रोद्भूत ब्याज सहित)

#### अनुलग्नक -3

नामित बैंक (बैंकों) का नाम व पता

क्रम सं०	बैंक का नाम	बैंक की शाखा का पता	अभ्युक्ति (रा०आ०बैंक को सूचना भेजने वाले पत्र की सं०)

**अनुलग्नक -4****राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बंधपत्रों में निवेश के ब्यौरे\***

क्रम सं०	विवरण	राशि	ब्याज संग्रहण तिथि

\*अनुमोदित प्रतिभूतियों में पहले से शामिल प्रतिभूतियों के अतिरिक्त (अनुबंध - 1)

**अनुलग्नक -5****अर्थसुलभ आस्तियों के अनुरक्षण में कमी के ब्यौरे**

क. अनुमोदित प्रतिभूतियों में कमी

(लाख रुपए में)

तिथि			अपेक्षित अनुरक्षित राशि	वास्तव में अनुरक्षित राशि	कमी
से	तक	दिनों की संख्या			

ख. कुल अर्थसुलभ आस्तियों में कमी (अर्थात् अनुमोदित प्रतिभूतियों व अर्थसुलभ आस्तियों के अन्य अनुमत्य रुपों में)

(लाख रुपए में)

तिथि			अपेक्षित अनुरक्षित राशि	वास्तव में अनुरक्षित राशि	कमी
से	तक	दिनों की संख्या			